12. साक्ष्य और शपथ; विधियों, लोक कार्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता।

13. सिविल प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं, परिसीमा और माध्यस्थम्।

14. न्यायालय का अवमान, किन्तु इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अवमान नहीं है।

15. आहिंडन; यायावरी और प्रव्राजी जनजातियां।

16. पागलपन और मनोवैकल्य, जिसके अंतर्गत पागलों और मनोविकल व्यक्तियों को ग्रहण करने या उनका उपचार करने के स्थान हैं।

17. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।

[1][17क. वन।

17ख. वन्य जीव-जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण।]

18. खाद्य पदार्थों और अन्य माल का अपमिश्रण।

19. अफीम के संबंध में सूची 1 की प्रविष्टि 59 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मादक द्रव्य और विष।

20. आर्थिक और सामाजिक योजना।

[1][20क. जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन।]

21. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास।

22. व्यापार संघ; औद्योगिक और श्रम विवाद।

23. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नियोजन और बेकारी।

24. श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं हैं।

[2][25. सूची 1 की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शिक्षा जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय हैं; श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।]

---

[1]संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) अंत:स्थापित।

[2]संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) प्रविष्टि 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

26. विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति और अन्य वृत्तियां।

27. भारत और पाकिस्तान डोमिनियनों के स्थापित होने के कारण अपने मूल निवास-स्थान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास।

28. पूर्त कार्य और पूर्त संस्थाएं, पूर्त और धार्मिक विन्यास और धार्मिक संस्थाएं।

29. मानवों, जीव-जंतुओं या पौधों पर प्रभाव डालने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों अथवा नाशकजीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण।

30. जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है।

31. संसद् द्वारा बनाई गई विधि या विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महापत्तन घोषित पत्तनों से भिन्न पत्तन।

32. राष्ट्रीय जलमार्गों के संबंध में सूची 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय जलमार्गों पर यंत्र नोदित जलयानों के संबंध में पोत परिवहन और नौ परिवहन तथा ऐसे जलमार्गों पर मार्ग का नियम और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन।

[1][33. (क) जहां संसद् द्वारा विधि द्वारा किसी उद्योग का संघ द्वारा नियंत्रण लोकहित में समीचीन घोषित किया जाता है वहां उस उद्योग के उत्पादों का और उसी प्रकार के आयात किए गए माल का ऐसे उत्पादों के रूप में,

(ख) खाद्य पदार्थों का जिनके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं,

(ग) पशुओं के चारे का जिसके अंतर्गत खली और अन्य सारकृत चारे हैं,

(घ) कच्ची कपास का, चाहे वह ओटी हुई हो या बिना ओटी हो, और बिनौले का, और

(ङ) कच्चे जूट का,

व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण।]

[2][33क. बाट और माप, जिनके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना नहीं है।]

34. कीमत नियंत्रण।

35. यंत्र नोदित यान जिसके अंतर्गत वे सिद्धान्त हैं जिनके अनुसार ऐसे यानों पर कर उद्गृहीत किया जाना है।

---

[1]संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 33 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2]संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) अंत:स्थापित।

36. कारखाने।

37. बायलर।

38. विद्युत।

39. समाचारपत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय।

40. [1][संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन] राष्ट्रीय महत्व के [1][घोषित] पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों से भिन्न पुरातत्वीय स्थल और अवशेष।

41. ऐसी संपत्ति की (जिसके अंतर्गत कृषि भूमि है) अभिरक्षा, प्रबंध और व्ययन जो विधि द्वारा निष्क्रांत संपत्ति घोषित की जाए।

[2][42. संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण।]

43. किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर उद्भूत कर से संबंधित दावों और अन्य लोक मांगों की वसूली जिनके अंतर्गत भू-राजस्व की बकाया और ऐसी बकाया के रूप में वसूल की जा सकने वाली राशियां हैं।

44. न्यायिक स्टांपों के द्वारा संगृहीत शुल्कों या फीसों से भिन्न स्टांप-शुल्क, किन्तु इसके अंतर्गत स्टांप-शुल्क की दरें नहीं हैं।

45. सूची 2 या सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच और आंकड़े।

46. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां।

47. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है।

---

[1]संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 द्वारा ''संसद् द्वारा विधि द्वारा घोषित'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2]संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 26 द्वारा प्रविष्टि 42 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

आठवीं अनुसूची

[अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351]

भाषाएं

1. असमिया।
2. बंगला।
[1][3. बोडो।
4. डोगरी।]
[2][5.] गुजराती।
[2][6.] हिन्दी।
[2][7.] कन्नड।
[2][8.] कश्मीरी।
[3][[2][9.] कोंकणी।]
[1][10. मैथिली।]
[4][[2][11.]] मलयालम।
[3][[2][12.] मणिपुरी।]
[5][[2][13.]] मराठी।
[3][[2][14.] नेपाली।]
[6][[2][15.] [7][ओड़िया]।

---

[1]संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा अन्त:स्थापित।

[2]संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।

[3]संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा अन्त:स्थापित।

[4]संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 7 को प्रविष्टि 8 के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया।

[5]संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 8 को प्रविष्टि 10 के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया।

[6]संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 9 से 15 तक को प्रविष्टि 12 से 18 तक के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया।

[7]संविधान (छियानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 2 द्वारा (23-9-2011 से) ''उड़िया'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][[2][16.] पंजाबी।

[1][[2][17.] संस्कृत।

[3][18.] [संथाली।]

[4][[1][[5][19.] सिंधी।]]

[6][20.] तमिल।

[6][21.] तेलुगु।

[6][22.] उर्दू।

---

[1]संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 9 से 15 तक को प्रविष्टि 12 से 18 तक के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया।

[2]संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।

[3]संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा अन्त:स्थापित।

[4]संविधान (इक्कीसवां संशोधन) अधिनियम, 1967 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया।

[5]संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 15 को प्रविष्टि 19 के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया।

[6]संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 16 से प्रविष्टि 18 को प्रविष्टि 20 से प्रविष्टि 22 के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया।

[1][नवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 31ख)

1. बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (1950 का बिहार अधिनियम 30)।

2. मुंबई अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम, 1948 (1948 का मुंबई अधिनियम 67)।

3. मुंबई मालिकी भूधृति उत्सादन अधिनियम, 1949 (1949 का मुंबई अधिनियम 61)।

4. मुंबई तालुकदारी भूधृति उत्सादन अधिनियम, 1949 (1949 का मुंबई अधिनियम 62)।

5. पंच महल मेहवासी भूधृति उत्सादन अधिनियम, 1949 (1949 का मुंबई अधिनियम 63)।

6. मुंबई खेती उत्सादन अधिनियम, 1950 (1950 का मुंबई अधिनियम 6)।

7. मुंबई परगना और कुलकर्णी वतन उत्सादन अधिनियम, 1950 (1950 का मुंबई अधिनियम 60)।

8. मध्य प्रदेश सांपत्तिक अधिकार (संपदा, महल, अन्यसंक्रांत भूमि) उत्सादन अधिनियम, 1950 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1951)।

9. मद्रास संपदा (उत्सादन और रैय्यतवाड़ी में संपरिवर्तन) अधिनियम, 1948 (1948 का मद्रास अधिनियम 26)।

10. मद्रास संपदा (उत्सादन और रैय्यतवाड़ी में संपरिवर्तन) संशोधन अधिनियम, 1950 (1950 का मद्रास अधिनियम 1)।

11. 1950 ई. का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951)।

12. हैदराबाद (जागीर उत्सादन) विनियम, 1358फ (1358 फसली का सं. 69)।

13. हैदराबाद जागीर (परिवर्तन) विनियम, 1359फ (1359 फसली का सं. 25)।

[2][14. बिहार विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1950 (1950 का बिहार अधिनियम, 38)।

---

[1]संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 14 द्वारा जोड़ा गया।

[2]संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955 की धारा 5 द्वारा जोड़ा गया।

15. संयुक्त प्रांत के शरणार्थियों को बसाने के लिए भूमि प्राप्त करने का एक्ट, 1948 ई. (संयुक्त प्रांतीय एक्ट संख्या 26, 1948)।

16. विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 60)।

17. बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम 47) की धारा 42 द्वारा यथा अंत:स्थापित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का अधिनियम 4) की धारा 52क से धारा 52छ।

18. रेल कंपनी (आपात उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम 51)।

19. उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम 26) की धारा 13 द्वारा यथा अंत:स्थापित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम 63) का अध्याय 3क।

20. 1951 के पश्चिमी बंगाल अधिनियम 29 द्वारा यथासंशोधित पश्चिमी बंगाल भूमि विकास और योजना अधिनियम, 1948 (1948 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 21)।]

[1][21. आंध्र प्रदेश अधिकतम कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1961 (1961 का आंध्र प्रदेश अधिनियम 10)।

22. आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) अभिधृति और कृषि भूमि (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1961 (1961 का आंध्र प्रदेश अधिनियम 21)।

23. आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) इजारा और कौली भूमि अनियमित पट्टा रद्दकरण और रियायती निर्धारण उत्सादन अधिनियम, 1961 (1961 का आंध्र प्रदेश अधिनियम 36)।

24. असम राज्य लोक प्रकृति की धार्मिक या पूर्त संस्था भूमि अर्जन अधिनियम, 1959 (1961 का असम अधिनियम 9)।

25. बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1954 का बिहार अधिनियम 20)।

26. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 (1962 का बिहार अधिनियम सं. 12) जिसके अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 28 नहीं है।

---

[1]संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1964 की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया।

27. मुंबई तालुकदारी भूधृति उत्सादन (संशोधन) अधिनियम, 1954 (1955 का मुंबई अधिनियम 1)।

28. मुंबई तालुकदारी भूधृति उत्सादन (संशोधन) अधिनियम, 1957 (1958 का मुंबई अधिनियम 18)।

29. मुंबई इनाम (कच्छ क्षेत्र) उत्सादन अधिनियम, 1958 (1958 का मुंबई अधिनियम 98)।

30. मुंबई अभिधृति और कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1960 (1960 का गुजरात अधिनियम 16)।

31. गुजरात कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 (1961 का गुजरात अधिनियम 26)।

32. सगबारा और मेहवासी संपदा (सांपत्तिक अधिकार उत्सादन, आदि) विनियम, 1962 (1962 का गुजरात विनियम 1)।

33. गुजरात शेष अन्यसंक्रामण उत्सादन अधिनियम, 1963 (1963 का गुजरात अधिनियम 33), वहां तक के सिवाय जहां तक यह अधिनियम इसकी धारा 2 के खंड (3) के उपखंड (घ) में निर्दिष्ट अन्यसंक्रामण के संबंध में है।

34. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) अधिनियम, 1961 (1961 का महाराष्ट्र अधिनियम 27)।

35. हैदराबाद अभिधृति और कृषि भूमि (पुनः अधिनियमन, विधिमान्यकरण और अतिरिक्त संशोधन) अधिनियम, 1961 (1961 का महाराष्ट्र अधिनियम 45)।

36. हैदराबाद अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम, 1950 (1950 का हैदराबाद अधिनियम 21)।

37. जन्मीकरम संदाय (उत्सादन) अधिनियम, 1960 (1961 का केरल अधिनियम 3)।

38. केरल भूमि-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केरल अधिनियम 13)।

39. केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 (1964 का केरल अधिनियम 1)।

40. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (मध्य प्रदेश अधिनियम, क्रमांक 20 सन् 1959)।

41. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 20 सन् 1960)।

42. मद्रास खेतिहर अभिधारी संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का मद्रास अधिनियम 25)।

43. मद्रास खेतिहर अभिधारी (उचित लगान संदाय) अधिनियम, 1956 (1956 का मद्रास अधिनियम 24)।

44. मद्रास कुडीइरूपु अधिभोगी (बेदखली से संरक्षण) अधिनियम, 1961 (1961 का मद्रास अधिनियम 38)।

45. मद्रास लोक न्यास (कृषि भूमि प्रशासन विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का मद्रास अधिनियम 57)।

46. मद्रास भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) अधिनियम, 1961 (1961 का मद्रास अधिनियम 58)।

47. मैसूर अभिधृति अधिनियम, 1952 (1952 का मैसूर अधिनियम 13)।

48. कोड़गू अभिधारी अधिनियम, 1957 (1957 का मैसूर अधिनियम 14)।

49. मैसूर ग्राम-पद उत्सादन अधिनियम, 1961 (1961 का मैसूर अधिनियम 14)।

50. हैदराबाद अभिधृति और कृषि भूमि (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1961 (1961 का मैसूर अधिनियम 36)।

51. मैसूर भूमि सुधार अधिनियम, 1961 (1962 का मैसूर अधिनियम 10)।

52. उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 (1960 का उड़ीसा अधिनियम 16)।

53. उड़ीसा विलीन राज्यक्षेत्र (ग्राम-पद उत्सादन) अधिनियम, 1963 (1963 का उड़ीसा अधिनियम 10)।

54. पंजाब भू-धृति सुरक्षा अधिनियम, 1953 (1953 का पंजाब अधिनियम 10)।

55. राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 3)।

56. राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उत्सादन अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 8)।

57. कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 17, 1960)।

58. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961)।

59. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन अधिनियम, 1953 (1954 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 1)।

60. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 (1956 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 10)।

61. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 (1954 का दिल्ली अधिनियम 8)।

62. दिल्ली भूमि जोत (अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1960 (1960 का केन्द्रीय अधिनियम 24)।

63. मणिपुर भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1960 (1960 का केन्द्रीय अधिनियम 33)।

64. त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1960 (1960 का केन्द्रीय अधिनियम 43)।]

[1][65. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का केरल अधिनियम 35)।

66. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का केरल अधिनियम 25)।]

[2][67. आंध्र प्रदेश भूमि सुधार (अधिकतम कृषि जोत सीमा) अधिनियम, 1973 (1973 का आंध्र प्रदेश अधिनियम 1)।

68. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1973 का बिहार अधिनियम 1)।

69. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का बिहार अधिनियम 9)।

70. बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का बिहार अधिनियम सं. 5)।

71. गुजरात अधिकतम कृषि भूमि सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1974 का गुजरात अधिनियम 2)।

72. हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1972 का हरियाणा अधिनियम 26)।

73. हिमाचल प्रदेश अधिकतम भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 19)।

---

[1]संविधान (उनतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।
[2]संविधान (चौंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।

74. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का केरल अधिनियम 17)।

75. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1972 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 12 सन् 1974)।

76. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1972 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 13 सन् 1974)।

77. मैसूर भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1974 का कर्नाटक अधिनियम 1)।

78. पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1973 का पंजाब अधिनियम 10)।

79. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का राजस्थान अधिनियम 11)।

80. गुडलूर जन्मम् संपदा (उत्सादन और रैय्यतवाड़ी में संपरिवर्तन) अधिनियम, 1969 (1969 का तमिलनाडु अधिनियम 24)।

81. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 12)।

82. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1964 (1964 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 22)।

83. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 33)।

84. मुंबई अभिधृति और कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1972 (1973 का गुजरात अधिनियम 5)।

85. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का उड़ीसा अधिनियम 9)।

86. त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का त्रिपुरा अधिनियम 7)।]

[1][[2]* * * * * *]

---

[1]संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित।

[2]संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 44 द्वारा (20-6-1979 से) प्रविष्टि 87 का लोप किया गया।

88. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 65)।

89. स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 30)।

90. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 67)।

*91. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम 54)।

[1]* * * * * *

93. कोककारी कोयला खान (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971 (1971 का केन्द्रीय अधिनियम 64)।

94. कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 36)।

95. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 57)।

96. इंडियन कॉपर कारपोरेशन (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 58)।

97. रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 72)।

98. कोयला खान (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का केन्द्रीय अधिनियम 15)।

99. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (1973 का केन्द्रीय अधिनियम 26)।

**100. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का केन्द्रीय अधिनियम 46)।

101. एलकाक एशडाउन कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1973 (1973 का केन्द्रीय अधिनियम 56)।

102. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 28)।

---

[1]संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 44 द्वारा (20-6-1979 से) प्रविष्टि 92 का लोप किया गया।

*अधिसूचना सं. का.आ. 2204 (अ.), तारीख 28-8-2009 द्वारा (1-9-2009 से) निरसित।

**अधिसूचना सं. सा.का.नि. 371 (अ.), तारीख 1-5-2000 द्वारा (1-6-2000 से) निरसित।

103. अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 37)।

104. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 52)।

105. रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 57)।

106. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1964 (1965 का महाराष्ट्र अधिनियम 16)।

107. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 का महाराष्ट्र अधिनियम 32)।

108. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का महाराष्ट्र अधिनियम 16)।

109. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का महाराष्ट्र अधिनियम 33)।

110. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का महाराष्ट्र अधिनियम 37)।

111. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का महाराष्ट्र अधिनियम 38)।

112. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1970 का महाराष्ट्र अधिनियम 27)।

113. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का महाराष्ट्र अधिनियम 13)।

114. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का महाराष्ट्र अधिनियम 50)।

115. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 का उड़ीसा अधिनियम 13)।

116. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1967 का उड़ीसा अधिनियम 8)।

117. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1967 (1967 का उड़ीसा अधिनियम 13)।

118. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का उड़ीसा अधिनियम 13)।

119. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1970 का उड़ीसा अधिनियम 18)।

120. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973)।

121. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975)।

122. त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का त्रिपुरा अधिनियम 3)।

123. दादरा और नागर हवेली भूमि सुधार विनियम, 1971 (1971 का 3)।

124. दादरा और नागर हवेली भूमि सुधार (संशोधन) विनियम, 1973 (1973 का 5)।

[1][125. मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का केन्द्रीय अधिनियम 4) की धारा 66क और अध्याय 4क[2]।

126. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10)।

127. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 13)।

128. बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 19)।

129. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 20)।

[3]* * * *

131. लेवी चीनी समान कीमत निधि अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 31)।

---

[1]संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित।

[2]अब मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के सुसंगत उपबंध देखें।

[3]संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 44 द्वारा (20-6-1979 से) प्रविष्टि 130 का लोप किया गया।

132. नगर-भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 33)।

133. संघ लेखा विभागीकरण (कार्मिक अंतरण) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 59)।

134. असम अधिकतम भूमि जोत सीमा नियतन अधिनियम, 1956 (1957 का असम अधिनियम 1)।

135. मुंबई अभिधृति और कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम, 1958 (1958 का मुंबई अधिनियम 99)।

136. गुजरात प्राइवेट वन (अर्जन) अधिनियम, 1972 (1973 का गुजरात अधिनियम 14)।

137. हरियाणा भूमि-जोत की अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का हरियाणा अधिनियम 17)।

138. हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 8)।

139. हिमाचल प्रदेश ग्राम शामिलाती भूमि निधान और उपयोजन अधिनियम, 1974 (1974 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 18)।

140. कर्नाटक भूमि सुधार (दूसरा संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1974 (1974 का कर्नाटक अधिनियम 31)।

141. कर्नाटक भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का कर्नाटक अधिनियम 27)।

142. केरल बेदखली निवारण अधिनियम, 1966 (1966 का केरल अधिनियम 12)।

143. तिरुप्पुवारम् संदाय (उत्सादन) अधिनियम, 1969 (1969 का केरल अधिनियम 19)।

144. श्री पादम् भूमि विमुक्ति अधिनियम, 1969 (1969 का केरल अधिनियम 20)।

145. श्रीपणडारवका भूमि (निधान और विमुक्ति) अधिनियम, 1971 (1971 का केरल अधिनियम 20)।

146. केरल प्राइवेट वन (निधान और समनुदेशन) अधिनियम, 1971 (1971 का केरल अधिनियम 26)।

147. केरल कृषि कर्मकार अधिनियम, 1974 (1974 का केरल अधिनियम 18)।

148. केरल काजू कारखाना (अर्जन) अधिनियम, 1974 (1974 का केरल अधिनियम 29)।

149. केरल चिट्टी अधिनियम, 1975 (1975 का केरल अधिनियम 23)।

150. केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि के अंतरण पर निर्बंधन और अन्य-संक्रांत भूमि का प्रत्यावर्तन) अधिनियम, 1975 (1975 का केरल अधिनियम 31)।

151. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का केरल अधिनियम 15)।

152. काणम् अभिधृति उत्सादन अधिनियम, 1976 (1976 का केरल अधिनियम 16)।

153. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1974 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 20 सन् 1974)।

154. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1975 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1976)।

155. पश्चिमी खानदेश मेहवासी संपदा (सांपत्तिक अधिकार उत्सादन, आदि) विनियम, 1961 (1962 का महाराष्ट्र विनियम 1)।

156. महाराष्ट्र अनुसूचित जनजातियों को भूमि का प्रत्यावर्तन अधिनियम, 1974 (1975 का महाराष्ट्र अधिनियम 14)।

157. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा घटाना) और (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1975 का महाराष्ट्र अधिनियम 21)।

158. महाराष्ट्र प्राइवेट वन (अर्जन) अधिनियम, 1975 (1975 का महाराष्ट्र अधिनियम 29)।

159. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा घटाना) और (संशोधन) संशोधन अधिनियम, 1975 (1975 का महाराष्ट्र अधिनियम 47)।

160. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1976 का महाराष्ट्र अधिनियम 2)।

161. उड़ीसा संपदा उत्सादन अधिनियम, 1951 (1952 का उड़ीसा अधिनियम 1)।

162. राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम 27)।

163. राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की संपदा का अर्जन अधिनियम, 1963 (1964 का राजस्थान अधिनियम सं. 11)।

164. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का राजस्थान अधिनियम सं. 8)।

165. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का राजस्थान अधिनियम सं. 12)।

166. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा घटाना) अधिनियम, 1970 (1970 का तमिलनाडु अधिनियम 17)।

167. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1971 (1971 का तमिलनाडु अधिनियम 41)।

168. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का तमिलनाडु अधिनियम 10)।

169. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का तमिलनाडु अधिनियम 20)।

170. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) तीसरा संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का तमिलनाडु अधिनियम 37)।

171. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) चौथा संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का तमिलनाडु अधिनियम 39)।

172. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) छठा संशोधन अधिनियम, 1972 (1974 का तमिलनाडु अधिनियम 7)।

173. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) पांचवां संशोधन अधिनियम, 1972 (1974 का तमिलनाडु अधिनियम 10)।

174. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का तमिलनाडु अधिनियम 15)।

175. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) तीसरा संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का तमिलनाडु अधिनियम 30)।

176. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का तमिलनाडु अधिनियम 32)।

177. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1975 (1975 का तमिलनाडु अधिनियम 11)।

178. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1975 (1975 का तमिलनाडु अधिनियम 21)।

179. उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1971) तथा उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1974) द्वारा 1950 ई. का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951) में किए गए संशोधन।

180. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976)।

181. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 28)।

182. पश्चिमी बंगाल अन्य-संक्रांत भूमि का प्रत्यावर्तन अधिनियम, 1973 (1973 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23)।

183. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 33)।

184. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23)।

185. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 12)।

186. दिल्ली भूमि जोत (अधिकतम सीमा) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 15)।

187. गोवा, दमण और दीव मुंडकार (बेदखली से संरक्षण) अधिनियम, 1975 (1976 का गोवा, दमण और दीव अधिनियम 1)।

188. पांडिचेरी भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) अधिनियम, 1973 (1974 का पांडिचेरी अधिनियम 9)।]

[1][189. असम (अस्थायी रूप से व्यवस्थापित क्षेत्र) अभिधृति अधिनियम, 1971 (1971 का असम अधिनियम 23)।

190. असम (अस्थायी रूप से व्यवस्थापित क्षेत्र) अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का असम अधिनियम 18)।

191. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) (संशोधी) अधिनियम, 1974 (1975 का बिहार अधिनियम 13)।

[1]संविधान (सैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 2 द्वारा (26-8-1984 से) अंत:स्थापित।

192. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का बिहार अधिनियम 22)।

193. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का बिहार अधिनियम 7)।

194. भूमि अर्जन (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1979 (1980 का बिहार अधिनियम 2)।

195. हरियाणा (भूमि-जोत की अधिकतम सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का हरियाणा अधिनियम 14)।

196. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1978 (1978 का तमिलनाडु अधिनियम 25)।

197. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1979 (1979 का तमिलनाडु अधिनियम 11)।

198. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 15)।

199. पश्चिमी बंगाल अन्य-संक्रांत भूमि का प्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 24)।

200. पश्चिमी बंगाल अन्य-संक्रांत भूमि का प्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 56)।

201. गोवा, दमण और दीव कृषि अभिधृति अधिनियम, 1964 (1964 का गोवा, दमण और दीव अधिनियम 7)।

202. गोवा, दमण और दीव कृषि अभिधृति (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का गोवा, दमण और दीव अधिनियम 17)।]

[1][203. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण विनियम, 1959 (1959 का आंध्र प्रदेश विनियम 1)।

204. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र विधि (विस्तारण और संशोधन) विनियम, 1963 (1963 का आंध्र प्रदेश विनियम 2)।

205. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण (संशोधन) विनियम, 1970 (1970 का आंध्र प्रदेश विनियम 1)।

---

[1]संविधान (छियासठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।

206. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण (संशोधन) विनियम, 1971 (1971 का आंध्र प्रदेश विनियम 1)।

207. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण (संशोधन) विनियम, 1978 (1978 का आंध्र प्रदेश विनियम 1)।

208. बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (1885 का बिहार अधिनियम 8)।

209. छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (1908 का बंगाल अधिनियम 6) (अध्याय 8-धारा 46, धारा 47, धारा 48, धारा 48क और धारा 49, अध्याय 10-धारा 71, धारा 71क और धारा 71ख और अध्याय 18-धारा 240, धारा 241, धारा 242)।

210. संथाल परगना काश्तकारी (पूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949 (1949 का बिहार अधिनियम 14) धारा 53 को छोड़कर।

211. बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 (1969 का बिहार विनियम 1)।

212. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का बिहार अधिनियम 55)।

213. गुजरात देवस्थान इनाम उत्सादन अधिनियम, 1969 (1969 का गुजरात अधिनियम 16)।

214. गुजरात अभिधृति विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का गुजरात अधिनियम 37)।

215. गुजरात अधिकतम कृषि भूमि सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति अधिनियम 43)।

216. गुजरात देवस्थान इनाम उत्सादन (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का गुजरात अधिनियम 27)।

217. गुजरात अभिधृति विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का गुजरात अधिनियम 30)।

218. मुंबई भू-राजस्व (गुजरात दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का गुजरात अधिनियम 37)।

219. मुम्बई भू-राजस्व संहिता और भूधृति उत्सादन विधि (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का गुजरात अधिनियम 8)।

220. हिमाचल प्रदेश भूमि अंतरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 15)।

221. हिमाचल प्रदेश भूमि अंतरण (विनियम) (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 16)।

222. कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कतिपय भूमि अतंरण प्रतिषेध) अधिनियम, 1978 (1979 का कर्नाटक अधिनियम 2)।

223. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का केरल अधिनियम 13)।

224. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 का केरल अधिनियम 19)।

225. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का मध्य प्रदेश अधिनियम 61)।

226. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का मध्य प्रदेश अधिनियम 15)।

227. मध्य प्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1981 (1981 का मध्य प्रदेश अधिनियम 11)।

228. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976 (1984 का मध्य प्रदेश अधिनियम 1)।

229. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का मध्य प्रदेश अधिनियम 14)।

230. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का मध्य प्रदेश अधिनियम 8)।

231. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, 1966 (1966 का महाराष्ट्र अधिनियम 41) धारा 36, धारा 36क और धारा 36ख।

232. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता और महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति भूमि प्रत्यावर्तन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 (1977 का महाराष्ट्र अधिनियम 30)।

233. महाराष्ट्र कतिपय भूमि में खानों और खनिजों के विद्यमान सांपत्तिक अधिकारों का उत्सादन अधिनियम, 1985 (1985 का महाराष्ट्र अधिनियम 16)।

234. उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) स्थावर संपत्ति अंतरण विनियम, 1956 (1956 का उड़ीसा विनियम 2)।

235. उड़ीसा भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1975 (1976 का उड़ीसा अधिनियम 29)।

236. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का उड़ीसा अधिनियम 30)।

237. उड़ीसा भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का उड़ीसा अधिनियम 44)।

238. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का राजस्थान अधिनियम 12)।

239. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का राजस्थान अधिनियम 13)।

240. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 21)।

241. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1979 (1980 का तमिलनाडु अधिनियम 8)।

242. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1980 (1980 का तमिलनाडु अधिनियम 21)।

243. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का तमिलनाडु अधिनियम 59)।

244. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1983 (1984 का तमिलनाडु अधिनियम 2)।

245. उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 20)।

246. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 18)।

247. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 11)।

248. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23)।

249. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 36)।

250. पश्चिमी बंगाल भूमि जोत राजस्व अधिनियम, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 44)।

251. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 41)।

252. पश्चिमी बंगाल भूमि जोत राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 33)।

253. कलकत्ता ठेका अभिधृति (अर्जन और विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 37)।

254. पश्चिमी बंगाल भूमि जोत राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23)।

255. कलकत्ता ठेका अभिधृति (अर्जन और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 41)।

256. माहे भूमि सुधार अधिनियम, 1968 (1968 का पांडिचेरी अधिनियम 1)।

257. माहे भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1981 का पांडिचेरी अधिनियम 1)।]

[1][257क. तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (राज्य के अधीन शिक्षा संस्थाओं में स्थानों और सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 1993 (1994 का तमिलनाडु अधिनियम 45)।]

[2][258. बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि अभिधृति अधिनियम, 1947 (1948 का बिहार अधिनियम 4)।

259. बिहार चकबंदी और खंडकरण निवारण अधिनियम, 1956 (1956 का बिहार अधिनियम 22)।

260. बिहार चकबंदी और खंडकरण निवारण अधिनियम, 1970 (1970 का बिहार अधिनियम 7)।

261. बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1970 का बिहार अधिनियम 9)।

262. बिहार चकबंदी और खंडकरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1975 का बिहार अधिनियम 27)।

263. बिहार चकबंदी और खंडकरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1982 का बिहार अधिनियम 35)।

---

[1]संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1994 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।

[2]संविधान (अठहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 258 से 284 तक अंत:स्थापित।

264. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का बिहार अधिनियम 21)।

265. बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का बिहार अधिनियम 11)।

266. बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1990 का बिहार अधिनियम 11)।

267. कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कतिपय भूमि अंतरण प्रतिषेध) (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का कर्नाटक अधिनियम 3)।

268. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का केरल अधिनियम 16)।

269. केरल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1989 (1990 का केरल अधिनियम 2)।

270. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1990 का उड़ीसा अधिनियम 9)।

271. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1979 (1979 का राजस्थान अधिनियम 16)।

272. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 2)।

273. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का राजस्थान अधिनियम 12)।

274. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1983 (1984 का तमिलनाडु अधिनियम 3)।

275. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1986 (1986 का तमिलनाडु अधिनियम 57)।

276. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1987 (1988 का तमिलनाडु अधिनियम 4)।

277. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का तमिलनाडु अधिनियम 30)।

278. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 50)।

279. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 5)।

280. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 19)।

281. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 35)।

282. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23)।

283. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1990 (1990 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 24)।

284. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार अधिकरण अधिनियम, 1991 (1991 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 12)।

स्पष्टीकरण—राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 3) के अधीन, अनुच्छेद 31क के खंड (1) के दूसरे परंतुक के उल्लंघन में किया गया अर्जन उस उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा।]

नमो बुद्धाय। जय भीम।
जय भीम समुदाय
शिक्षित बनो, शिक्षा का दान करो

[1][दसवीं अनुसूची

[अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191(2)]

दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध

1. निर्वचन—इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''सदन'' से, संसद् का कोई सदन या किसी राज्य की, यथास्थिति, विधान सभा या, विधान-मंडल का कोई सदन अभिप्रेत है;

(ख) सदन के किसी ऐसे सदस्य के संबंध में, जो यथास्थिति, पैरा 2 [2]*** या पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, ''विधान-दल'' से, उस सदन के ऐसे सभी सदस्यों का समूह अभिप्रेत है जो उक्त उपबंधों के अनुसार तत्समय उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं;

(ग) सदन के किसी सदस्य के संबंध में, ''मूल राजनीतिक दल'' से ऐसा राजनीतिक दल अभिप्रेत है जिसका वह पैरा 2 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए सदस्य है;

(घ) ''पैरा'' से इस अनुसूची का पैरा अभिप्रेत है।

2. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता—(1) [3][पैरा 4 और पैरा 5] के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा जिसमें—

(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; या

(ख) वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है।

---

[1]संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 6 द्वारा (1-3-1985 से) जोड़ा गया।

[2]संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा ''या पैरा 3'' शब्दों का लोप किया गया।

[3]संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण—इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) सदन के किसी निर्वाचित सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का, यदि कोई हो, सदस्य है जिसने उसे ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया था;

(ख) सदन के किसी नामनिर्देशित सदस्य के बारे में,—

(*i*) उस दशा में, जिसमें वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने नामनिर्देशन की तारीख को किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का सदस्य है;

(*ii*) किसी अन्य दशा में, यह समझा जाएगा कि वह उस राजनीतिक दल का सदस्य है जिसका, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पूर्व वह, यथास्थिति, सदस्य बनता है या पहली बार बनता है।

(2) सदन का कोई निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

(3) सदन का कोई नामनिर्देशित सदस्य, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

(4) इस पैरा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो, संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ पर, सदन का सदस्य है (चाहे वह निर्वाचित सदस्य हो या नामनिर्देशित)—

(i) उस दशा में, जिसमें वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले किसी राजनीतिक दल का सदस्य था वहां, इस पैरा के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी के रूप में ऐसे सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ है;

(ii) किसी अन्य दशा में, यथास्थिति, इस पैरा के उप-पैरा (2) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह सदन का ऐसा निर्वाचित सदस्य है जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है या, इस पैरा के उप-पैरा (3) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह सदन का नामनिर्देशित सदस्य है।

[1]* * * * *

4. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का विलय की दशा में लागू न होना—(1) सदन का कोई सदस्य पैरा 2 के उप-पैरा (1) के अधीन निरर्हित नहीं होगा यदि उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और वह यह दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य—

(क) यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल के या ऐसे विलय से बने नए राजनीतिक दल के सदस्य बन गए हैं; या

(ख) उन्होंने विलय स्वीकार नहीं किया है और एक पृथक् समूह के रूप में कार्य करने का विनिश्चय किया है, और ऐसे विलय के समय से, यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल या नए राजनीतिक दल या समूह के बारे में यह समझा जाएगा कि वह, पैरा 2 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वह सदस्य है और वह इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए उसका मूल राजनीतिक दल है।

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय हुआ तभी समझा जाएगा जब संबंधित विधान-दल के कम से कम दो तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हैं।

5. छूट—इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् के सभापति या उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ है, इस अनुसूची के अधीन निरर्हित नहीं होगा,—

(क) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है और उसके पश्चात् जब तक वह पद धारण किए रहता है तब तक, उस राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता है या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता है; या

(ख) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण, ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता छोड़ देता है और ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात् ऐसे राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है।

---

[1]संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा लोप किया गया।

6. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय—(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न, ऐसे सदन के, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परंतु जहां यह प्रश्न उठता है कि सदन का सभापति या अध्यक्ष निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं वहां वह प्रश्न सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता के बारे में किसी प्रश्न के संबंध में इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन सभी कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे, यथास्थिति, अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद् की कार्यवाहियां हैं या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधान-मंडल की कार्यवाहियां हैं।

[1]**7. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन**—इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी।

8. नियम—(1) इस पैरा के उप-पैरा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का सभापति या अध्यक्ष, इस अनुसूची के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा तथा विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) सदन के विभिन्न सदस्य जिन राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, उनके बारे में रजिस्टर या अन्य अभिलेख रखना;

(ख) ऐसा प्रतिवेदन जो सदन के किसी सदस्य के संबंध में विधान-दल का नेता, उस सदस्य की बाबत पैरा 2 के उप-पैरा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की माफी के संबंध में देगा, वह समय जिसके भीतर और वह प्राधिकारी जिसको ऐसा प्रतिवेदन दिया जाएगा;

(ग) ऐसे प्रतिवेदन जिन्हें कोई राजनीतिक दल सदन के किसी सदस्य को ऐसे राजनीतिक दल में प्रविष्ट करने के संबंध में देगा और सदन का ऐसा अधिकारी जिसको ऐसे प्रतिवेदन दिए जाएंगे; और

(घ) पैरा 6 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसी जांच की प्रक्रिया है, जो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए की जाए।

---

[1]पैरा 7 को किहोतो होलोहन बनाम जेचिल्हु और अन्य (1992) 1 एस.सी.सी. 309 में बहुमत की राय के अनुसार अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के अनुसार अधिसूचना के अभाव में अविधिमान्य घोषित किया गया।

(2) सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन बनाए गए नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, सदन के समक्ष, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। वे नियम तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होंगे जब तक कि उनका सदन द्वारा परिवर्तनों सहित या उनके बिना पहले ही अनुमोदन या अननुमोदन नहीं कर दिया जाता है। यदि वे नियम इस प्रकार अनुमोदित कर दिए जाते हैं तो वे, यथास्थिति, ऐसे रूप में जिसमें वे रखे गए थे या ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होंगे। यदि नियम इस प्रकार अननुमोदित कर दिए जाते हैं तो वे निष्प्रभाव हो जाएंगे।

(3) सदन का सभापति या अध्यक्ष, यथास्थिति, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 194 के उपबंधों पर और किसी ऐसी अन्य शक्ति पर जो उसे इस संविधान के अधीन प्राप्त है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह निदेश दे सकेगा कि इस पैरा के अधीन बनाए गए नियमों के किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किए गए किसी उल्लंघन के बारे में उसी रीति से कार्रवाई की जाए जिस रीति से सदन के विशेषाधिकार के भंग के बारे में की जाती है।]

नमो बुद्धाय। जय भीम।
जय भीम समुदाय
शिक्षित बनो, शिक्षा का दान करो

[1][ग्यारहवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 243छ)

1. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि-विस्तार है।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जलविभाजक क्षेत्र का विकास।
4. पशुपालन, डेरी उद्योग और कुक्कुट-पालन।
5. मत्स्य उद्योग।
6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी।
7. लघु वन उपज।
8. लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं।
9. खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण आवासन।
11. पेयजल।
12. ईंधन और चारा।
13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है।
15. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।

---

[1]संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 4 द्वारा (24-4-1993 से) अंत:स्थापित।

20. पुस्तकालय।

21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप।

22. बाजार और मेले।

23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं।

24. परिवार कल्याण।

25. महिला और बाल विकास।

26. समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है।

27. दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।

28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।]

जय भीम समुदाय
शिक्षित बनो, शिक्षा का दान करो

[1][बारहवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 243ब)

1. नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है।

2. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण।

3. आर्थिक और सामाजिक विकास योजना।

4. सड़कें और पुल।

5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय।

6. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा-करकट प्रबंध।

7. अग्निशमन सेवाएं।

8. नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि।

9. समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा।

10. गंदी-बस्ती सुधार और प्रोन्नयन।

11. नगरीय निर्धनता उन्मूलन।

12. नगरीय सुख-सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था।

13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि।

14. शव गाड़ना और कब्रिस्तान; शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह।

15. कांजी हाउस; पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।

16. जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है।

17. सार्वजनिक सुख-सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं।

18. वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन।]

---

[1]संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 4 द्वारा (1-6-1993 से) अंत:स्थापित।

परिशिष्ट 1

[1]संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954

सं.आ. 48

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से, निम्नलिखित आदेश करते हैं:—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 है।

(2) यह 14 मई, 1954 को प्रवृत्त होगा, और ऐसा होने पर संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1950 को अधिक्रांत कर देगा।

2. [2][संविधान के अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 370 के अतिरिक्त उसके 20 जून, 1964 को यथा प्रवृत्त और संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966, संविधान (इक्कीसवां संशोधन) अधिनियम, 1967, संविधान (तेईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969 की धारा 5, संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971, संविधान (पच्चीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 2, संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971, संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972, संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 2, संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 2, संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 2, 5, 6 और 7, संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975, संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 2, 3 और 6 और संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा यथासंशोधित, जो उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे और वे अपवाद और उपांतरण जिनके अधीन वे इस प्रकार लागू होंगे, निम्नलिखित होंगे:—]

---

[1]विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि.आ. 1610, तारीख 14 मई, 1954 भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3, पृष्ठ 821 में प्रकाशित।

[2]प्रारंभ में आने वाले शब्द संविधान आदेश 56, संविधान आदेश 74, संविधान आदेश 76, संविधान आदेश 79, संविधान आदेश 89, संविधान आदेश 91, संविधान आदेश 94, संविधान आदेश 98, संविधान आदेश 103, संविधान आदेश 104, संविधान आदेश 105, संविधान आदेश 108, संविधान आदेश 136 और तत्पश्चात् संविधान आदेश 141 द्वारा संशोधित होकर उपरोक्त रूप में आए।

(1) उद्देशिका

(2) भाग 1

अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित और परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि जम्मू-कश्मीर राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने या उस राज्य के नाम या उसकी सीमा में परिवर्तन करने का उपबंध करने वाला कोई विधेयक उस राज्य के विधान-मंडल की सहमति के बिना संसद् में पुर:स्थापित नहीं किया जाएगा।''।

(3) भाग 2

(क) यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में 26 जनवरी, 1950 से लागू समझा जाएगा।

(ख) अनुच्छेद 7 में निम्नलिखित और परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि इस अनुच्छेद की कोई बात जम्मू-कश्मीर राज्य के ऐसे स्थायी निवासी को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्यक्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन करने के पश्चात् उस राज्य के क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो उस राज्य में पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है, तथा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा।''।

(4) भाग 3

(क) अनुच्छेद 13 में, संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस आदेश के प्रारंभ के प्रति निर्देश है।

[1]* * * * * * *

(ग) अनुच्छेद 16 के खंड (3) में, राज्य के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं है।

(घ) अनुच्छेद 19 में, इस आदेश के प्रारंभ से [2][[3][पच्चीस] वर्ष] की अवधि के लिए,—

(i) खंड (3) और (4) में, ''अधिकार के प्रयोग पर'' शब्दों के पश्चात् ''राज्य की सुरक्षा या'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

---

[1]संविधान आदेश 124 द्वारा (4-2-1985 से) खंड (ख) का लोप किया गया।
[2]संविधान आदेश 69 द्वारा ''दस वर्ष'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3]संविधान आदेश 97 द्वारा ''बीस'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ii) खंड (5) में, ''या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए'' शब्दों के स्थान पर ''अथवा राज्य की सुरक्षा के हितों के लिए'' शब्द रखे जाएंगे; और

(iii) निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

'(7) खंड (2), (3), (4) और (5) में आने वाले ''युक्तियुक्त निर्बंधन'' शब्दों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे निर्बंधन ऐसे हैं जिन्हें समुचित विधान-मंडल युक्तियुक्त समझता है।'।

(ङ) अनुच्छेद 22 के खंड (4) में ''संसद्'' शब्द के स्थान पर, ''राज्य विधान-मंडल'' शब्द रखे जाएंगे और खंड (7) में ''संसद् विधि द्वारा विहित कर सकेगी'' शब्दों के स्थान पर ''राज्य विधान-मंडल विधि द्वारा विहित कर सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

(च) अनुच्छेद 31 में, खंड (3), (4) और (6) का लोप किया जाएगा, और खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(5) खंड (2) की कोई बात—

(क) किसी वर्तमान विधि के उपबंधों पर, अथवा

(ख) किसी ऐसी विधि के उपबंधों पर, जिसे राज्य इसके पश्चात्—

(i) किसी कर या शास्ति के अधिरोपण या उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए; अथवा

(ii) सार्वजनिक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि या प्राण या संपत्ति के संकट-निवारण के लिए; अथवा

(iii) ऐसी संपत्ति की बाबत, जो विधि द्वारा निष्क्रांत संपत्ति घोषित की गई है,

बनाए,

कोई प्रभाव नहीं डालेगी।''।

(छ) अनुच्छेद 31क में खंड (1) के परन्तुक का लोप किया जाएगा; और खंड (2) के उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(क) ''संपदा'' से ऐसी भूमि अभिप्रेत होगी जो कृषि के प्रयोजनों के लिए या कृषि के सहायक प्रयोजनों के लिए या चरागाह के लिए अधिभोग में है या पट्टे पर दी गई है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:—

(i) ऐसी भूमि पर भवनों के स्थल और अन्य संरचनाएं;

(ii) ऐसी भूमि पर खड़े वृक्ष;

(iii) वन भूमि और वन्य बंजर भूमि;

(iv) जल से ढके क्षेत्र और जल पर तैरते हुए खेत;

(v) जंदर और घराट स्थल;

(vi) कोई जागीर, इनाम, मुआफी या मुकर्ररी या इसी प्रकार का अन्य अनुदान,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं:—

(i) किसी नगर, या नगरक्षेत्र या ग्राम आबादी में कोई भवन-स्थल या किसी ऐसे भवन या स्थल से अनुलग्न कोई भूमि;

(ii) कोई भूमि जो किसी नगर या ग्राम के स्थल के रूप में अधिभोग में है; या

(iii) किसी नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र या छावनी या नगरक्षेत्र में या किसी क्षेत्र में, जिसके लिए कोई नगर योजना स्कीम मंजूर की गई है, भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए आरक्षित कोई भूमि।'।

[1][(ज) अनुच्छेद 32 में, खंड (3) का लोप किया जाएगा।]

(झ) अनुच्छेद 35 में,—

(*i*) संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस आदेश के प्रारंभ के प्रति निर्देश हैं;

(*ii*) खंड (क) (i) में, ''अनुच्छेद 16 के खंड (3), अनुच्छेद 32 के खंड (3)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा; और

(*iii*) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

''(ग) संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात्, निवारक निरोध की बाबत जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि वह इस भाग के उपबंधों में से किसी से असंगत है, किन्तु ऐसी कोई विधि उक्त आदेश के प्रारंभ से [2][[3][पच्चीस] वर्ष] के अवसान पर, ऐसी असंगति की मात्रा तक, उन बातों के सिवाय प्रभावहीन हो जाएगी जिन्हें उनके अवसान के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है।''।

---

[1]संविधान आदेश 89 द्वारा खंड (ज) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2]संविधान आदेश 69 द्वारा ''दस वर्ष'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3]संविधान आदेश 97 द्वारा ''बीस'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ञ) अनुच्छेद 35 के पश्चात् निम्नलिखित नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

''35क. **स्थायी निवासियों और उनके अधिकारों की बाबत विधियों की व्यावृत्ति**—इस संविधान में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई विद्यमान विधि और इसके पश्चात् राज्य के विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित ऐसी कोई विधि—

(क) जो उन व्यक्तियों के वर्गों को परिभाषित करती है जो जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी हैं या होंगे, या

(ख) जो—

(i) राज्य सरकार के अधीन नियोजन;

(ii) राज्य में स्थावर संपत्ति के अर्जन;

(iii) राज्य में बस जाने; या

(iv) छात्रवृत्तियों के या ऐसी अन्य प्रकार की सहायता के जो राज्य सरकार प्रदान करे, अधिकार,

की बाबत ऐसे स्थायी निवासियों को कोई विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदत्त करती है या अन्य व्यक्तियों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित करती है, इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि वह इस भाग के किसी उपबंध द्वारा भारत के अन्य नागरिकों को प्रदत्त किन्हीं अधिकारों से असंगत है या उनको छीनती या न्यून करती है।''।

(5) भाग 5

[1][(क) अनुच्छेद 55 के प्रयोजनों के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की जनसंख्या तिरसठ लाख समझी जाएगी;

(ख) अनुच्छेद 81 में, खंड (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''(2) खंड (1) के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) लोक सभा में राज्य को छह स्थान आबंटित किए जाएंगे;

(ख) परिसीमन अधिनियम, 1972 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा राज्य को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो आयोग उचित समझे, एक सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा;

[1]संविधान आदेश 98 द्वारा खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ग) निर्वाचन-क्षेत्र में, यथासाध्य, भौगोलिक रूप से संहत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय प्राकृतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं और लोक सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा;

(घ) उन निर्वाचन-क्षेत्रों में, जिनमें राज्य विभाजित किया जाए, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र समाविष्ट नहीं होंगे।

(3) खंड (2) की कोई बात लोक सभा में राज्य के प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं डालेगी जब तक परिसीमन अधिनियम, 1972 के अधीन संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित परिसीमन आयोग के अंतिम आदेश या आदेशों के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को विद्यमान सदन का विघटन न हो जाए।

(4) (क) परिसीमन आयोग राज्य की बाबत अपने कर्त्तव्यों में अपनी सहायता करने के प्रयोजन के लिए अपने साथ पांच व्यक्तियों को सहयोजित करेगा जो राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य होंगे।

(ख) राज्य से इस प्रकार सहयोजित किए जाने वाले व्यक्ति सदन की संरचना का सम्यक् ध्यान रखते हुए लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(ग) उपखंड (ख) के अधीन किए जाने वाले प्रथम नामनिर्देशन, लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) दूसरा संशोधन आदेश, 1974 के प्रारंभ से दो मास के भीतर किए जाएंगे।

(घ) किसी भी सहयोजित सदस्य को परिसीमन आयोग के किसी विनिश्चय पर मत देने या हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा।

(ङ) यदि मृत्यु या पदत्याग के कारण किसी सहयोजित सदस्य का पद रिक्त हो जाता है तो उसे लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा और उप खंड (क) और (ख) के उपबंधों के अनुसार यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा।''।]

[1][(ग) अनुच्छेद 133 में खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(1क) संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 3 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में इस उपांतरण के अधीन लागू होंगे

[1]संविधान आदेश 98 द्वारा अंत:स्थापित।

कि उसमें ''इस अधिनियम'', ''इस अधिनियम के प्रारंभ'', ''यह अधिनियम पारित नहीं किया गया हो'' और ''इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उस खंड के उपबंधों की'' के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे क्रमश: ''संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) दूसरा संशोधन आदेश, 1974'', ''उक्त आदेश के प्रारंभ'', ''उक्त आदेश पारित नहीं किया गया हो'' और ''उक्त खंड के उपबंधों, जैसे कि वे उक्त आदेश के प्रारंभ के पश्चात् हों'' के प्रति निर्देश हैं']।

[1][(घ)] अनुच्छेद 134 के खंड (2) में ''संसद्'' शब्द के पश्चात् ''राज्य के विधान-मंडल के अनुरोध पर'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

[1][(ङ)] अनुच्छेद 135 [2]*** और 139 का लोप किया जाएगा।

[3]* * * * * *

[4][**(5क) भाग 6**

[5][(क) अनुच्छेद 153 से 217 तक, अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 223, 224, 224क और 225 तथा अनुच्छेद 227 से 237 तक का लोप किया जाएगा।]

(ख) अनुच्छेद 220 में, संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 1960 के प्रति निर्देश हैं।

[6][(ग) अनुच्छेद 222 में, खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(1क) प्रत्येक ऐसा अंतरण जो जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय से अथवा उस उच्च न्यायालय को हो, राज्यपाल के परामर्श के पश्चात् किया जाएगा।'']

---

[1]संविधान आदेश 98 द्वारा खंड (ग) और खंड (घ) को खंड (घ) और खंड (ङ) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया।

[2]संविधान आदेश 60 द्वारा अंक ''136'' का लोप किया गया।

[3]संविधान आदेश 56 द्वारा खंड (च) और खंड (छ) का लोप किया गया।

[4]संविधान आदेश 60 द्वारा (26-1-1960 से) अंत:स्थापित।

[5]संविधान आदेश 89 द्वारा खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6]संविधान आदेश 74 द्वारा (24-11-1965 से) खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(6) भाग 11

[1][(क) अनुच्छेद 246 के खंड (1) में आने वाले "खंड (2) और खंड (3)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "खंड (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे और खंड (2) में आने वाले "खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का तथा संपूर्ण खंड (3) और खंड (4) का लोप किया जाएगा।]

[2][[3][(ख) अनुच्छेद 248 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाएगा, अर्थात्:—

"**248.** अवशिष्ट विधायी शक्तियां—संसद् को,—

[4][(क) विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या जनता या जनता के किसी अनुभाग में आतंक उत्पन्न करने या जनता के किसी अनुभाग को पृथक करने या जनता के विभिन्न अनुभागों के बीच समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आतंकवादी कार्यों को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलाप को रोकने के संबंध में;]

[5][(कक) भारत की प्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता को अनअंगीकृत, प्रश्नगत या विच्छिन्न करने अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण कराने अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग को संघ से विलग कराने वाले अथवा भारत के राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रगान और इस संविधान का अपमान करने वाले [6][अन्य क्रियाकलाप को रोकने] के संबंध में; और

(ख) (*i*) समुद्र या वायु द्वारा विदेश यात्रा पर;

(*ii*) अंतर्देशीय विमान यात्रा पर;

(*iii*) मनीआर्डर, फोनतार और तार को सम्मिलित करते हुए, डाक वस्तुओं पर,

कर लगाने के संबंध में,

विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।"।]

---

[1]संविधान आदेश 66 द्वारा खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2]संविधान आदेश 85 द्वारा खंड (ख) और खंड (खख), मूल खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3]संविधान आदेश 93 द्वारा खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[4]संविधान आदेश 122 द्वारा अंत:स्थापित।
[5]संविधान आदेश 122 द्वारा खंड (क) को खंड (कक) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया।
[6]संविधान आदेश 122 द्वारा "क्रियाकलापों को रोकने" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][**स्पष्टीकरण**—इस अनुच्छेद में, ''आतंकवादी कार्य'' से बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों का या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का (चाहे वे जैव हों या अन्य) उपयोग करके किया गया कोई कार्य या बात अभिप्रेत है।]

[2][(खख) अनुच्छेद 249 के खंड (1) में, ''राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में, जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है, शब्दों के स्थान पर ''उस संकल्प में विनिर्दिष्ट ऐसे विषय के संबंध में, जो संघ सूची या समवर्ती सूची में प्रगणित विषय नहीं हैं,'' शब्द रखे जाएंगे।]]

(ग) अनुच्छेद 250 में, ''राज्य-सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में'' शब्दों के स्थान पर ''संघ-सूची में प्रगणित न किए गए विषयों के संबंध में भी'' शब्द रखे जाएंगे।

[3]* * * * * *

(ङ) अनुच्छेद 253 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के प्रारंभ के पश्चात्, जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कोई विनिश्चय भारत सरकार द्वारा उस राज्य की सरकार की सहमति से ही किया जाएगा।''।

[4]* * * * * *

[5][(च)] अनुच्छेद 255 का लोप किया जाएगा।

[5][(छ)] अनुच्छेद 256 को उसके खंड (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

''(2) जम्मू-कश्मीर राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करेगा जिससे उस राज्य के संबंध में संविधान के अधीन संघ के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का संघ द्वारा निर्वहन सुगम हो; और विशिष्टतया उक्त राज्य यदि

---

[1]संविधान आदेश 122 द्वारा अंत:स्थापित।

[2]संविधान आदेश 129 द्वारा खंड (खख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3]संविधान आदेश 129 द्वारा खंड (घ) का लोप किया गया।

[4]संविधान आदेश 66 द्वारा खंड (च) का लोप किया गया।

[5]संविधान आदेश 66 द्वारा खंड (छ) और खंड (ज) को खंड (च) और खंड (छ) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया।

संघ वैसी अपेक्षा करे, संघ की ओर से और उसके व्यय पर संपत्ति का अर्जन या अधिग्रहण करेगा अथवा यदि संपत्ति उस राज्य की हो तो ऐसे निबंधनों पर, जो करार पाए जाएं या करार के अभाव में जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा अवधारित किए जाएं, उसे संघ को अंतरित करेगा।''।

[1]* * * * * *

[2][(ज)] अनुच्छेद 261 के खंड (2) में ''संसद् द्वारा बनाई गई'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

(7) भाग 12

[3]* * * * * *

[4][(क)] अनुच्छेद 267 के खंड (2), अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 283 के खंड (2) [5][और अनुच्छेद 290] का लोप किया गया।

[4][(ख)] अनुच्छेद 266, 282, 284, 298, 299 और 300 में राज्य या राज्यों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं हैं।

[4][(ग)] अनुच्छेद 277 और 295 में, संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस आदेश के प्रारंभ के प्रति निर्देश हैं।

(8) भाग 13

[6]*** अनुच्छेद 303 के खंड (1) में, ''सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर,'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

[6]* * * * * *

---

[1]संविधान आदेश 56 द्वारा खंड (झ) का लोप किया गया।

[2]संविधान आदेश 56 द्वारा खंड (ञ) को खंड (झ) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया और तत्पश्चात् संविधान आदेश 66 द्वारा उसे खंड (ज) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया।

[3]संविधान आदेश 55 द्वारा अंत:स्थापित खंड (क) और खंड (ख) का संविधान आदेश 56 द्वारा लोप किया गया।

[4]संविधान आदेश 55 द्वारा खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) को क्रमश: खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया और तत्पश्चात् संविधान आदेश 56 द्वारा उन्हें क्रमश: खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया।

[5]संविधान आदेश 94 द्वारा ''अनुच्छेद 290 और अनुच्छेद 291'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6]संविधान आदेश 56 द्वारा कोष्ठक और अक्षर ''(क)'' तथा खंड (ख) का लोप किया गया।

(9) भाग 14

[1][अनुच्छेद 312 में, ''राज्यों के'' शब्दों के पश्चात् ''(जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य भी है)'' कोष्ठक और शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।]

[2][**(10) भाग 15**

(क) अनुच्छेद 324 के खंड (1) में, जम्मू-कश्मीर के विधान-मंडल के दोनों सदनों में से किसी सदन के निर्वाचनों के बारे में संविधान के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह जम्मू-कश्मीर के संविधान के प्रति निर्देश है।

[3][(ख) अनुच्छेद 325, 326, 327 और 329 में राज्य के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं है।

(ग) अनुच्छेद 328 का लोप किया जाएगा।

(घ) अनुच्छेद 329 में, ''या अनुच्छेद 328'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।]]

[4][(ङ) अनुच्छेद 329क में, खंड (4) और (5) का लोप किया जाएगा।]

(11) भाग 16

[5]* * * * * *

[6][(क)] अनुच्छेद 331, 332, 333, [7][336 और 337] का लोप किया जाएगा।

[6][(ख)] अनुच्छेद 334 और 335 में राज्य या राज्यों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं हैं।

[8][(ग) अनुच्छेद 339 के खंड (1) में ''राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों'' शब्दों के स्थान पर ''राज्यों की अनुसूचित जनजातियों'' शब्द रखे जाएंगे।]

---

[1]संविधान आदेश 56 द्वारा पूर्ववर्ती उपांतरण के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2]संविधान आदेश 60 द्वारा (26-1-1960 से) उप-पैरा (10) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3]संविधान आदेश 75 द्वारा खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4]संविधान आदेश 105 द्वारा अंत:स्थापित।

[5]संविधान आदेश 124 द्वारा खंड (क) का लोप किया गया।

[6]संविधान आदेश 124 द्वारा खंड (ख) और खंड (ग) को खंड (क) और खंड (ख) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया।

[7]संविधान आदेश 124 द्वारा खंड ''336, 337, 339 और 342'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[8]संविधान आदेश 124 द्वारा अंत:स्थापित।

(12) भाग 17

इस भाग के उपबंध केवल वहीं तक लागू होंगे जहां तक वे—

(i) संघ की राजभाषा,

(ii) एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, अथवा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा, और

(iii) उच्चतम न्यायालय में कार्यवाहियों की भाषा,

से संबंधित है।

(13) भाग 18

(क) अनुच्छेद 352 में निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

''[1][(6)] केवल आंतरिक अशांति या उसका संकट सन्निकट होने के आधार पर की गई आपात की उद्घोषणा (अनुच्छेद 354 की बाबत लागू होने के सिवाय) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में तभी लागू होगी [2][जब वह—

(क) उस राज्य की सरकार के अनुरोध पर या उसकी सहमति से की गई है; या

(ख) जहां वह इस प्रकार नहीं की गई है वहां वह उस राज्य की सरकार के अनुरोध पर या उसकी सहमति से राष्ट्रपति द्वारा बाद में लागू की गई है।]'';

[3][(ख) अनुच्छेद 356 के खंड (1) में, इस संविधान के उपबंधों या उपबंध के प्रति निर्देशों का जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के संविधान के उपबंधों या उपबंध के प्रति निर्देश है;

[4][(खख) अनुच्छेद 356 के खंड (4) में दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'परन्तु यह भी कि जम्मू-कश्मीर राज्य के बारे में 18 जुलाई, 1990 को खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा के मामले में इस खंड के पहले परन्तुक में ''तीन वर्ष'' के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह [5][''सात वर्ष''] के प्रति निर्देश है]'।

---

[1]संविधान आदेश 104 द्वारा ''(4)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2]संविधान आदेश 100 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3]संविधान आदेश 71 द्वारा खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4]संविधान आदेश 151 द्वारा जोड़ा गया।

[5]संविधान आदेश 154 द्वारा ''चार वर्ष'' के स्थान पर और पुन:संविधान आदेश 160 द्वारा ''पांच वर्ष'' के स्थान पर और पुन:संविधान आदेश 162 द्वारा (6-7-1996 से) ''छह वर्ष'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ग) अनुच्छेद 360 का लोप किया जाएगा।

(14) भाग 19

[1]* * * * * *

[2][(क) [3][अनुच्छेद 365] का लोप किया जाएगा।

[4]* * * * * *

[5][(ख)] अनुच्छेद 367 में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(4) इस संविधान के, जैसा कि वह जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होता है, प्रयोजनों के लिए,—

(क) इस संविधान या उसके उपबंधों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उक्त राज्य के संबंध में लागू संविधान के या उसके उपबंधों के प्रति निर्देश भी हैं।

[6][(कक) राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, जम्मू-कश्मीर के सदरे-रियासत के रूप में तत्समय मान्यता प्राप्त तथा तत्समय पदस्थ राज्य मंत्रि-परिषद् की सलाह पर कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के प्रति निर्देश हैं।

(ख) उस राज्य की सरकार के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत अपनी मंत्रि-परिषद् की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के प्रति निर्देश हैं:

परंतु 10 अप्रैल, 1965 से पूर्व की किसी अवधि की बाबत, ऐसे निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत अपनी मंत्रि-परिषद् की सलाह से कार्य कर रहे सदरे-रियासत के प्रति निर्देश हैं;]

(ग) उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश हैं;

---

[1]संविधान आदेश 74 द्वारा खंड (क) का लोप किया गया।
[2]संविधान आदेश 74 द्वारा खंड (ख) को खंड (क) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया।
[3]संविधान आदेश 94 द्वारा "अनुच्छेद 362 और अनुच्छेद 365" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[4]संविधान आदेश 56 द्वारा मूल खंड (ग) का लोप किया गया।
[5]संविधान आदेश 74 द्वारा खंड (ग) को खंड (ख) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया।
[6]संविधान आदेश 74 द्वारा खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1]* * * * * *

[2][(घ)] उक्त राज्य के स्थायी निवासियों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनसे ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें राज्य में प्रवृत्त विधियों के अधीन राज्य की प्रजा के रूप में, संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के प्रारंभ से पूर्व, मान्यता प्राप्त थी या जिन्हें राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा राज्य के स्थायी निवासियों के रूप में मान्यता प्राप्त है; और

[3][(ङ) राज्यपाल के प्रति निर्देशों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के प्रति निर्देश हैं:

परन्तु 10 अप्रैल, 1965 से पूर्व की किसी अवधि की बाबत, ऐसे निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे राष्ट्रपति द्वारा जम्मू-कश्मीर के सदरे-रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति के प्रति निर्देश हैं और उनके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सदरे-रियासत की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त किसी व्यक्ति के प्रति निर्देश भी हैं।]''।

(15) भाग 20

[4][(क)] [5][अनुच्छेद 368 के खंड (2) में] निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि कोई संशोधन जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में तभी प्रभावी होगा जब वह अनुच्छेद 370 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू किया गया हो।'';

[6][(ख)] अनुच्छेद 368 के खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

''(4) जम्मू-कश्मीर संविधान के—

(क) राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों, कृत्यों, कर्तव्यों, उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों या उन्मुक्तियों; या

---

[1]संविधान आदेश 56 द्वारा खंड (घ) का लोप किया गया।
[2]संविधान आदेश 74 द्वारा खंड (ङ) को खंड (घ) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया।
[3]संविधान आदेश 74 द्वारा खंड (ङ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[4]संविधान आदेश 101 द्वारा खंड (क) के रूप में संख्यांकित।
[5]संविधान आदेश 91 द्वारा ''अनुच्छेद 368 में'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[6]संविधान आदेश 101 द्वारा अंत:स्थापित।

(ख) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, विभेद के बिना निर्वाचन नामावलि में सम्मिलित किए जाने की पात्रता, वयस्क मताधिकार और विधान परिषद् के गठन, जो जम्मू-कश्मीर संविधान की धारा 138, 139, 140 और 50 में विनिर्दिष्ट विषय हैं,

से संबंधित किसी उपबंध में या उसके प्रभाव में कोई परिवर्तन करने के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि का कोई प्रभाव तभी होगा जब ऐसी विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने के पश्चात्, उनकी अनुमति प्राप्त कर लेती है।"]।

(16) भाग 21

(क) अनुच्छेद 369, 371, [1][371क,] [2][372क], 373, अनुच्छेद 374 के खंड (1), (2), (3) और (5) और [3][अनुच्छेद 376 से 378क तक का और अनुच्छेद 392] का लोप किया जाएगा।

(ख) अनुच्छेद 372 में,—

(i) खंड (2) और (3) का लोप किया जाएगा;

(ii) भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधि के प्रति निर्देशों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाली हिदायतों, ऐलानों, इश्तिहारों, परिपत्रों, रोबकारों, इरशादों, याददाश्तों, राज्य परिषद् के संकल्पों, संविधान सभा के संकल्पों और अन्य लिखतों के प्रति निर्देश भी होंगे; और

(iii) संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस आदेश के प्रारंभ के प्रति निर्देश हैं।

(ग) अनुच्छेद 374 के खंड (4) में राज्य में प्रिवी कौंसिल के रूप में कार्यरत प्राधिकारी के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह जम्मू-कश्मीर संविधान अधिनियम, संवत् 1996 के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड के प्रति निर्देश है, और संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस आदेश के प्रारंभ के प्रति निर्देश हैं।

---

[1]संविधान आदेश 74 द्वारा अंत:स्थापित।
[2]संविधान आदेश 56 द्वारा अंत:स्थापित।
[3]संविधान आदेश 56 द्वारा "अनुच्छेद 376 से अनुच्छेद 392 तक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(17) भाग 22

अनुच्छेद 394 और 395 का लोप किया जाएगा।

(18) पहली अनुसूची।

(19) दूसरी अनुसूची।

[1]* * * * *

(20) तीसरी अनुसूची

प्ररूप 5, 6, 7 और 8 का लोप किया जाएगा।

(21) चौथी अनुसूची

[2][**(22) सातवीं अनुसूची**

(क) संघ-सूची में,—

(i) प्रविष्टि 3 के स्थान पर ''3. छावनियों का प्रशासन'' प्रविष्टि रखी जाएगी;

[3][(ii) प्रविष्टि 8, 9 [4][और 34], [5]*** प्रविष्टि 79 और प्रविष्टि 81 में, ''अंतर-राज्यीय प्रव्रजन'' शब्दों का लोप किया जाएगा;]

[6]* * * * * *

[7][(iii) प्रविष्टि 72 में,—

(क) किसी ऐसी निर्वाचन याचिका में जिसके द्वारा उस राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचन प्रश्नगत है, जम्मू-कश्मीर राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किए गए किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को अपीलों के संबंध में राज्यों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश है;

---

[1]संविधान आदेश 56 द्वारा पैरा 6 से संबंधित उपांतरण का लोप किया गया।
[2]संविधान आदेश 66 द्वारा उप-पैरा (22) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3]संविधान आदेश 85 द्वारा मद (ii) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[4]संविधान आदेश 92 द्वारा ''34 और 60'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[5]संविधान आदेश 95 द्वारा 'प्रविष्टि 67 में ''और अभिलेख'' शब्दों' शब्दों और अंकों का लोप किया गया।
[6]संविधान आदेश 74 द्वारा मूल मद (iii) का लोप किया गया।
[7]संविधान आदेश 83 द्वारा मद (iii) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ख) अन्य मामलों के संबंध में राज्यों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत उस राज्य के प्रति निर्देश नहीं है; [1][और]]

[2][(iv) प्रविष्टि 97 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

''[3][97. (क) विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या लोगों या लोगों के किसी अनुभाग में आतंक उत्पन्न करने या लोगों के किसी अनुभाग को पृथक् करने या लोगों के विभिन्न अनुभागों के बीच समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आतंकवादी कार्यों को अंतर्वलित करने वाले,

(ख) भारत की प्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता को अनअंगीकृत, प्रश्नगत या विच्छिन्न करने, अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण कराने अथवा भारत राज्यक्षेत्र के भाग को संघ से विलग कराने अथवा भारत के राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्र-गान और इस संविधान का अपमान करने वाले, क्रियाकलाप को रोकना,

समुद्र या वायु द्वारा विदेश यात्रा, अंतर्देशीय विमान यात्रा और डाक वस्तुओं पर जिनके अंतर्गत मनीआर्डर, फोनतार और तार हैं, कर।

स्पष्टीकरण—इस प्रविष्टि में, ''आतंकवादी कार्य'' का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 248 के स्पष्टीकरण में है।]]

(ख) राज्य सूची का लोप किया जाएगा।

[4][(ग) समवर्ती सूची में,—

[5][(i) प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

''1. दंड विधि, (जिसके अंतर्गत सूची 1 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध और सिविल शक्ति की सहायता के लिए नौसेना, वायु सेना या संघ के किन्हीं अन्य सशस्त्र

---

[1]संविधान आदेश 85 द्वारा अंत:स्थापित।
[2]संविधान आदेश 93 द्वारा मद (iv) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3]संविधान आदेश 122 द्वारा (4-6-1985 से) प्रविष्टि 97 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[4]संविधान आदेश 69 द्वारा खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[5]संविधान आदेश 70 द्वारा मद (i) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

बलों के प्रयोग नहीं है) जहां तक ऐसी दंड विधि इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है।''];

[1][[2][(iक) प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

''2. दंड प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत अपराधों को रोकना तथा दंड न्यायालयों का, जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय नहीं हैं, गठन और संगठन है) जहां तक उसका संबंध—

(i) किन्हीं ऐसे विषयों से, जो ऐसे विषय हैं, जिनके संबंध में संसद् को विधियां बनाने की शक्ति है, संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराधों से है; और

(ii) किसी विदेश में राजनयिक और कौंसलीय अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाए जाने तथा शपथपत्र लिए जाने से है।'';

(iख) प्रविष्टि 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

''12. साक्ष्य तथा शपथ, जहां तक उनका संबंध—

(i) किसी विदेश में राजनयिक और कौंसलीय अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाए जाने तथा शपथपत्र लिए जाने से है; और

(ii) किन्हीं ऐसे अन्य विषयों से है, जो ऐसे विषय हैं, जिनके संबंध में संसद् को विधियां बनाने की शक्ति है।'']

(iग) प्रविष्टि 13 के स्थान पर ''13. सिविल प्रक्रिया, जहां तक उसका संबंध किसी विदेश में राजनयिक तथा कौंसलीय अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाए जाने तथा शपथपत्र लिए जाने से है'' प्रविष्टि रखी जाएगी;]

[3]* * * * * *

[4][[5][(ii)] प्रविष्टि 30 के स्थान पर ''30. जन्म-मरण सांख्यिकी, जहां तक उसका संबंध जन्म तथा मृत्यु से है, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है'' प्रविष्टि रखी जाएगी;]

---

[1]संविधान आदेश 94 द्वारा अंत:स्थापित।
[2]संविधान आदेश 122 द्वारा उपखंड (iक) और उपखंड (iख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3]संविधान आदेश 74 द्वारा मद (ii) और (iii) का लोप किया गया।
[4]संविधान आदेश 70 द्वारा अंत:स्थापित।
[5]संविधान आदेश 74 द्वारा मद (iv) को मद (ii) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया।

[1]* * * * *

[2][(iii) प्रविष्टि 3, प्रविष्टि 5 से 10 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), प्रविष्टि 14, 15, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 41 तथा 44 का लोप किया जाएगा;

(iiiक) प्रविष्टि 42 के स्थान पर ''42. संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, जहां तक उसका संबंध सूची 1 की प्रविष्टि 67 या सूची 3 की प्रविष्टि 40 के अंतर्गत आने वाली संपत्ति के या किसी ऐसी मानवीय कलाकृति के, जिसका कलात्मक या सौंदर्यात्मक मूल्य है, अर्जन से है'' प्रविष्टि रखी जाएगी; और]

[3][(iv) प्रविष्टि 45 में, ''सूची 2 या सूची 3'' के स्थान पर ''इस सूची'' शब्द रखे जाएंगे।]

(23) आठवीं अनुसूची।

[4][(24) नौवीं अनुसूची

[5][(क)] प्रविष्टि 64 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

[6][64क.] जम्मू-कश्मीर राज्य कुठ अधिनियम (संवत् 1978 का सं. 1);

[6][64ख.] जम्मू-कश्मीर अभिधृति अधिनियम (संवत् 1980 का सं. 2);

[6][64ग.] जम्मू-कश्मीर भूमि अन्य संक्रमण अधिनियम (संवत् 1995 का सं. 5);

[7]* * * * *

[8][64घ.] जम्मू-कश्मीर बृहद् भू-संपदा उत्सादन अधिनियम (संवत् 2007 का सं. 17);

[9][64ङ.] जागीरों और भू-राजस्व के अन्य समनुदेशनों आदि के पुनर्ग्रहण के बारे में 1951 का आदेश सं. 6-एच, तारीख 10 मार्च, 1951;

[9][64च.] जम्मू-कश्मीर बंधक संपत्ति की वापसी अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम 14);

---

[1]संविधान आदेश 72 द्वारा मद (v) और मद (vi) का लोप किया गया।
[2]संविधान आदेश 95 द्वारा मद (iii) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3]संविधान आदेश 74 द्वारा मद (vii) को मद (iv) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया।
[4]संविधान आदेश 74 द्वारा उप-पैरा (24) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[5]संविधान आदेश 105 द्वारा संख्यांकित।
[6]संविधान आदेश 98 द्वारा पुन:संख्यांकित।
[7]संविधान आदेश 106 द्वारा लोप किया गया।
[8]संविधान आदेश 106 द्वारा पुन:संख्यांकित।
[9]संविधान आदेश 106 द्वारा अंत:स्थापित।

64छ. जम्मू-कश्मीर ऋणी राहत अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम 15)।]

[1][(ख) संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा अंत:स्थापित प्रविष्टि 87 से 124 तक को क्रमश: प्रविष्टि 65 से 102 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा।]

[2][(ग) प्रविष्टि 125 से 188 तक को क्रमश: प्रविष्टि 103 से 166 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा।]

[3][**(25) दसवीं अनुसूची**

(क) ''[अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191(2)]'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''[अनुच्छेद 102(2)]'' कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 1 के खंड (क) में, ''या किसी राज्य की, यथास्थिति, विधान सभा या विधान-मंडल का कोई सदन'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) पैरा 2 में,—

(i) उप-पैरा 1 में, स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (ii) में, ''यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''अनुच्छेद 99'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उप-पैरा (3) में, ''यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''अनुच्छेद 99'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(iii) उप-पैरा (4) में, संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 1989 के प्रारंभ के प्रति निर्देश है;

(घ) पैरा 5 में, ''अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् के सभापति या उप-सभापति अथवा किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

---

[1]संविधान आदेश 105 द्वारा अंत:स्थापित।
[2]संविधान आदेश 108 द्वारा (31-12-1977 से) अंत:स्थापित।
[3]संविधान आदेश 136 द्वारा अंत:स्थापित।

(ङ) पैरा 6 के उप-पैरा (2) में, ''यथास्थिति, अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद् की कार्यवाहियां हैं या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधान-मंडल की कार्यवाहियां हैं'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद् की कार्यवाहियां हैं'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(च) पैरा 8 के उप-पैरा (3) में, ''यथास्थिति, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 194'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''अनुच्छेद 105'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।]

नमो बुद्धाय। जय भीम।
जय भीम समुदाय
शिक्षित बनो, शिक्षा का दान करो

परिशिष्ट 2

संविधान के, उन अपवादों और उपांतरणों के जिनके अधीन संविधान जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू होता है, वर्तमान पाठ के प्रति निर्देश से, पुनर्कथन

[**टिप्पण**—वे अपवाद और उपांतरण जिनके अधीन संविधान जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू होता है या तो वे हैं जिनका उपबंध संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 में किया गया है या वे हैं जो संविधान के कुछ संशोधनों के जम्मू-कश्मीर राज्य को न लागू होने के परिणामस्वरूप हैं। ऐसे सभी अपवाद और उपांतरण जिनका व्यावहारिक महत्व है, उस पुनर्कथन में सम्मिलित हैं जो शीघ्र निर्देश को मात्र सुकर बनाने के लिए हैं। सही स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 को और उक्त आदेश के खंड 2 में वर्णित संविधान के पश्चात्वर्ती संशोधनों द्वारा यथा संशोधित संविधान के 20 जून, 1964 के पाठ के प्रति निर्देश करना होगा।]

(1) उद्देशिका

(क) पहले पैरा में ''समाजवादी पंथ निरपेक्ष'' का लोप करें।

(ख) पूर्वान्तिम पैरा में ''और अखंडता'' का लोप करें।

(2) भाग 1

अनुच्छेद 3—

(क) निम्नलिखित और परन्तुक जोड़ें, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि जम्मू-कश्मीर राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने या उस राज्य के नाम या उसकी सीमा में परिवर्तन करने का उपबंध करने वाला कोई विधेयक उस राज्य के विधान-मंडल की सहमति के बिना संसद् में पुर:स्थापित नहीं किया जाएगा।'';

(ख) स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 का लोप करें।

(3) भाग 2

(क) यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में 26 जनवरी, 1950 से लागू समझा जाएगा;

(ख) अनुच्छेद 7—निम्नलिखित और परन्तुक जोड़ें, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि इस अनुच्छेद की कोई बात जम्मू-कश्मीर राज्य के ऐसे स्थायी निवासी को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्यक्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन करने के पश्चात् उस राज्य के क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो उस राज्य में पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा या उसके अधीन दी गई है, तथा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा।''।

(4) भाग 3

(क) अनुच्छेद 13—संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 (सं.आ. 48) के प्रारंभ, अर्थात् 14 मई, 1954 के प्रति निर्देश हैं,

* * * * *

(ग) अनुच्छेद 16—खंड (3) में, राज्य के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं हैं।

(घ) अनुच्छेद 19—

(अ) खंड (1) में—

(i) उपखंड (ङ) के अंत में, ''और'' का लोप करें;

(ii) उपखंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित करें, अर्थात्:—

''(च) संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का; और'';

(आ) खंड (5) में, ''उपखंड (घ) और उपखंड (ङ)'' के स्थान पर ''उपखंड (घ), उपखंड (ङ) और उपखंड (च)'' रखें।

(ङ) अनुच्छेद 22—खंड (4) में ''संसद्'' शब्द के स्थान पर ''राज्य विधान-मंडल'' शब्द रखे जाएंगे और खंड (7) में ''संसद् विधि द्वारा विहित कर सकेगी'' शब्दों के स्थान पर ''राज्य विधान-मंडल विधि द्वारा विहित कर सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

(च) अनुच्छेद 30—खंड (1क) का लोप करें।

(छ) अनुच्छेद 30 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें, अर्थात्:—

''संपत्ति का अधिकार

31. संपत्ति का अनिवार्य अर्जन—(1) कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

(2) कोई संपत्ति, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ही और केवल ऐसी विधि के प्राधिकार से अनिवार्यतः अर्जित या अधिगृहीत की जाएगी, अन्यथा नहीं, जो संपत्ति के अर्जन या अधिग्रहण का, ऐसी राशि के बदले जो उस विधि द्वारा नियत की जाए या जो ऐसे सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाए और ऐसी रीति से दी जाए जो उस विधि में विनिर्दिष्ट हों, उपबंध करती है; और ऐसी किसी विधि किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि इस प्रकार नियत या अवधारित राशि पर्याप्त नहीं है अथवा ऐसी पूरी राशि या उसका कोई भाग नकद न दिया जाकर अन्यथा दिया जाना है:

परन्तु अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षा-संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने से संबद्ध विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि के अधीन जो राशि नियत या अवधारित की जाए वह ऐसी हो जो उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार को निर्बन्धित या निराकृत न करे।

(2क) जहां विधि किसी संपत्ति के स्वामित्व का या कब्जा रखने के अधिकार का अंतरण राज्य या किसी ऐसे निगम को, जो कि राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन है, करने के लिए उपबंध नहीं करती है वहां, इस बात के होते हुए भी कि वह किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करती है, उसकी बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि वह संपत्ति के अनिवार्य अर्जन या अधिग्रहण के लिए उपबंध करती है।

(2ख) अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (च) की कोई बात किसी ऐसी विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी जो खंड (2) में निर्दिष्ट है।

* * * * *

(5) खंड (2) की कोई बात—

(क) किसी वर्तमान विधि के उपबंधों पर, अथवा

(ख) किसी ऐसी विधि के उपबंधों पर, जिसे राज्य इसके पश्चात्—

(i) किसी कर या शास्ति के अधिरोपण या उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए, अथवा

(ii) लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि या प्राण या संपत्ति के संकट-निवारण के लिए, अथवा

(iii) ऐसी संपत्ति की बाबत, जो विधि द्वारा निष्क्रांत संपत्ति घोषित की गई है,

बनाए, कोई प्रभाव नहीं डालेगी।''।

* * * * *

(ज) अनुच्छेद 31 के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष का लोप करें, अर्थात्:—

''कुछ विधियों की व्यावृत्ति''

(झ) अनुच्छेद 31क—

(अ) खंड (1) में—

(i) ''अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19'' के स्थान पर ''अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31'' रखें;

(ii) खंड (1) के पहले परन्तुक का लोप करें;

(iii) दूसरे परन्तुक में ''यह और कि'' के स्थान पर ''यह कि'' रखें।

(आ) खंड (2) में उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखें, अर्थात्:—

'(क) ''संपदा'' से ऐसी भूमि अभिप्रेत होगी जो कृषि के प्रयोजनों के लिए या कृषि के सहायक प्रयोजनों के लिए या चरागाह के लिए अधिभोग में है या पट्टे पर दी गई है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:—

(i) ऐसी भूमि पर भवनों के स्थल और अन्य संरचनाएं;

(ii) ऐसी भूमि पर खड़े वृक्ष;

(iii) वन भूमि और वन्य बंजर भूमि;

(iv) जल से ढके क्षेत्र और जल पर तैरते हुए खेत;

(v) जंदर और घराट स्थल;

(vi) कोई जागीर, इनाम, मुआफी या मुकर्ररी या इसी प्रकार का अन्य अनुदान,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं:—

(i) किसी नगर, या नगरक्षेत्र या ग्राम आबादी में कोई भवन-स्थल या किसी ऐसे भवन या स्थल से अनुलग्न कोई भूमि;

(ii) कोई भूमि जो किसी नगर या ग्राम के स्थल के रूप में है, या

(iii) किसी नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र या छावनी या नगरक्षेत्र में या किसी क्षेत्र में, जिसके लिए कोई नगर योजना स्कीम मंजूर की गई है, भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए आरक्षित कोई भूमि।'।

(ञ) अनुच्छेद 31ग—यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है।

(ट) अनुच्छेद 32—खंड (3) का लोप करें।

(ठ) अनुच्छेद 35—

(अ) संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 (सं.आ. 48) के प्रारंभ अर्थात् 14 मई, 1954 के प्रति निर्देश हैं;

(आ) खंड (क) (i) में, अनुच्छेद 16 के खंड (3), अनुच्छेद 32 के खंड (3) का लोप करें; और

(इ) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ें, अर्थात्:—

''(ग) संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात्, निवारक निरोध की बाबत जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि वह इस भाग के उपबंधों में से किसी से असंगत हैं, किन्तु ऐसी कोई विधि उक्त आदेश के प्रारंभ से पच्चीस वर्ष के अवसान पर, ऐसी असंगति की मात्रा तक, उन बातों के सिवाय प्रभावहीन हो जाएगी जिन्हें उनके अवसान के पूर्व किया गया या करने का लोप किया गया है।''।

(ड) अनुच्छेद 35 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ें, अर्थात्:—

''**35क. स्थायी निवासियों और उनके अधिकारों की बाबत विधियों की व्यावृत्ति**—इस संविधान में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई विद्यमान विधि और इसके पश्चात् राज्य के विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित ऐसी कोई विधि—

(क) जो उन व्यक्तियों के वर्गों को परिभाषित करती है जो जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी हैं या होंगे, या

(ख) जो—

(i) राज्य सरकार के अधीन नियोजन;

(ii) राज्य में स्थावर संपत्ति के अर्जन;

(iii) राज्य में बस जाने; या

(iv) छात्रवृत्तियों के या ऐसी अन्य प्रकार की सहायता के जो राज्य सरकार प्रदान करे, अधिकार,

की बाबत ऐसे स्थायी निवासियों को कोई विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदत्त करती है या अन्य व्यक्तियों पर कोई निर्बन्धन अधिरोपित करती है, इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि वह इस भाग के किसी उपबंध द्वारा भारत के अन्य नागरिकों को प्रदत्त किन्हीं अधिकारों से असंगत है या उनको छीनती या न्यून करती है।''।

(5) भाग 4—यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है।

(6) भाग 4क—यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है।

(7) भाग 5—

(क) अनुच्छेद 55—

(अ) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की जनसंख्या तिरसठ लाख समझी जाएगी;

(आ) स्पष्टीकरण में परन्तुक का लोप करें।

(ख) अनुच्छेद 81—खंड (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखें, अर्थात्:—

''(2) खंड (1) के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) लोक सभा में राज्य को छह स्थान आबंटित किए जाएंगे;

(ख) परिसीमन अधिनियम, 1972 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा राज्य को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो आयोग उचित समझे, एक सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा;

(ग) निर्वाचन-क्षेत्र, यथासाध्य, भौगोलिक रूप से संहत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय प्राकृतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं और लोक सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा; और

(घ) उन निर्वाचन-क्षेत्रों में, जिनमें राज्य विभाजित किया जाए, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र समाविष्ट नहीं होगा।

(3) खंड (2) की कोई बात लोक सभा में राज्य के प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं डालेगी जब तक परिसीमन अधिनियम, 1972 के अधीन संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के परिसीमन से संबंधित परिसीमन आयोग के अंतिम आदेश या आदेशों के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को विद्यमान सदन का विघटन न हो जाए।

(4) (क) परिसीमन आयोग राज्य की बाबत अपने कर्तव्यों में अपनी सहायता करने के प्रयोजन के लिए अपने साथ पांच व्यक्तियों को सहयोजित करेगा जो राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले, लोक सभा के सदस्य होंगे।

(ख) राज्य से इस प्रकार सहयोजित किए जाने वाले व्यक्ति सदन की संरचना का सम्यक् ध्यान रखते हुए लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(ग) उपखंड (ख) के अधीन किए जाने वाले प्रथम नामनिर्देशन लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) दूसरा संशोधन आदेश, 1974 के प्रारंभ से दो मास के भीतर किए जाएंगे।

(घ) किसी भी सहयोजित सदस्य को परिसीमन आयोग के किसी विनिश्चय पर मत देने या हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा।

(ङ) यदि मृत्यु या पदत्याग के कारण किसी सहयोजित सदस्य का पद रिक्त हो जाता है तो उसे लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा और उपखंड (क) और (ख) के उपबंधों के अनुसार यथाशक्यशीघ्र भरा जाएगा।''।

(ग) अनुच्छेद 82—दूसरे और तीसरे परंतुक का लोप करें।

(घ) अनुच्छेद 105—खंड (3) में ''वही होंगी जो संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने के ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं'' के स्थान पर ''वही होंगी जो इस संविधान के प्रारंभ पर यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं'' रखें।

(ङ) अनुच्छेद 132 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखें, अर्थात्:—

'132. कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता—(1) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है।

(2) जहां उच्च न्यायालय ने ऐसे प्रमाणपत्र देने से इंकार कर दिया है वहां, यदि उच्चतम न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है तो, वह ऐसे निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा।

(3) जहां ऐसा प्रमाणपत्र या ऐसी इजाजत दे दी गई है वहां उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है तथा उच्चतम न्यायालय की इजाजत से अन्य किसी आधार पर, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए ''अंतिम आदेश'' पद के अंतर्गत ऐसे विवाद्यक का विनिश्चय करने वाला आदेश है जो, यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है तो, उस मामले के अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होगा।'।

(च) अनुच्छेद 133—

(अ) खंड (1) में ''अनुच्छेद 134क के अधीन'' का लोप करें।

(आ) खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित करें, अर्थात्:—

'(1क) संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 3 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में इस उपांतरण के अधीन लागू होंगे कि उसमें ''इस अधिनियम'', ''इस अधिनियम के प्रारंभ'', ''यह अधिनियम पारित नहीं किया गया हो'' और ''इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उस खंड के उपबंधों को'' के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे क्रमश: ''संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) दूसरा संशोधन आदेश, 1974'', ''उक्त आदेश के प्रारंभ'', ''उक्त आदेश पारित नहीं किया गया हो'' और ''उक्त खंड के उपबंधों, जैसे कि वे उक्त आदेश के प्रारंभ के पश्चात् हों'' प्रति निर्देश है।'।

(छ) अनुच्छेद 134—

(अ) खंड (1) के उपखंड (ग) में ''अनुच्छेद 134क के अधीन'' का लोप करें;

(आ) खंड (2) में ''संसद्'' के पश्चात् ''राज्य के विधान-मंडल के अनुरोध पर'' अंत:स्थापित करें।

(ज) अनुच्छेद 134क, 135, 139 और 139क—ये अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं हैं।

(झ) अनुच्छेद 145—खंड (1) में उपखंड (गग) का लोप करें।

(ञ) अनुच्छेद 150—''जो राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर, विहित करे'' के स्थान पर ''जो भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राष्ट्रपति के अनुमोदन से, विहित करे'' रखें।

(8) भाग 6

(क) अनुच्छेद 153 से 217 तक, अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 223, 224, 224क और 225 तथा अनुच्छेद 227 से 233, अनुच्छेद 233क और अनुच्छेद 234 से 237 तक का लोप करें।

(ख) अनुच्छेद 220—संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1960 के प्रारंभ, अर्थात् 26 जनवरी, 1960 के प्रति निर्देश हैं।

(ग) अनुच्छेद 222—खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित करें, अर्थात्:-

''(1क) प्रत्येक ऐसा अंतरण जो जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय से या उस उच्च न्यायालय को हो, राज्यपाल के परामर्श के पश्चात् किया जाएगा।''।

(घ) अनुच्छेद 226—

(अ) खंड (2) को खंड (1क) के रूप में पुन:संख्यांकित करें;

(आ) खंड (3) का लोप करें;

(इ) खंड (4) को खंड (2) के रूप में पुन:संख्यांकित करें और इस प्रकार पुन:संख्यांकित खंड (2) में ''इस अनुच्छेद'' के स्थान पर ''खंड (1) या खंड (1क)'' रखें।

(9) भाग 8—यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है।

(10) भाग 10—यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है।

(11) भाग 11—

(क) अनुच्छेद 246—

(अ) खंड (1) में, ''खंड (2) और खंड (3)'' के स्थान पर ''खंड (2)'' रखें;

(आ) खंड (2) में, ''खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी'' का लोप करें;

(इ) खंड (3) और खंड (4) का लोप करें।

(ख) अनुच्छेद 248 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखें, अर्थात्:—

'**248. अवशिष्ट विधायी शक्तियां**—संसद् को—

(क) विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या लोगों या लोगों के किसी अनुभाग में आतंक उत्पन्न करने या लोगों के किसी अनुभाग को पृथक् करने या लोगों के विभिन्न अनुभागों के बीच समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आतंकवादी कार्यों को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलापों को रोकने के संबंध में;

(कक) भारत की प्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता को अनअंगीकृत, प्रश्नगत या विच्छिन्न करने अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण कराने अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग को संघ से विलग कराने अथवा भारत के राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रगान और इस संविधान का अपमान करने वाले अन्य क्रियाकलाप को रोकने के संबंध में, और

(ख) (i) समुद्र या वायु द्वारा विदेश यात्रा पर;

(ii) अंतर्देशीय विमान यात्रा पर;

(iii) मनीआर्डर, फोनतार और तार को सम्मिलित करते हुए, डाक वस्तुओं पर,

कर लगाने के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद में, ''आतंकवादी कार्य'' से बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों का या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का (चाहे वे जैव हों या अन्य) उपयोग करके किया गया कोई कार्य या बात अभिप्रेत हैं।'।

(खख) अनुच्छेद 249, खंड (1) में, ''राज्य-सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में, जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है'' के स्थान पर ''उस संकल्प में विनिर्दिष्ट ऐसे विषय के संबंध में, जो संघ-सूची या समवर्ती सूची में प्रगणित विषय नहीं हैं,'' रखें।

(ग) अनुच्छेद 250 ''राज्य-सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में'' के स्थान पर ''संघ-सूची में प्रगणित न किए गए विषयों के संबंध में भी'' रखें।

(घ) खंड (घ) का लोप करें।

(ङ) अनुच्छेद 253 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ें, अर्थात्:—

"परन्तु संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के प्रारंभ के पश्चात्, जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कोई विनिश्चय भारत सरकार द्वारा उस राज्य की सरकार की सहमति से ही किया जाएगा।"।

(च) अनुच्छेद 255 का लोप करें।

(छ) अनुच्छेद 256 को उसके खंड (1) के रूप में पुन:संख्यांकित करें और उसमें निम्नलिखित नया खंड जोड़ें, अर्थात्:—

"(2) जम्मू-कश्मीर राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करेगा जिससे उस राज्य के संबंध में संविधान के अधीन संघ के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का संघ द्वारा निर्वहन सुगम हो; और विशिष्टतया उक्त राज्य, यदि संघ वैसी अपेक्षा करे, संघ की ओर से और उसके व्यय पर संपत्ति का अर्जन या अधिग्रहण करेगा अथवा यदि संपत्ति उस राज्य की हो तो ऐसे निबंधनों पर, जो करार पाए जाएं या करार के अभाव में जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा अवधारित किए जाएं, उसे संघ को अंतरित करेगा।"।

(ज) अनुच्छेद 261—खंड (2) में "संसद् द्वारा बनाई गई" का लोप करें।

(12) भाग 12

(क) अनुच्छेद 266, 282, 284, 298 और 300—इन अनुच्छेदों में राज्य या राज्यों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं हैं।

(ख) अनुच्छेद 267 के खंड (2), अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 283 के खंड (2) और अनुच्छेद 290 का लोप करें।

(ग) अनुच्छेद 277 और 295—इन अनुच्छेदों में संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के प्रारंभ, अर्थात् 14 मई, 1954 के प्रति निर्देश हैं।

(घ) उपशीर्ष "अध्याय 4—संपत्ति का अधिकार" और अनुच्छेद 300क का लोप करें।

(13) भाग 13—अनुच्छेद 303 के खंड (1) में, "सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर" का लोप करें।

(14) भाग 14—अनुच्छेद 312 के सिवाय इस भाग में, ''राज्य'' के प्रति निर्देश के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है।

(15) भाग 14क—यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं होता है।

(16) भाग 15—अनुच्छेद 324—

(क) खंड (1) में, जम्मू-कश्मीर के विधान-मंडल के दोनों सदनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचनों के बारे में संविधान के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह जम्मू-कश्मीर के संविधान के प्रति निर्देश है।

(ख) अनुच्छेद 325, 326 और 327—इन अनुच्छेदों में राज्य के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं है।

(ग) अनुच्छेद 328 का लोप करें।

(घ) अनुच्छेद 329—

(अ) राज्य के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं है;

(आ) ''या अनुच्छेद 328'' का लोप करें।

(17) भाग 16

मूल खंड (क) का लोप किया गया और खंड (ख) और खंड (ग) को, खंड (क) और खंड (ख) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया।

(क) अनुच्छेद 331, 332, 333, 336 और 337 का लोप करें।

(ख) अनुच्छेद 334 और 335—राज्य या राज्यों के प्रति निर्देशों का यह लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं है।

(ग) अनुच्छेद 339 खंड (1) में ''राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों'' शब्दों के स्थान पर ''राज्यों की अनुसूचित जनजातियों'' शब्द रखें।

(18) भाग 17

इस भाग के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य को केवल वहीं तक लागू होंगे जहां तक वे—

(i) संघ की राजभाषा,

(ii) एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, अथवा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा, और

(iii) उच्चतम न्यायालय में कार्यवाहियों की भाषा,

से संबंधित हैं।

(19) भाग 18

(क) अनुच्छेद 352 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखें, अर्थात्:—

"**352. आपात की उद्घोषणा**—(1) यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा उस आशय की घोषणा कर सकेगा।

(2) खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा—

(क) पश्चात्वर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी;

(ख) संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी;

(ग) दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद् के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है:

परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है या लोक सभा का विघटन उपखंड (ग) में निर्दिष्ट दो मास की अवधि के दौरान हो जाता है, और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है किन्तु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है तो उद्घोषणा उस तारीख से, जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है।

(3) यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति का संकट सन्निकट है तो यह घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा कि युद्ध या बाह्य आक्रमण अशांति के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, युद्ध या ऐसा कोई आक्रमण या अशांति के वास्तव में होने से पहले भी की जा सकेगी।

(4) इस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति अथवा युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के सन्निकट संकट

के भिन्न-भिन्न आधारों पर भिन्न-भिन्न घोषणाएं करने की शक्ति होगी चाहे खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा पहले से की गई उद्घोषणा हो या न हो और ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में हो या नहीं।

(5) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) खंड (1) और खंड (3) में वर्णित राष्ट्रपति का समाधान अंतिम और निश्चायक होगा और उसे किसी भी आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा;

(ख) उपखंड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए न तो उच्चतम न्यायालय को न किसी अन्य न्यायालय को—

(i) राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा द्वारा खंड (1) में वर्णित आशय की घोषणा; या

(ii) ऐसी उद्घोषणा के प्रवृत्त बने रहने,

की विधिमान्यता के बारे में किसी भी आधार पर कोई प्रश्न ग्रहण करने की अधिकारिता होगी।

(6) केवल आंतरिक अशांति या उसका संकट सन्निकट होने के आधार पर की गई आपात की उद्घोषणा (अनुच्छेद 354 की बाबत के सिवाय) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में तभी लागू होगी जब वह—

(क) उस राज्य की सरकार के अनुरोध पर या उसकी सहमति से की गई है; या

(ख) जहां वह इस प्रकार नहीं की गई है वहां वह उस राज्य की सरकार के अनुरोध पर या उसकी सहमति से राष्ट्रपति द्वारा बाद में लागू की गई है।''।

(ख) अनुच्छेद 353—परन्तुक का लोप करें।

(ग) अनुच्छेद 356—

(अ) खंड (1) में, इस संविधान के उपबंधों या उपबंध के प्रति निर्देशों का जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के संविधान के उपबंधों या उपबंध के प्रति निर्देश है;

(आ) खंड (4) में:—

(i) प्रारंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात्:—

''इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है तो, खंड (3) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे संकल्प के पारित किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के अवसान पर प्रवृत्त नहीं रहेगी।'';

(ii) दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'परन्तु यह भी कि जम्मू-कश्मीर राज्य के बारे में 18 जुलाई, 1990 को खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा के मामले में इस खंड के पहले परन्तुक में ''तीन वर्ष'' के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ''[1]सात वर्ष'' के प्रति निर्देश है।'।

(इ) खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखें, अर्थात्:—

''(5) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, खंड (1) में वर्णित राष्ट्रपति का समाधान अंतिम और निश्चायक होगा और किसी भी आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।''।

(घ) अनुच्छेद 357—खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखें, अर्थात्:—

''(2) राज्य के विधान-मंडल की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद् द्वारा अथवा राष्ट्रपति या खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाई गई ऐसी विधि जिसे संसद् अथवा राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होता, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के अवसान पर, अक्षमता की मात्रा तक, उन बातों के सिवाय जिन्हें उक्त अवधि के अवसान के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है प्रभावहीन हो जाएगी यदि वे उपबंध जो प्रभावहीन हो जाएंगे, सक्षम विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा पहले ही निरसित या उपांतरणों के सहित या उनके बिना पुन: अधिनियमित नहीं कर दिए जाते हैं।''।

(ङ) अनुच्छेद 358 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखें, अर्थात्:—

''**358. आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन**—जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब अनुच्छेद 19 की कोई बात भाग 3 में

---

[1]संविधान आदेश 162 द्वारा (6-7-1996 से) प्रतिस्थापित।

यथापरिभाषित राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने की या कोई ऐसी कार्यपालिका कार्रवाई करने की शक्ति को, जिसे वह राज्य उस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अभाव में बनाने या करने के लिए सक्षम होता, निर्बन्धित नहीं करेगी किन्तु इस प्रकार बनाई गई कोई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय तुरंत प्रभावहीन हो जाएगी, जिन्हें विधि के इस प्रकार प्रभावहीन होने के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।''।

(च) अनुच्छेद 359—

(अ) खंड (1) में ''(अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर)'' का लोप करें;

(आ) खंड (1क) में,—

(i) ''(अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर)'' का लोप करें;

(ii) परन्तुक का लोप करें;

(इ) खंड (1ख) का लोप करें;

(ई) खंड (2) में परन्तुक का लोप करें।

(छ) अनुच्छेद 360 का लोप करें।

(20) भाग 19

(क) अनुच्छेद 361क—यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है।

(ख) अनुच्छेद 365 का लोप करें।

(ग) अनुच्छेद 367—खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ें, अर्थात्:—

''(4) इस संविधान के, जैसा कि वह जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होता है, प्रयोजनों के लिए—

(क) इस संविधान या उसके उपबंधों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उक्त राज्य के संबंध में लागू संविधान के या उसके उपबंधों के प्रति निर्देश भी हैं;

(कक) राज्य की विधान-सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, जम्मू-कश्मीर के सदरे-रियासत के रूप में तत्समय मान्यताप्राप्त तथा तत्समय पदस्थ राज्य मंत्रि-परिषद् की सलाह पर कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के प्रति निर्देश हैं;

(ख) उक्त राज्य की सरकार के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत अपनी मंत्रि-परिषद् की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के प्रति निर्देश हैं:

परन्तु 10 अप्रैल, 1965 से पहले की किसी अवधि की बाबत, ऐसे निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत अपनी मंत्रि-परिषद् की सलाह से कार्य कर रहे सदरे-रियासत के प्रति निर्देश है;

(ग) उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश हैं;

(घ) उक्त राज्य के स्थायी निवासियों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनसे ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें राज्य में प्रवृत्त विधियों के अधीन राज्य की प्रजा के रूप में, संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के प्रारंभ से पूर्व, मान्यताप्राप्त थी या जिन्हें राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा राज्य के स्थायी निवासियों के रूप में मान्यताप्राप्त है; और

(ङ) राज्यपाल के प्रति निर्देशों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के प्रति निर्देश हैं:

परन्तु 10 अप्रैल, 1965 से पहले की किसी अवधि की बाबत, ऐसे निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे राष्ट्रपति द्वारा जम्मू-कश्मीर के सदरे-रियासत के रूप में मान्यताप्राप्त व्यक्ति के प्रति निर्देश हैं और उनके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सदरे-रियासत की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यताप्राप्त किसी व्यक्ति के प्रति निर्देश भी है।''।

(21) भाग 20

अनुच्छेद 368—

(क) खंड (3) में निम्नलिखित और परन्तुक जोड़ें, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि कोई संशोधन जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में तभी प्रभावी होगा जब वह अनुच्छेद 370 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू किया गया हो।''।

(ख) खंड (4) और खंड (5) का लोप करें, और खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ें, अर्थात्:—

"(4) जम्मू-कश्मीर के संविधान के—

(क) राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों, कृत्यों, कर्तव्यों, उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों या उन्मुक्तियों, या

(ख) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, विभेद के बिना निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने की पात्रता, वयस्क मताधिकार और विधान परिषद् के गठन, जो जम्मू-कश्मीर संविधान की धारा 138, 139, 140 और 50 में विनिर्दिष्ट विषय हैं,

से संबंधित किसी उपबंध में या उसके प्रभाव में कोई परिवर्तन करने के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि का कोई प्रभाव तभी होगा जब ऐसी विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने के पश्चात्, उसकी अनुमति प्राप्त कर लेती है।"।

(22) भाग 21

(क) अनुच्छेद 369, 371, 371क, 372क, 373 और अनुच्छेद 376 से 378क तक का और अनुच्छेद 392 का लोप करें।

(ख) अनुच्छेद 372 में,—

(अ) खंड (2) और (3) का लोप करें;

(आ) भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधि के प्रति निर्देशों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाली हिदायतों, ऐलानों, इश्तिहारों, परिपत्रों, रोबकारों, इरशादों, याददाश्तों, राज्य परिषद् के संकल्पों, संविधान सभा में संकल्पों और अन्य लिखतों के प्रति निर्देश होंगे;

(इ) संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 (सं. आ. 48) के प्रारंभ, अर्थात् 14 मई, 1954 के प्रति निर्देश हैं।

(ग) अनुच्छेद 374—

(अ) खंड (1), (2), (3) और (5) का लोप करें;

(आ) खंड (4) में, राज्य में प्रिवी कौंसिल के रूप में कार्य करने वाले प्राधिकारी के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह जम्मू-कश्मीर संविधान अधिनियम संवत्, 1996 के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड के प्रति निर्देश हैं; और संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के प्रारंभ, अर्थात् 14 मई, 1954 के प्रति निर्देश हैं।

(23) भाग 22—अनुच्छेद 394 तथा 395 का लोप करें।

(24) तीसरी अनुसूची—प्ररूप 5, 6, 7 और 8 का लोप करें।

(25) पांचवीं अनुसूची—यह अनुसूची जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है।

(26) छठी अनुसूची—यह अनुसूची जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है।

(27) सातवीं अनुसूची—

(क) सूची 1—संघ सूची—

(अ) प्रविष्टि 2क का लोप करें;

(आ) प्रविष्टि 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात्:—

"3. छावनियों का प्रशासन।";

(इ) प्रविष्टि 8, 9, 34 और 79 का लोप करें;

(ई) प्रविष्टि 72 में,—

(i) किसी ऐसी निर्वाचन याचिका में जिसके द्वारा उस राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचन प्रश्नगत है, जम्मू-कश्मीर राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किए गए किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को अपीलों के संबंध में राज्यों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश है;

(ii) अन्य मामलों के संबंध में राज्यों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत उस राज्य के प्रति निर्देश नहीं है;

(उ) प्रविष्टि 81 में "अंतरराज्यिक प्रव्रजन" का लोप करें;

(ऊ) प्रविष्टि 97 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात्:—

'97. (क) विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या लोगों या लोगों के किसी अनुभाग में आतंक उत्पन्न करने या लोगों के किसी अनुभाग को पृथक् करने या लोगों के विभिन्न अनुभागों के बीच समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आतंकवादी कार्यों को अंतर्वलित करने वाले;

(ख) भारत की प्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता को अनअंगीकृत, प्रश्नगत या विच्छिन्न करने, अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण कराने अथवा भारत राज्यक्षेत्र के भाग को संघ से विलग कराने अथवा भारत के राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रगान और इस संविधान का अपमान करने वाले,

क्रियाकलाप को रोकना,

समुद्र या वायु द्वारा विदेश यात्रा, अंतरदेशीय विमान यात्रा और डाक वस्तुओं पर, जिनके अंतर्गत मनीआर्डर, फोनतार और तार हैं, कर।

स्पष्टीकरण—इस प्रविष्टि में, ''आतंकवादी कार्य'' का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 248 के स्पष्टीकरण में है।'।

(ख) सूची 2—राज्य सूची का लोप करें।

(ग) सूची 3—समवर्ती सूची—

(अ) प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात्:—

''1. दंड विधि (जिसके अंतर्गत सूची 1 के विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध और सिविल शक्ति की सहायता के लिए नौ-सेना, वायुसेना या संघ के किन्हीं अन्य सशस्त्र बलों के प्रयोग नहीं हैं), जहां तक ऐसी दंड विधि इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है।'';

(आ) प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात्:—

''2. दंड प्रक्रिया, (जिसके अंतर्गत अपराधों को रोकना तथा दंड न्यायालयों का, जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय नहीं हैं, गठन और संगठन है) जहां तक उसका संबंध—

(i) किन्हीं ऐसे विषयों से, जो ऐसे विषय हैं, जिनके संबंध में संसद् को विधियां बनाने की शक्ति है, संबंधित विषयों के विरुद्ध अपराधों से है, और

(ii) किसी विदेश में राजनयिक और कौंसलीय अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाए जाने तथा शपथ-पत्र लिए जाने से है।'';

(इ) प्रविष्टि 3, प्रविष्टि 5 से 10 तक, (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), प्रविष्टि 14, 15, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 41 तथा 44 का लोप करें;

(ई) प्रविष्टि 11क, 17क, 17ख, 20क और 33क जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं हैं;

(उ) प्रविष्टि 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात्:—

''12. साक्ष्य तथा शपथ, जहां तक उनका संबंध—

(i) किसी विदेश में राजनयिक और कौंसलीय अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाए जाने तथा शपथ-पत्र लिए जाने से है; और

(ii) किन्हीं ऐसे अन्य विषयों से हैं, जो ऐसे विषय हैं, जिनके संबंध में संसद् को विधियां बनाने की शक्ति है।";

(ऊ) प्रविष्टि 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात्:—

"13. सिविल प्रक्रिया, जहां तक उसका संबंध किसी विदेश में राजनयिक तथा कौंसलीय अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाए जाने से तथा शपथ-पत्र लिए जाने से है।";

(ए) प्रविष्टि 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात्:—

"25. श्रमिकों को व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।";

(ऐ) प्रविष्टि 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात्:—

"30. जन्म-मरण सांख्यिकी, जहां तक उसका संबंध जन्म तथा मृत्यु से है, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है।";

(ओ) प्रविष्टि 42 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात्:—

"42. संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, जहां तक उसका संबंध सूची 1 की प्रविष्टि 67 या सूची 3 की प्रविष्टि 40 के अंतर्गत आने वाली संपत्ति के या किसी ऐसी मानवीय कलाकृति के, जिसका कलात्मक या सौंदर्यात्मक मूल्य है, अर्जन से है।";

(औ) प्रविष्टि 45 में, "सूची 2 या सूची 3" के स्थान पर "इस सूची" शब्द रखें।

(28) नवीं अनुसूची

(क) प्रविष्टि 64 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ें, अर्थात्:—

"64क. जम्मू-कश्मीर राज्य कुठ अधिनियम (संवत् 1978 का सं. 1)।

64ख. जम्मू-कश्मीर अभिधृति अधिनियम (संवत् 1980 का सं. 2)।

64ग. जम्मू-कश्मीर भूमि अन्यसंक्रमण अधिनियम (संवत् 1995 का सं. 5)।

64घ. जम्मू-कश्मीर बृहद् भू-संपदा उत्सादन अधिनियम (संवत् 2007 का सं. 17)।

64ङ. जागीरों और भू-राजस्व के अन्य समनुदेशनों आदि के पुनर्ग्रहण के बारे में 1951 का आदेश सं. 6-एच, तारीख 10 मार्च, 1951।

64च. जम्मू-कश्मीर बंधक संपत्ति की वापसी अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम 14)।

64छ. जम्मू-कश्मीर ऋणी राहत अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम 15)।'';

(ख) प्रविष्टि 65 से 86 तक जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं होती हैं;

(ग) प्रविष्टि 86 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित करें, अर्थात्:—

''87. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 43), लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 58), निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 40)।'';

(घ) प्रविष्टि 91 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित करें, अर्थात्:—

''92. आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का केन्द्रीय अधिनियम 26)।'';

(ङ) प्रविष्टि 129 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित करें, अर्थात्:—

''130. आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 27)।'';

(च) ऊपर उपदर्शित रूप में, प्रविष्टि 87, प्रविष्टि 92 और प्रविष्टि 130 के अंत:स्थापन के पश्चात् प्रविष्टि 87 से प्रविष्टि 188 तक को क्रमश: प्रविष्टि 65 से प्रविष्टि 166 के रूप में पुन:संख्यांकित करें।

29. दसवीं अनुसूची

(क) ''[अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191(2)]'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''[अनुच्छेद 102(2)]'' कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 1 के खंड (क) में, ''या किसी राज्य की, यथास्थिति, विधान सभा या विधान-मंडल का कोई सदन'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) पैरा 2 में,—

(i) उप-पैरा 1 में, स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (2) में, ''यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''अनुच्छेद 99'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उप-पैरा (3) में, ''यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''अनुच्छेद 99'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(iii) उप-पैरा (4) में, संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 1989 के प्रारंभ के प्रति निर्देश है;

(घ) पैरा 5 में, ''अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् के सभापति या उप-सभापति अथवा किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ङ) पैरा 6 के उप-पैरा (2) में, ''यथास्थिति, अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद् की कार्यवाहियां हैं या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधान-मंडल की कार्यवाहियां हैं'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद् की कार्यवाहियां हैं'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(च) पैरा 8 के उप-पैरा (3) में, ''यथास्थिति, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 194'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''अनुच्छेद 105'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

जय भीम समुदाय
शिक्षित बनो, शिक्षा का दान करो

उपाबंध

संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015

[28 मई, 2015]

भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच किए गए करार और उसके प्रोटोकाल के अनुसरण में राज्यक्षेत्रों का भारत द्वारा अर्जन किए जाने और कतिपय राज्यक्षेत्रों का बांग्लादेश को अंतरण किए जाने को प्रभावी करने के लिए भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. **संक्षिप्त नाम**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

2. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में,—

(क) ''अर्जित राज्यक्षेत्र'' से भारत-बांग्लादेश करार और उसके प्रोटोकाल में समाविष्ट तथा पहली अनुसूची में निर्दिष्ट उतने राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं, जिनका खंड (ग) में निर्दिष्ट करार और उसके प्रोटोकाल के अनुसरण में भारत द्वारा बांग्लादेश से अर्जन किए जाने के प्रयोजन के लिए अभ्यंकन किया गया है;

(ख) ''नियत दिन'' से ऐसी तारीख अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, भारत-बांग्लादेश करार तथा उसके प्रोटोकाल के अनुसरण में पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में यथानिर्दिष्ट कुछ राज्यक्षेत्रों का, जिनका इस प्रकार अर्जन और अंतरण कराए जाने और उस प्रयोजन के लिए अभ्यंकन कराए जाने के पश्चात् बांग्लादेश से राज्यक्षेत्रों के अर्जन और बांग्लादेश को राज्यक्षेत्रों के अंतरण के लिए तारीख नियत करे;

(ग) ''भारत-बांग्लादेश करार'' से भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के अभ्यंकन और संबद्ध विषयों के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच तारीख 16 मई, 1974 को हुआ करार, तारीख 26 दिसम्बर, 1974, तारीख 30 दिसम्बर, 1974, तारीख 7 अक्तूबर, 1982 और तारीख 26 मार्च, 1992 का पत्र विनिमय तथा भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच हुए तारीख 6 सितम्बर, 2011 के उक्त करार का प्रोटोकाल अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत उद्धरण तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं;

(घ) ''अंतरित राज्यक्षेत्र'' से भारत-बांग्लादेश करार और उसके प्रोटोकाल में समाविष्ट तथा दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट उतने राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं, जिनका खंड (ग) में निर्दिष्ट करार और उसके प्रोटोकाल के अनुसरण में भारत द्वारा बांग्लादेश को अंतरित किए जाने के प्रयोजन के लिए अभ्यंकन किया गया है।

3. संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन—संविधान की पहली अनुसूची में, नियत दिन से ही,—

(क) असम राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, ''और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं, जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां तक उसका संबंध संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है, संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट हैं'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, अंत में, जोड़े जाएंगे;

(ख) पश्चिमी बंगाल राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, ''और वे राज्यक्षेत्र भी, जो पहली अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट हैं किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं, जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां तक उसका संबंध संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की पहली अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों और दूसरी अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है, संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की दूसरी अनुसूची के भाग में निर्दिष्ट हैं'' शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर, अंत में, जोड़े जाएंगे;

(ग) मेघालय राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, ''और वे राज्यक्षेत्र, जो पहली अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट हैं किन्तु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं, जो संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की दूसरी अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं'' शब्द, अंक और कोष्ठक, अंत में, जोड़े जाएंगे;

(घ) त्रिपुरा राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, ''और वे राज्यक्षेत्र जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (घ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां तक उनका संबंध संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की पहली अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है, संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की पहली अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, अंत में, जोड़े जाएंगे।

पहली अनुसूची

[धारा 2(क), धारा 2(ख) और धारा 3 देखिए]

भाग 1

तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर, 2011 के प्रोटोकाल के अनुच्छेद 3(I)(ख)(ii)(iii)(iv)(v) के संबंध में अर्जित राज्यक्षेत्र।

भाग 2

तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर, 2011 के प्रोटोकाल के अनुच्छेद 3(I)(ग)(i) के संबंध में अर्जित राज्यक्षेत्र।

भाग 3

तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 1(12) और अनुच्छेद 2 तथा तारीख 6 सितम्बर, 2011 के प्रोटोकाल के अनुच्छेद 2(II), 3(I)(क)(iii)(iv)(v)(vi) के संबंध में अर्जित राज्यक्षेत्र।

नमो बुद्धाय। जय भीम।
जय भीम समुदाय
शिक्षित बनो, शिक्षा का दान करो

दूसरी अनुसूची

[धारा 2(ख), धारा 2(घ) और धारा 3 देखिए]

भाग 1

तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर, 2011 के प्रोटोकाल के अनुच्छेद 3(I)(घ)(i)(ii) के संबंध में अन्तरित राज्यक्षेत्र।

भाग 2

तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर, 2011 के प्रोटोकाल के अनुच्छेद 3(I)(ख)(i) के संबंध में अन्तरित राज्यक्षेत्र।

भाग 3

तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 1(12) और अनुच्छेद 2 तथा तारीख 6 सितम्बर, 2011 के प्रोटोकाल के अनुच्छेद 2(II), 3(I)(क)(i)(ii)(vi) के संबंध में अन्तरित राज्यक्षेत्र।

नमो बुद्धाय। जय भीम।
जय भीम समुदाय
शिक्षित बनो, शिक्षा का दान करो

तीसरी अनुसूची

[धारा 2(ग) देखिए]

I. भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के अभ्यंकन तथा संबंधित विषयों के संबंध में तारीख 16 मई, 1974 को हुए करार से उद्धरण

अनुच्छेद 1(12): विदेशी अंत:क्षेत्र (एन्क्लेव)

बांग्लादेश स्थित भारतीय एन्क्लेवों और भारत स्थित बांग्लादेश एन्क्लेवों का, पैरा 14 में उल्लिखित एन्क्लेवों को छोड़कर, बांग्लादेश में जाने वाले अतिरिक्त क्षेत्र के लिए प्रतिकर का दावा किए बिना शीघ्रतिशीघ्र आदान-प्रदान किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 2:

भारत और बांग्लादेश की सरकारें इस बात के लिए सहमत हैं कि पहले से अभ्यंकित क्षेत्रों में प्रतिकूल कब्जे वाले राज्यक्षेत्र, जिनके संबंध में सीमा पट्टी मानचित्र पहले से तैयार हैं, पूर्णाधिकारियों द्वारा सीमा पट्टी मानचित्रों पर हस्ताक्षर किए जाने के छह मास के भीतर आदान-प्रदान किए जाएंगे। वे सुसंगत मानचित्रों पर यथासंभवशीघ्र और किसी भी दशा में 31 दिसम्बर, 1974 के अपश्चात् हस्ताक्षर कर सकते हैं। ऐसे अन्य क्षेत्रों के, जिनकी बाबत अभ्यंकन पहले ही किया जा चुका है, मानचित्रों के मुद्रण हेतु शीघ्र उपाय किए जाएं। इन्हें 31 मई, 1975 तक मुद्रित करा लिया जाना चाहिए और तत्पश्चात् उन पर पूर्णाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर करवा लिए जाने चाहिएं जिससे कि इन क्षेत्रों में प्रतिकूलत: धारित कब्जों का आदान-प्रदान 31 दिसम्बर, 1975 तक किया जा सके। जिन सेक्टरों का अभी भी अभ्यंकन किया जाना है, उनमें राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता का अन्तरण संबंधित सीमा पट्टी मानचित्रों पर पूर्णाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के छह मास के भीतर हो सकता है।

II. भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के अभ्यंकन तथा संबंधित विषयों के संबंध में तारीख 6 सितम्बर, 2011 को हुए करार के प्रोटोकाल से उद्धरण

अनुच्छेद 2:

(II) 1974 के करार के अनुच्छेद 1, खंड (12) को कार्यान्वित निम्नानुसार किया जाएगा:

एन्क्लेव

संयुक्त रूप से सत्यापित और डी.जी.एल.आर. एंड एस., बांग्लादेश तथा डी.एल.आर. एंड एस., पश्चिमी बंगाल (भारत) के स्तर पर अप्रैल, 1997 में हस्ताक्षर किए गए भू-कर एन्क्लेव मानचित्रों के अनुसार बांग्लादेश में के 111 भारतीय एन्क्लेव और भारत में के 51 बांग्लादेश एन्क्लेव का बांग्लादेश में जाने वाले अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए प्रतिकर का दावा किए बिना आदान-प्रदान किया जाएगा।

अनुच्छेद 3:

(I) 1974 के करार के अनुच्छेद 2 को कार्यान्वित निम्नानुसार किया जाएगा:

भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच यह करार हुआ है कि प्रतिकूल कब्जे में धारित राज्यक्षेत्रों के लिए, जैसा कि संयुक्त सर्वेक्षण के माध्यम से अवधारित किया गया था और अपने-अपने प्रतिकूल कब्जा भू-क्षेत्र सूचक मानचित्र (एपीएल मानचित्र) में, जिसे दिसम्बर, 2010 और अगस्त, 2011 के बीच दोनों देशों के भू-अभिलेख और सर्वेक्षण विभागों द्वारा अंतिम रूप दिया गया है, पूर्णतया चित्रित किया गया था, जिनका पूर्णतया वर्णन नीचे खंड (क) से खंड (घ) में किया गया है, एक नियत सीमा के रूप में सीमा रेखा खींची जाएगी।

सुसंगत सीमा पट्टी मानचित्रों को मुद्रित किया जाएगा और उन पर पूर्णाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता का अन्तरण एन्क्लेवों के आदान-प्रदान के साथ-साथ पूर्ण किया जाएगा। ऊपर वर्णित सूचक मानचित्रों में यथा चित्रित सीमा का अभ्यंकन निम्नानुसार होगा:

(क) पश्चिमी बंगाल सेक्टर

(i) बौसमारी-मधुगरी (कुश्तिया-नाडिया) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 154/5-एस से 157/1-एस से होते हुए मथबंगा नदी के पुराने बहाव मार्ग के मध्य तक, जैसा कि 1962 के चकबंदी मानचित्र में चित्रित है एक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि जून, 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(ii) अंधारकोटा (कुश्तिया-नाडिया) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 152/5-एस से सीमा स्तंभ सं. 153/1-एस से होते हुए विद्यमान मथबंगा नदी के किनारे तक एक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि जून, 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(iii) पकुरिया (कुश्तिया-नाडिया) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 151/1-एस से सीमा स्तंभ सं. 152/2-एस से होते हुए मथबंगा नदी के किनारे तक एक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि जून, 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(iv) चार महिष्कुंडी (कुश्तिया-नाडिया) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 153/1-एस से सीमा स्तंभ सं. 153/9-एस से होते हुए मथबंगा नदी के किनारे तक एक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि जून, 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(v) हरिपाल/खुतादाह/बटोली/सपामेरी/एलएन पुर (पटारी) (नौगांव-मालदा) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 242/एस/13 से सीमा स्तंभ सं. 243/7-एस/5 को जोड़ने वाली रेखा के रूप में सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि जून, 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(vi) बेरुबाडी (पंचगढ़-जलपाईगुड़ी) क्षेत्र

बांग्लादेशी द्वारा प्रतिकूलत: धारित बेरुबाडी क्षेत्र (पंचगढ़-जलपाईगुड़ी) और भारत द्वारा प्रतिकूलत: धारित बेरुबाडी और सिंघपारा-खुडीपारा (पंचगढ़-जलपाईगुड़ी) में सीमा रेखा 1996-1998 के दौरान संयुक्त रूप से किए गए अभ्यंकन के अनुसार खींची जाएगी।

(ख) मेघालय सेक्टर

(i) लोबाचेरा-नूनचेरा

लईलांग-बलिचेरा में विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 1315/4-एस से सीमा स्तंभ सं. 1315/15-एस तक लईलांग-नूनचेरा में सीमा स्तंभ सं. 1316/1-एस से सीमा स्तंभ सं. 1316/11-एस तक लईलांग-लहिलिंग में सीमा स्तंभ सं. 1317 से सीमा स्तंभ सं. 1317/13-एस तक और लईलांग-लुभाचेरा में सीमा स्तंभ सं. 1318/1-एस से सीमा स्तंभ सं. 1318/2-एस से होते हुए चाय बागानों के किनारे तक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि दिसम्बर, 2010 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(ii) पिरडीवाह/पडुआ क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 1270/1-एस से सीमा स्तंभ सं. 1271/1-टी तक, संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण और परस्पर सहमति अनुसार सीमा रेखा खींची जाएगी। पक्षकारों के बीच सहमति हुई है कि पिरडीवाह गांव से भारतीय राष्ट्रिकों को उस मानचित्र के, जिस पर सहमति हुई है, बिन्दु सं. 6 के निकट पियांग नदी से पानी लेने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) लिंगखाट क्षेत्र

(कक) लिंगखाट-I/कुलुमचेरा और लिंगखाट-II/कुलुमचेरा

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 1264/4-एस से सीमा स्तंभ सं. 1265 और सीमा स्तंभ सं. 1265/6-एस से सीमा स्तंभ सं. 1265/9-एस तक उस रेखा के अनुसार सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और परस्पर सहमति हुई थी।

(कख) लिंगखाट-III/सोनारहाट

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 1266/13-एस से दक्षिण दिशा के नाले के साथ-साथ वहां तक सीमा रेखा जहां तक वह पूर्व-पश्चिम दिशा में दूसरे नाले से मिलती है, खींची जाएगी उसके पश्चात् यह पूर्व दिशा में नाले के उत्तरी किनारे से होते हुए वहां तक चलेगी, जहां तक वह संदर्भ स्तंभ सं. 1267/4-आर.बी. और 1267/3-आर.आई. के उत्तर में विद्यमान अन्तरराष्ट्रीय सीमा से मिलती है।

(iv) दावकी/तमाबिल क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 1275/1-एस से सीमा स्तंभ सं. 1275/7-एस को जोड़ने वाली एक सीधी रेखा से सीमा रेखा खींची जाएगी। पक्षकार इस क्षेत्र में ''शून्य रेखा'' पर बाड़ लगाने पर सहमत हैं।

(v) नलजूरी/श्रीपुर क्षेत्र

(कक) नलजूरी-I

सीमा रेखा दक्षिण दिशा में विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 1277/2-एस से पट्टी मानचित्र सं. 166 में यथा दर्शित तीन भू-खंडों तक वहां तक की एक ऐसी रेखा होगी जहां तक वह सीमा स्तंभ सं. 1277/5-टी से बहने

वाले नाले से मिलती है तत्पश्चात् वह दक्षिण दिशा में नाले के पश्चिमी किनारे के साथ-साथ बांग्लादेश की ओर के दो भू-खंडों तक चलेगी, तत्पश्चात् वह पूर्व की ओर वहां तक चलेगी जहां तक सीमा स्तंभ सं. 1277/4-एस से दक्षिण दिशा में खींची गई रेखा से मिलती है।

(कख) नलजूरी-III

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 1278/2-एस से सीमा स्तंभ सं. 1279/3-एस तक सीमा रेखा एक सीधी रेखा के रूप में खींची जाएगी।

(vi) मुक्तापुर/डिबिर हावोर क्षेत्र

पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि भारतीय राष्ट्रिकों को काली मंदिर जाने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें मुक्तापुर की ओर के तट से मुक्तापुर/डिबिर हावोर क्षेत्र में स्थित जलाशय से पानी लेने और मछली पकड़ने के अधिकारों का प्रयोग करने की भी अनुज्ञा दी जाएगी।

(ग) त्रिपुरा सेक्टर

(i) त्रिपुरा/मौलवी बाजार सेक्टर में चन्दन नगर-चंपाराई चाय बागान क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 1904 से सीमा स्तंभ सं. 1905 तक सोनार चेरी नदी के साथ सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि जुलाई, 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(घ) असम सेक्टर

(i) असम सेक्टर में कालाबाड़ी (बोरोईबारी) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 1066/24-टी से सीमा स्तंभ सं. 1067/16-टी तक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि अगस्त, 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(ii) असम सेक्टर में पल्लाथाल क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 1370/3-एस से सीमा स्तंभ सं. 1371/6-एस से होते हुए चाय बागान के बाहरी किनारे से होते हुए पान बागान क्षेत्र के बाहरी किनारे के साथ-साथ सीमा स्तंभ सं. 1372 से 1373/2-एस तक सीमा रेखा खींची जाएगी।

III. तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 1(12) और तारीख 6 सितम्बर, 2011 के करार के प्रोटोकाल के अनुसरण में भारत और बांग्लादेश के बीच एन्क्लेवों के आदान-प्रदान की सूची

अ. बांग्लादेश में के आदान-प्रदान योग्य भारतीय एन्क्लेव, क्षेत्रफल सहित

क्रम सं.	छिटों का नाम	छिट सं.	बांग्लादेश के पुलिस स्टेशन के भीतर स्थित	पश्चिमी बंगाल के पुलिस स्टेशन के भीतर स्थित	क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5	6
	क. स्वतंत्र छिटों वाले एन्क्लेव				
1.	गराटी	75	पोचागर	हल्दीबाड़ी	58.23
2.	गराटी	76	पोचागर	हल्दीबाड़ी	0.79
3.	गराटी	77	पोचागर	हल्दीबाड़ी	18
4.	गराटी	78	पोचागर	हल्दीबाड़ी	958.66
5.	गराटी	79	पोचागर	हल्दीबाड़ी	1.74
6.	गराटी	80	पोचागर	हल्दीबाड़ी	73.75
7.	बिंगीमारी भाग-I	73	पोचागर	हल्दीबाड़ी	6.07
8.	नजीरगंज	41	बोडा	हल्दीबाड़ी	58.32
9.	नजीरगंज	42	बोडा	हल्दीबाड़ी	434.29
10.	नजीरगंज	44	बोडा	हल्दीबाड़ी	53.47
11.	नजीरगंज	45	बोडा	हल्दीबाड़ी	1.07
12.	नजीरगंज	46	बोडा	हल्दीबाड़ी	17.95
13.	नजीरगंज	47	बोडा	हल्दीबाड़ी	3.89
14.	नजीरगंज	48	बोडा	हल्दीबाड़ी	73.27
15.	नजीरगंज	49	बोडा	हल्दीबाड़ी	49.05
16.	नजीरगंज	50	बोडा	हल्दीबाड़ी	5.05
17.	नजीरगंज	51	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.77

1	2	3	4	5	6
18.	नजीरगंज	52	बोडा	हल्दीबाड़ी	1.04
19.	नजीरगंज	53	बोडा	हल्दीबाड़ी	1.02
20.	नजीरगंज	54	बोडा	हल्दीबाड़ी	3.87
21.	नजीरगंज	55	बोडा	हल्दीबाड़ी	12.18
22.	नजीरगंज	56	बोडा	हल्दीबाड़ी	54.04
23.	नजीरगंज	57	बोडा	हल्दीबाड़ी	8.27
24.	नजीरगंज	58	बोडा	हल्दीबाड़ी	14.22
25.	नजीरगंज	60	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.52
26.	पुटीमारी	59	बोडा	हल्दीबाड़ी	12.28
27.	दैखाता छट	38	बोडा	हल्दीबाड़ी	499.21
28.	सल्बरी	37	बोडा	हल्दीबाड़ी	1188.93
29.	काजल दिघी	36	बोडा	हल्दीबाड़ी	771.44
30.	नटकटोका	32	बोडा	हल्दीबाड़ी	162.26
31.	नटकटोका	33	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.26
32.	बेउलाडांगा छट	35	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.83
33.	बलापारा इगराबार	3	देबीगंज	हल्दीबाड़ी	1752.44
34.	बला खनकिखरीजा सितलदहा	30	डिमला	हल्दीबाड़ी	7.71
35.	बला खनकिखरीजा सितलदहा	29	डिमला	हल्दीबाड़ी	36.83
36.	बराखनगीर	28	डिमला	हल्दीबाड़ी	30.53
37.	नगरजीकोबरी	31	डिमला	हल्दीबाड़ी	33.41
38.	कुचलीबारी	26	पटग्राम	मेकलीगंज	5.78
39.	कुचलीबारी	27	पटग्राम	मेकलीगंज	2.04
40.	बरा कुचलीबारी	थाना मेकलीगंज के जे.एल. 107 का अपखंड	पटग्राम	मेकलीगंज	4.35

1	2	3	4	5	6
41.	जमालोहा-बेलापुखारी	6	पटग्राम	मेकलीगंज	5.24
42.	उपनचौकी कुचलीबारी	115/2	पटग्राम	मेकलीगंज	0.32
43.	उपनचौकी कुचलीबारी	7	पटग्राम	मेकलीगंज	44.04
44.	भोथनरी	11	पटग्राम	मेकलीगंज	36.83
45.	बालापुखारी	5	पटग्राम	मेकलीगंज	55.91
46.	बाराखानगीर	4	पटग्राम	मेकलीगंज	50.51
47.	बाराखानगीर	9	पटग्राम	मेकलीगंज	87.42
48.	छठ बोगडोकरा	10	पटग्राम	मेकलीगंज	41.7
49.	रतनपुर	11	पटग्राम	मेकलीगंज	58.91
50.	बोगडोकरा	12	पटग्राम	मेकलीगंज	25.49
51.	पुलकर डाबरी	थाना मेकलीगंज के जे.एल. 107 का अपखंड	पटग्राम	मेकलीगंज	0.88
52.	खरखरीया	15	पटग्राम	मेकलीगंज	60.74
53.	खरखरीया	13	पटग्राम	मेकलीगंज	51.62
54.	लोटामारी	14	पटग्राम	मेकलीगंज	110.92
55.	भूतबारी	16	पटग्राम	मेकलीगंज	205.46
56.	कोमट चांग्रबधा	16ए	पटग्राम	मेकलीगंज	42.8
57.	कोमट चांग्रबधा	17ए	पटग्राम	मेकलीगंज	16.01
58.	पनीसाला	17	पटग्राम	मेकलीगंज	137.66
59.	द्वारिकामारी खासबाश	18	पटग्राम	मेकलीगंज	36.5
60.	पनीसाला	153/पी	पटग्राम	मेकलीगंज	0.27
61.	पनीसाला	153/ओ	पटग्राम	मेकलीगंज	18.01
62.	पनीसाला	19	पटग्राम	मेकलीगंज	64.63

1	2	3	4	5	6
63.	पनीसाला	21	पटग्राम	मेकलीगंज	51.4
64.	लोटामारी	20	पटग्राम	मेकलीगंज	283.53
65.	लोटामारी	22	पटग्राम	मेकलीगंज	98.85
66.	द्वारिकामारी	23	पटग्राम	मेकलीगंज	39.52
67.	द्वारिकामारी	25	पटग्राम	मेकलीगंज	45.73
68.	छट भोथाट	24	पटग्राम	मेकलीगंज	56.11
69.	बाकाटा	131	पटग्राम	हथभंगा	22.35
70.	बाकाटा	132	पटग्राम	हथभंगा	11.96
71.	बाकाटा	130	पटग्राम	हथभंगा	20.48
72.	भोग्रामगुरी	133	पटग्राम	हथभंगा	1.44
73.	चेनाकाटा	134	पटग्राम	मेकलीगंज	7.81
74.	बांसकाटा	119	पटग्राम	मथबंगा	413.81
75.	बांसकाटा	120	पटग्राम	मथबंगा	30.75
76.	बांसकाटा	121	पटग्राम	मथबंगा	12.15
77.	बांसकाटा	113	पटग्राम	मथबंगा	57.86
78.	बांसकाटा	112	पटग्राम	मथबंगा	315.04
79.	बांसकाटा	114	पटग्राम	मथबंगा	0.77
80.	बांसकाटा	115	पटग्राम	मथबंगा	29.2
81.	बांसकाटा	122	पटग्राम	मथबंगा	33.22
82.	बांसकाटा	127	पटग्राम	मथबंगा	1272
83.	बांसकाटा	128	पटग्राम	मथबंगा	2.33
84.	बांसकाटा	117	पटग्राम	मथबंगा	2.55
85.	बांसकाटा	118	पटग्राम	मथबंगा	30.98
86.	बांसकाटा	125	पटग्राम	मथबंगा	0.64
87.	बांसकाटा	126	पटग्राम	मथबंगा	1.39
88.	बांसकाटा	129	पटग्राम	मथबंगा	1.37
89.	बांसकाटा	116	पटग्राम	मथबंगा	16.96

1	2	3	4	5	6
90.	बांसकाटा	123	पटग्राम	मथबंगा	24.37
91.	बांसकाटा	124	पटग्राम	मथबंगा	0.28
92.	गोटामारी छिट	135	हातिबंधा	सितलकुची	126.59
93.	गोटामारी छिट	136	हातिबंधा	सितलकुची	20.02
94.	बनापचाई	151	लालमोनिरहाट	दिनहाटा	217.29
95.	बनापचाई भीतरकुथी	152	लालमोनिरहाट	दिनहाटा	81.71
96.	दसिआर छारा	150	फुलबारी	दिनहाटा	1643.44
97.	दकुरहाट-दकिनिरकुथी	156	कुरीग्राम	दिनहाटा	14.27
98.	कलामती	141	भुरुंगामारी	दिनहाटा	21.21
99.	भाहोबगंज	153	भुरुंगामारी	दिनहाटा	31.58
100.	बाओतिकुरसा	142	भुरुंगामारी	दिनहाटा	45.63
101.	बरा कोआचुल्का	143	भुरुंगामारी	दिनहाटा	39.99
102.	गावचुल्का II	147	भुरुंगामारी	दिनहाटा	0.9
103.	गावचुल्का I	146	भुरुंगामारी	दिनहाटा	8.92
104.	दिघालतरी II	145	भुरुंगामारी	दिनहाटा	8.81
105.	दिघालतरी I	144	भुरुंगामारी	दिनहाटा	12.31
106.	छोटूगरलझोरा II	149	भुरुंगामारी	दिनहाटा	17.85
107.	छोटूगरलझोरा I	148	भुरुंगामारी	दिनहाटा	35.74
108.	जे.एल. सं. 38 के दक्षिणी छोर और जे.एल. सं. 39 के दक्षिणी छोर पर बिना नाम और जे.एल. सं. का 1 छिट* (स्थानीय रूप से अशोकाबाड़ी** के रूप में ज्ञात)		पटग्राम	मथभंगा	3.5

*29 सितम्बर, 2002 से 2 अक्तूबर, 2002 तक कोलकाता में आयोजित एक सौ पचासवें (चौवनवें) भारत-बांग्लादेश सीमा सम्मेलन द्वारा संशोधित।

**18 सितम्बर, 2003 से 20 सितम्बर, 2003 तक कूच बिहार (भारत) में आयोजित एक सौ बावनवें (छप्पनवें) भारत-बांग्लादेश सीमा सम्मेलन द्वारा संशोधित।

1	2	3	4	5	6
		ख. अपखंड छिट वाले एन्क्लेव			
109.	(i) बेवलाडांगा	34	हल्दीबाड़ी	बोडा	862.46
	(ii) बेवलाडांगा	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
110.	(i) कोतभाजनी	2	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	2012.27
	(ii) कोतभाजनी	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(iii) कोतभाजनी	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(iv) कोतभाजनी	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
111.	(i) दहाला	खागराबारी	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	2650.35
	(ii) दहाला	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(iii) दहाला	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(iv) दहाला	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(v) दहाला	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(vi) दहाला	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
					17160.63

एन्क्लेवों के उपरोक्त ब्यौरों का 9 अक्तूबर, 1996 से 12 अक्तूबर, 1996 के दौरान कलकत्ता में आयोजित भारत-बांग्लादेश सम्मेलन के दौरान और साथ ही 21 नवम्बर, 1996 से 24 नवम्बर, 1996 के दौरान जलपाईगुड़ी (पश्चिमी बंगाल)-पांचागढ़ (बांग्लादेश) सेक्टर में संयुक्त क्षेत्र निरीक्षण के दौरान भी भारत और बांग्लादेश द्वारा धारित अभिलेखों से संयुक्त रूप से मिलान किया गया है और उन्हें समाधानप्रद बनाया गया है।

टिप्पण: क्षेत्र सीमन काल 1996-97 के दौरान संयुक्त भूमि सत्यापन द्वारा उपर्युक्त क्रम सं. 108 के एन्क्लेव के नाम की अशोकाबाड़ी एन्क्लेव के रूप में पहचान की गई।

बिग्रेडियर जे.आर. पीटर
निदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण
(पदेन), पश्चिमी बंगाल, भारत
और निदेशक, पूर्वी क्षेत्र
भारतीय सर्वेक्षण, कलकत्ता

मो. शफी उद्दीन
महानिदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण,
बांग्लादेश

आ. भारत में के आदान-प्रदान योग्य बांग्लादेश एन्क्लेव, क्षेत्रफल सहित

क्रम सं.	छिटों का नाम	पश्चिमी बंगाल के पुलिस स्टेशन के भीतर स्थित	बांग्लादेश के पुलिस स्टेशन के भीतर स्थित	जे.एल. सं.	क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5	6
	क. स्वतंत्र छिटों वाले एन्क्लेव				
1.	छिट कुचलीबारी	मेकलीगंज	पटग्राम	22	370.64
2.	कुचलीबारी की छिट भूमि	मेकलीगंज	पटग्राम	24	1.83
3.	बालापुखारी	मेकलीगंज	पटग्राम	21	331.64
4.	पनबारी सं. 2 की छिट भूमि	मेकलीगंज	पटग्राम	20	1.13
5.	छिट पनबारी	मेकलीगंज	पटग्राम	18	108.59
6.	धाबलसाती मिर्गीपुर	मेकलीगंज	पटग्राम	15	173.88
7.	बामनदल	मेकलीगंज	पटग्राम	11	2.24
8.	छिट धाबलसाती	मेकलीगंज	पटग्राम	14	66.58
9.	धाबलसाती	मेकलीगंज	पटग्राम	13	60.45
10.	श्रीरामपुर	मेकलीगंज	पटग्राम	8	1.05
11.	जोते निज्जमा	मेकलीगंज	पटग्राम	3	87.54
12.	जगतबेर सं. 3 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	37	69.84
13.	जगतबेर सं. 1 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	35	30.66
14.	जगतबेर सं. 2 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	36	27.09
15.	छिट कोकोआबारी	मथबंगा	पटग्राम	47	29.49
16.	छिट भंदारदाहा	मथबंगा	पटग्राम	67	39.96
17.	धाबलगुड़ी	मथबंगा	पटग्राम	52	12.5
18.	छिट धाबलगुड़ी	मथबंगा	पटग्राम	53	22.31

1	2	3	4	5	6
19.	धाबलगुड़ी सं. 3 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	70	1.33
20.	धाबलगुड़ी सं. 4 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	71	4.55
21.	धाबलगुड़ी सं. 5 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	72	4.12
22.	धाबलगुड़ी सं. 1 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	68	26.83
23.	धाबलगुड़ी सं. 2 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	69	13.95
24.	महिशमारी	सितलकुची	पटग्राम	54	122.77
25.	बुरा सराडुबी	सितलकुची	हातिबधा	13	34.96
26.	फलनापुर	सितलकुची	पटग्राम	64	505.56
27.	अमझोल	सितलकुची	हातिबधा	57	1.25
28.	किसमत भातरीगाछ	दिनहाटा	कालीगंज	82	209.95
29.	दुर्गापुर	दिनहाटा	कालीगंज	83	20.96
30.	बंसुआ खामर गितालदाहा	दिनहाटा	लालमोनिरहाट	1	24.54
31.	पाओतुकुथी	दिनहाटा	लालमोनिरहाट	37	589.94
32.	पश्चिम बाकालीर छरा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	38	151.98
33.	मध्य बाकालीर छरा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	39	32.72
34.	पूरबा बाकालीर छरा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	40	12.23
35.	मध्य मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	3	136.66
36.	मध्य छिट मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	8	11.87
37.	पश्चिम छिट मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	7	7.6
38.	उत्तर मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	2	27.29
39.	कचुआ	दिनहाटा	भुरुंगामारी	5	119.74
40.	उत्तर बंसजानी	तूफानगंज	भुरुंगामारी	1	47.17
41.	छत तिलाई	तूफानगंज	भुरुंगामारी	17	81.56

1	2	3	4	5	6
		ख. अपखंड छिट वाले एन्क्लेव			
42.	(i) नलग्राम	सितलकुची	पटग्राम	65	1397.34
	(ii) नलग्राम (अपखंड)	सितलकुची	पटग्राम	65	
	(iii) नलग्राम (अपखंड)	सितलकुची	पटग्राम	65	
43.	(i) छिट नलग्राम	सितलकुची	पटग्राम	66	49.5
	(ii) छिट नलग्राम (अपखंड)	सितलकुची	पटग्राम	66	
44.	(i) बतरीगाछ	दिनहाटा	कालीगंज	81	577.37
	(ii) बतरीगाछ (अपखंड)	दिनहाटा	कालीगंज	81	
	(iii) बतरीगाछ (अपखंड)	दिनहाटा	फुलबारी	9	
45.	(i) कराला	दिनहाटा	फुलबारी	9	269.91
	(ii) कराला (अपखंड)	दिनहाटा	फुलबारी	9	
	(iii) कराला (अपखंड)	दिनहाटा	फुलबारी	8	
46.	(i) सिबप्रसाद मुस्तती	दिनहाटा	फुलबारी	8	373.2
	(ii) सिबप्रसाद मुस्तती (अपखंड)	दिनहाटा	फुलबारी	6	
47.	(i) दक्षिण मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	6	571.38
	(ii) दक्षिण मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुरुंगामारी	6	
	(iii) दक्षिण मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुरुंगामारी	6	
	(iv) दक्षिण मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुरुंगामारी	6	
	(v) दक्षिण मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुरुंगामारी	6	
	(vi) दक्षिण मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुरुंगामारी	6	

1	2	3	4	5	6
48.	(i) पश्चिम मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	4	29.49
	(ii) पश्चिम मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुरुंगामारी	4	
49.	(i) पूरबा छिट मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	10	35.01
	(ii) पूरबा छिट मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुरुंगामारी	10	
50.	(i) पूरबा मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	11	153.89
	(ii) पूरबा मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुरुंगामारी	11	
51.	(i) उत्तर धालडांगा	तूफानगंज	भुरुंगामारी	14	24.98
	(ii) उत्तर धालडांगा (अपखंड)	तूफानगंज	भुरुंगामारी	14	
	(ii) उत्तर धालडांगा (अपखंड)	तूफानगंज	भुरुंगामारी	14	
	कुल क्षेत्रफल				7,110.02

एन्क्लेवों के उपरोक्त ब्यौरों का 9 अक्तूबर, 1996 से 12 अक्तूबर, 1996 के दौरान कलकत्ता में आयोजित भारत-बांग्लादेश सम्मेलन के दौरान और साथ ही 21 नवम्बर, 1996 से 24 नवम्बर, 1996 के दौरान जलपाईगुड़ी (पश्चिमी बंगाल)-पांचागढ़ (बांग्लादेश) सेक्टर में संयुक्त क्षेत्र निरीक्षण के दौरान भी भारत और बांग्लादेश द्वारा धारित अभिलेखों से संयुक्त रूप से मिलान किया गया है और उन्हें समाधानप्रद बनाया गया है।

बिग्रेडियर जे.आर. पीटर
निदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण (पदेन), पश्चिमी बंगाल, भारत
और निदेशक, पूर्वी क्षेत्र
भारतीय सर्वेक्षण, कलकत्ता

मो. शफी उद्दीन
महानिदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण, बांग्लादेश

अनुक्रमणिका

नमो बुद्धाय ! जय भीम !
जय भीम समुदाय
शिक्षित बनो, शिक्षा का दान करो

Blank

संक्षेपाक्षरों की सूची

पहली ..... पहली अनुसूची।

दूसरी.....दूसरी अनुसूची के भाग.....के पैरा.....का उप-पैरा ..... ।

तीसरी ..... तीसरी अनुसूची।

चौथी ..... चौथी अनुसूची।

पांचवीं.....पांचवीं अनुसूची के भाग.....के पैरा.....का उप-पैरा ..... ।

छठी ..... छठी अनुसूची।

सातवीं.....सातवीं अनुसूची की सूची.....की प्रविष्टि संख्यांक ..... ।

आठवीं ..... आठवीं अनुसूची।

नवीं ..... नवीं अनुसूची।

दसवीं ..... दसवीं अनुसूची।

अनुक्रमणिका

अनुच्छेद/अनुसूची

अंक, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए ..... 343(1)

अंतिम आदेश. ..... 132(3)

अंडमान और निकोबार द्वीप राज्यक्षेत्र. ..... पहली

अधिकरण—

प्रशासनिक 323क

अन्य विषयों के लिए 323ख

अधिकार-पृच्छा रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति 32, 226

अधिकारिता, न्यायालयों की—

देशी राज्यों के साथ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन 363

निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन 329

संसद् के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे ..... 122(2)

राज्य विधान-मंडल के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे ..... 212(2)

अधिनियम—

कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण ..... 31ख, नौवीं

अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण 235

अध्यक्ष—देखिए **लोक सभा।**

अध्यादेश—

संघ राज्यक्षेत्रों के विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति 239ख

राज्य विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति 213

संसद् के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति 123

अनन्य आर्थिक क्षेत्र. 297

अनुच्छेद, परिभाषा. ..... 366(3)
अनुदानों के लिए मतदान—
लेखानुदान और प्रत्यानुदान आदि पर—
लोक सभा द्वारा 116
राज्य विधान सभा द्वारा 206
अनुपूरक मांग—
के संबंध में प्रक्रिया—
संसद् में 115
राज्य विधान-मंडल में 205
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र. ..... भाग 10
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां—
अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन ..... 244, पांचवीं
राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट ..... पांचवीं, 3
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग की रिपोर्ट 339
अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा ..... पांचवीं, 6
अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ..... पांचवीं, 2
अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि ..... पांचवीं, 5
अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद् की स्थापना, आदि ..... पांचवीं, 4
असम, मेघालय और मिजोरम जनजाति क्षेत्र ..... छठी, 20
जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन ..... 244(2), छठी
संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का स्वशासी जिलों और प्रदेशों को लागू होना ..... छठी, 12
असम, मेघालय और मिजोरम में स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश ..... छठी, 1
स्वशासी जिलों और प्रदेशों के प्रशासन के बारे में आयोग की रिपोर्ट ..... छठी, 14
प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक् रूप से दिखाया जाना ..... छठी, 13
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां—
सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे 335
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग द्वारा रिपोर्ट 339
परिभाषा ..... 366(24) और (25)
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित न होना 15
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338क
अधिसूचना ..... 341(1) और 342(1)
राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना 341–342
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवर्द्धन 46
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण—
लोक सभा में 330
राज्य विधान-मंडलों में 332

स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का सत्तर वर्ष पश्चात् न रहना 334
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए कतिपय राज्यों में विशेष मंत्री ..... 164(1), परंतुक
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338क
अनुसूची—परिभाषा ..... 366(23)
अंतरण, विधि के समान प्रश्नों से संबंधित मामलों का 139क
अंतरराष्ट्रीय करार—
संधियों आदि का कार्यान्वयन ..... सातवीं, 1–14
अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान 253
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आदि—
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन ... सातवीं, 1–13
अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा आदि—
को बढ़ावा—देखिए **निदेशक तत्व।**
अंतरराज्य—
परिषद् 263
नदी जल विवाद 262
व्यापार या वाणिज्य 286
अन्य देशीय—
अखिल भारतीय सेवाएं—देखिए सेवाएं।
अपमिश्रण—
खाद्य पदार्थों आदि का ..... सातवीं, 3, 18
अफीम—
की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय ..... सातवीं, 1, 59
अर्जन—
संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति 31क
संपत्ति का अनिवार्यतः अर्जन ..... सातवीं, 3, 42
किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अर्जन के लिए रकम ..... 31(1क)
अरूणाचल प्रदेश—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371क
राज्यक्षेत्र ..... पहली
अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण, आदि,—देखिए **मूल अधिकार।**
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी देखिए।
अवयस्क—
शिशु और अवयस्क ..... सातवीं, 3, 5
असम—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
में एक स्वशासी राज्य बनाया जाना 244क
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371ख
राज्य ..... पहली

असम, मेघालय और मिजोरम के राज्यपाल की शक्ति—
संक्रमणकालीन अवधि के दौरान क्षेत्रों का प्रशासन करना ..... छठी, 19
ऐसे क्षेत्रों को, जिनमें अनुसूचित जातियां बसी हुई हैं, परिवर्तित, आदि करना ..... छठी, 1(2) और (3)
स्वशासी क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट के लिए आयोग नियुक्त करना ..... छठी, 14
प्रादेशिक और जिला परिषदों द्वारा बनाए गए नियमों को अनुमोदित करना ..... छठी, 4(4)
जिला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध करने के लिए नियम बनाना ..... छठी, 7(2)
विवाद की दशा में स्वामिस्व का अंश अवधारित करना ..... छठी, 9(2)
संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का उस राज्य के किसी स्वशासी क्षेत्र पर लागू न करना ..... छठी, 12(1)(ख)
सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जिला और प्रादेशिक परिषदों को प्रदत्त शक्तियों का उपांतरित करना या वापस लेना ..... छठी, 5(2)
किसी जिला या प्रादेशिक परिषद् को विघटित करने का आदेश करना ..... छठी, 16
स्वशासी जिलों से क्षेत्रों को अपवर्जित करने का आदेश करना ..... छठी, 17
स्वशासी क्षेत्रों को प्रभावी करने वाले मामलों में उच्च न्यायालय की अधिकारिता विनिर्दिष्ट करना ..... छठी, 4(3)
जिला या प्रादेशिक परिषदों के कार्यों या संकल्पों को निलंबित करना ..... छठी, 15
अस्पताल और औषधालय ..... सातवीं, 2, 6
नाविक और समुद्रीय अस्पताल ..... सातवीं, 1, 28
अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (भाग 21)—
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के बारे में 377
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में 376
फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में 374
विद्यमान विधियों का अनुकूलन ..... 372(2), 372क
विद्यमान विधियों का बने रहना ..... 372(1)
संक्षिप्त विधिक कार्यवाहियां—
फेडरल न्यायालय में ..... 374(2)
सपरिषद् हिज मजेस्टी के समक्ष ..... 374(3)
भाग ख राज्यों की प्रिवी कौंसिलों के समक्ष ..... 374(4)
राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति 369
राष्ट्रपति की शक्ति—
निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में आदेश करने की 373
कठिनाइयों को दूर करने की 392
लोक सेवा आयोग 378
अरूणाचल प्रदेश राज्य 371ज
असम राज्य 371ख
आंध्र प्रदेश राज्य 371घ
गुजरात राज्य 371
गोवा राज्य 371झ
जम्मू-कश्मीर राज्य 370
नागालैंड राज्य 371क
महाराष्ट्र राज्य 371

मणिपुर राज्य 371ग
मिजोरम राज्य 371छ
सिक्किम राज्य 371च
अस्पृश्यता का अंत 17
आंग्ल-भारतीय समुदाय— ..... पहली
परिभाषा ..... 366(2)
के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान 337
कुछ सेवाओं में नियुक्ति के बारे में विशेष उपबंध 336
लोक सभा में नामनिर्देशन के बारे में विशेष उपबंध 331
का राज्य विधान सभा में प्रतिनिधित्व के बारे में विशेष उपबंध 333
के विशेष प्रतिनिधित्व का सत्तर वर्ष के पश्चात् न रहने संबंधी विशेष उपबंध 334
आंध्र प्रदेश—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 371ङ
की विधान सभा के लिए विशेष उपबंध 378क
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371घ
आकस्मिकता निधि—देखिए **वित्त।**
आनुपातिक प्रतिनिधित्व—
एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य विधान परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन ..... 171(4)
राष्ट्रपति का निर्वाचन ..... 55(3)
राज्य सभा में राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन ..... 80(4)
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ..... 66(1)
आपात—
वित्तीय आपात की दशा में राज्यों को निदेश ..... 360(3)
आपात की दशा में उद्घोषणा ..... 360(1)
वित्तीय आपात का प्रतिसंहरण आदि ..... 360(2)
आपात के दौरान वाक्-स्वातंत्र्य, आदि के अधिकार के उपबंधों का निलंबन 358
आपात के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन 359
मूल अधिकारों के अंतर्गत भी देखिए।
आपात की उद्घोषणा 352
आपात की परिभाषा ..... 366(18)
आपात की अवधि ..... 352(4) और (5)
आपात का प्रभाव 353
आपात की उद्घोषणा का संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना ..... 352(4)
आपात का प्रतिसंहरण ..... 352(2) और (7)
आपात उपबंध—
आपात किसी राज्य में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में 356
आपात उपबंध की कालावधि ..... 356(4)
आपात उपबंधों का पंजाब राज्य को लागू होना ..... 359(क)
आपात उपबंधों का संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना ..... 356(3)

आपात उद्घोषणा के दौरान विधायी शक्तियों का प्रयोग 357
आपात उद्घोषणा का प्रतिसंहरण, उसमें परिवर्तन आदि ..... 356(2)
आपात के दौरान राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना 354
आपात की उद्घोषणा—परिभाषा ..... 366(18)
आय पर कर—परिभाषा ..... 366(29)
आयुध, अग्न्यायुध, गोलाबारूद और विस्फोटक ..... सातवीं, 1, 5
आवश्यक प्रदाय और सेवाएं—
बनाए रखने के लिए निवारक निरोध ..... सातवीं, 3, 3
आसूचना और अन्वेषण—
केन्द्रीय ब्यूरो ..... सातवीं, 1, 8
उच्च न्यायालय, राज्यों में 214
उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होना ..... 229(3)
उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का लागू होना 218
मुख्य न्यायमूर्ति—
कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 223
मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति — नीचे देखिए **मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश।**
मुख्य न्यायमूर्ति की शक्ति—
कार्यकारी न्यायाधीशों को नियुक्त करने की ..... 224(2)
अपर न्यायाधीशों को नियुक्त करने की ..... 224(1)
उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त करने की ..... 229(1)
उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने की 224क
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श किया जाना ..... 217(1)
मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों की—
सेवानिवृत्ति की आयु ..... 217(1), 224(3)
नियुक्ति और पद की शर्तें 217, 224, 224क
का आचरण चर्चा का विषय न होना—
संसद् में 121
राज्य विधान-मंडल में 211
की आयु का अवधारण ..... 217(3)
द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 219
के पद छोड़ने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर प्रतिषेध 220
के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं ..... 217(2)
को पद से हटाया जाना ..... 217(1), परंतुक (ख)
के संबंध में प्रक्रिया 218
द्वारा पद त्याग ..... 217(1), परंतुक (क)
के वेतन आदि ..... 221, दूसरी, घ, 10
का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण 222
के पद की रिक्ति ..... 217(1), परंतुक (ग)
उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन ..... 216, सातवीं, 1, 78

अभिलेख न्यायालय 215
उच्च न्यायालय की परिभाषा ..... 366(14)
दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना 231
संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 241
उच्च न्यायालय की अधिकारिता 225
उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार या उसका अपवर्जन ..... 230, सातवीं, 1, 79
उच्च न्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति आदि 229
उच्च न्यायालयों की भाषा — देखिए **भाषा।**
उच्च न्यायालयों की शक्ति—
कुछ रिट जारी करने की 226
अवमान के लिए दंड देने की 215
सभी न्यायालयों के अधीक्षण की 227
अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति ..... 224(3)
उच्च न्यायालयों में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण निहित होगा 235
उच्च न्यायालय को कुछ मामलों का अंतरण 228
अंत:कालीन अवधि के बारे में उपबंध 376
उच्चतम न्यायालय—
के तदर्थ न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति, आदि 127
के प्रशासनिक व्ययों का संचित निधि पर भारित होना ..... 146(3)
को संसद् द्वारा आनुषंगिक शक्तियां प्रदत्त किया जाना 140
के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति 146
की सहायता में प्राधिकारियों द्वारा कार्य किया जाना 144
में अपील के लिए प्रमाणपत्र 134क
के कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 126
के न्यायाधीशों की नियुक्ति—देखिए **न्यायाधीश।**
राज्य प्रशासन के अधिक खर्च के बारे में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति ..... 257(4), 258(3)
उच्चतम न्यायालय का गठन, संगठन, अधिकारिता और शक्तियां ..... सातवीं, 1, 77
अभिलेख न्यायालय 129
भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न शंकाओं और विवादों के बारे में उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय 71
उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन ..... 142(1)
उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि 138
उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 124
उच्चतम न्यायालय के व्यय 146
फेडरल न्यायालय—
के न्यायाधीशों का उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना ..... 374(1)
की शक्तियों और अधिकारिता का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना 135
में लंबित वादों, अपीलों और कार्यवाहियों का उच्चतम न्यायालय को अंतरण ..... 374(2)
अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत 136

उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश 127
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु ..... 124(2)
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ..... 124(2)
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विषय में संसद् या राज्य विधान-मंडल में चर्चा न किया जाना 121, 211
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का अवधारण ..... 124(2क)
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा किसी न्यायालय, आदि में अभिवचन या कार्य करने पर उनका निरर्ह होना ..... 124(7)
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ..... 124(6)
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विशेषाधिकार, भत्ते आदि ..... 125(2)
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ..... 124(3)
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना ..... 124(2), परंतुक (ख)
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते ..... 125(1), दूसरी, घ, 9
उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता—
सलाह देने की अधिकारिता 143
संविधान का निर्वचन अंतर्ग्रस्त होने वाले मामले में अपीली अधिकारिता 132
सिविल विषयों में अपीली अधिकारिता 133
दांडिक विषयों में अपीली अधिकारिता 134
प्रारंभिक अधिकारिता 131
उच्चतम न्यायालय की भाषा—देखिए **भाषा।**
उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना 141
उच्चतम न्यायालय की शक्ति—
मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिटें जारी करने की 32
अवमान के लिए दंड देने की 129
अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करने की 137
भाग ख राज्यों की प्रिवी कौंसिलों में लंबित कार्यवाहियों का उच्चतम न्यायालय को अंतरण ..... 374(4)
उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति 128
उच्चतम न्यायालय के नियम 145
उच्चतम न्यायालय का स्थान 130
उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष इजाजत 136
उत्तर प्रदेश—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
के लिए विधान परिषद् 168
राज्य ..... पहली
उत्तराधिकार—
संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का 294–295
उत्पाद शुल्क—
वित्त के अधीन देखिए।
उत्प्रेषण रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति 226

उद्योग—
संसद् द्वारा रक्षा के प्रयोजन के लिए या युद्ध के संचालन के लिए आवश्यक घोषित किए गए ..... सातवीं, 1, 7
अन्य ..... सातवीं, 2, 24
संघ के नियंत्रणाधीन ..... सातवीं, 1, 52
के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना 43क
उधार, परिभाषा ..... 366(4)
वित्त भी देखिए।
उपाधियां—
उपाधियों का अंत 18
भारत के नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे ..... 18(2)
राज्य सेवक राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट आदि स्वीकार नहीं करेंगे ..... 18(3) और (4)
राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा ..... 18(1)
उपखंड, परिभाषा ..... 366(27)
उपनिवेशन ..... सातवीं, 2, 18
ऋण—
परिभाषा ..... 366(8)
राज्यों का लोक ऋण ..... सातवीं, 2, 43
संघ का लोक ऋण ..... सातवीं, 1, 35
ओड़िशा—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
राज्य ..... पहली
औद्योगिक और श्रम विवाद ..... सातवीं, 3, 22
औद्योगिक विवाद संघ के कर्मचारियों से संबंधित ..... सातवीं, 1, 61
औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास ..... सातवीं, 3, 21
कर—देखिए **वित्त।**
कराधान परिभाषा ..... 356(28)
कर्त्तव्य—
मूल 51क
वित्त के अधीन भी देखिए।
कर्नाटक—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
के लिए विधान परिषद् 168
राज्य ..... पहली
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371ञ
कर्मकार—
उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना ..... 43(क)
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी—देखिए **निदेशक तत्व।**
करंतीन—
अंतरराज्यिक ..... सातवीं, 1, 81
पत्तन ..... सातवीं, 1, 28

करेंसी, सिक्का निर्माण और वैध निविदा. ..... सातवीं, 1, 36
कांजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण. ..... सातवीं, 2, 16
कारखाने. ..... सातवीं, 3, 36
कार्यपालिका शक्ति—संघ/राज्य. 298
कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 53, 154, 298
कारोबार करने की शक्ति 53, 154, 298
संपत्ति अर्जित करने की शक्ति 53, 154, 298
व्यापार करने की शक्ति 298
कारागार. ..... सातवीं, 3, 34
कीमत नियंत्रण. ..... सातवीं, 3, 34
कुटीर उद्योगों का राज्य द्वारा बढ़ावा 43
कृपाण—देखिए **मूल अधिकार।**
कृषि. ..... सातवीं, 2, 14
कृषि-आय, परिभाषा ..... 366(1)
कृषि-ऋणिता, मुक्ति ..... सातवीं, 2, 30
कृषि और पशुपालन, संगठन 48
केरल—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
राज्य ..... पहली
कौंसलीय प्रतिनिधित्व ..... सातवीं, 1, 11
खंड, परिभाषा. ..... 366(5)
खान और खनिज—
का विनियम और विकास—
संघ के नियंत्रण के अधीन ..... सातवीं, 1, 54
अन्य मामले में ..... सातवीं, 2, 23
श्रम भी देखिए।
खुले समुद्र या आकाश में की गई जलदस्युताएं और अपराध; राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध अपराध. ..... सातवीं, 1, 21
खेलकूद. ..... सातवीं, 2, 33
ग्राम सभा 243क
गुजरात—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
विकास बोर्डों की स्थापना के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व ..... 371(2)
राज्य ..... पहली
गैस और गैस संकर्म. ..... सातवीं, 2, 25
साधारण खंड अधिनियम के उपबंधों का संविधान के निर्वचन में लागू होना 367
गोला-बारूद—देखिए **आयुध।**
गो-वध, राज्य द्वारा प्रतिषेध किया जाना. 48
गोवा—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371झ
राज्यक्षेत्र ..... पहली

ग्राम पंचायतों का राज्य द्वारा गठन 40
चंडीगढ़ राज्यक्षेत्र. ..... पहली
चलचित्र फिल्म—
प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी ..... सातवीं, 1, 60
छावनी. ..... सातवीं, 1, 3
जनगणना. ..... सातवीं, 1, 69
जनजातियां, यायावरी और प्रवासी. ..... सातवीं, 3, 15
जनसंख्या, नियंत्रण और परिवार नियोजन. ..... सातवीं, 3, 20क
जन्म और मृत्यु. ..... सातवीं, 3, 30
जम्मू-कश्मीर—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
राज्य ..... पहली
के संबंध में अस्थायी उपबंध 370
जल—
अंतरराज्यिक नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवाद 262
जल प्रदाय, सिंचाई आदि ..... सातवीं, 2, 17
जलमार्ग—
संसद् द्वारा घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग ..... सातवीं, 1, 24
अंतरदेशीय ..... सातवीं, 2, 13
जांच, सर्वेक्षण और आंकड़े—
सूची 1 के विषयों से संबद्ध ..... सातवीं, 1, 94
सूची 2 और 3 के विषयों से संबद्ध ..... सातवीं, 3, 45
जिला न्यायाधीश—
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती 234
कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, आदि का विधिमान्यकरण 233क
जिला परिषद्—
जिला परिषद् का गठन ..... छठी, 2
जिला परिषद् का विघटन ..... छठी, 16
जिला परिषद् द्वारा जिला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध ..... छठी, 7
जिला परिषद् की शक्ति—
ग्राम परिषद् या न्यायालय गठित करना ..... छठी, 4
प्राथमिक विद्यालय, आदि स्थापित करना ..... छठी, 6
कर अधिरोपित करना और राजस्व का संग्रहण करना ..... छठी, 8
विधियां बनाना ..... छठी, 3
जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की साहूकारी और व्यापार के नियंत्रण के लिए विनियम बनाना ..... छठी, 10
जिला परिषदों को सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन शक्ति प्रदत्त किया जाना ..... छठी, 5
जिला परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों, आदि का प्रकाशन ..... छठी, 11
स्वामिस्वों का अंश ..... छठी, 9(1)

जिला बोर्ड. ..... सातवीं, 2, 5
ज्वलनशील द्रव और पदार्थ. ..... सातवीं, 1, 53
डाक-तार. ..... सातवीं, 1, 31
डाक-तार और टेलीफोन. ..... सातवीं, 1, 31
डाकघर, बचत बैंक ..... सातवीं, 1, 39
तत्स्थानी—
प्रांत, देशी राज्य, राज्य, आदि की परिभाषा ..... 366(7)
तमिलनाडु—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
राज्य ..... पहली
तेलंगाना—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
राज्य ..... पहली
तीर्थयात्राएं—
भारत से बाहर के स्थानों की ..... सातवीं, 1, 20
अन्य स्थानों की ..... सातवीं, 2, 7
तेल—
तेलक्षेत्रों और खनिज तेल संपदा का विनियमन और विकास ..... सातवीं, 1, 53
खानों और तेलक्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन ..... सातवीं, 1, 55
त्रिपुरा—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
राज्य ..... पहली
दत्तक-ग्रहण. ..... सातवीं, 3, 5
दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र. ..... पहली
दंड प्रक्रिया. ..... सातवीं, 3, 2
द्यूत—देखिए **दांव।**
दंड विधि. ..... सातवीं, 3, 1
दांव और द्यूत. ..... सातवीं, 2, 34
दादरा और नगर हवेली राज्यक्षेत्र. ..... पहली
दिल्ली—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
राज्यक्षेत्र ..... पहली
दिवालापन—देखिए **शोधन अक्षमता।**
देवस्वम् निधि—
को वार्षिक संदाय 290क
केरल राज्य में 290क
तमिलनाडु राज्य में 290क
देशी राज्य, परिभाषा ..... 366(15)
दोष, अनुयोज्य ..... सातवीं, 3, 8
दोहरा परिसंकट. ..... 20(2)
धन विधेयक—देखिए **विधेयक।**
धार्मिक विन्यास. ..... सातवीं, 3, 28
नगर निगम—**निगम** के अधीन देखिए।

नगरपालिकाएं—
नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा 243य
नगरपालिकाओं का गठन 243थ
वार्ड-समितियों, आदि का गठन और संरचना 243ध
नगरपालिकाओं की संरचना 232द
परिभाषाएं 243त
नगरपालिकाओं की सदस्यता के लिए निरर्हताएं 243फ
नगरपालिकाओं की अवधि 243प
नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन 243यक
नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 243ब
नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां 243भ
स्थानों का आरक्षण 243न
नगरपालिक ट्राम. ..... सातवीं, 2, 13
नदी और नदी घाटी—
अंतरराज्यिक नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास ..... सातवीं, 1, 56
नमक. ..... सातवीं, 1, 58
नहरें. ..... सातवीं, 2, 17
नागरिकता—
संविधान के प्रारंभ पर 5
का संसद् द्वारा विनियमित किया जाना 11
नागरिकता का अधिकार—
नागरिकता के अधिकारों का बना रहना 10
पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार 6
पाकिस्तान को प्रवास करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार 7
भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार ... 8
नागालैंड—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371क
राज्य ..... पहली
नाट्यशाला और नाट्य प्रदर्शन. ..... सातवीं, 2, 33
नावाधिकरण विषयक अधिकारिता. ..... सातवीं, 1, 95
निखात निधि. ..... सातवीं, 2, 44
निगम—
व्यापार निगम, जिनके अंतर्गत बैंककारी, बीमा और वित्तीय निगम भी हैं ..... सातवीं, 1, 43
निगमों का, चाहे वे व्यापार निगम हों या नहीं, तथा जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं ..... सातवीं, 1, 44
उपरोक्त से भिन्न विश्वविद्यालयों का निगमन, विनियमन और परिसमापन ..... सातवीं, 2, 32
नगर निगम ..... सातवीं, 2, 5
निगम—कर, परिभाषा ..... 366(6)
वित्त भी देखिए।
निजी थैली की समाप्ति 363क

नियंत्रक, महालेखापरीक्षक— सातवीं, 1, 75
के प्रशासनिक व्यय, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे ..... 148(6)
की नियुक्ति ..... 148(1)
द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट 151
की सेवा की शर्तें, आदि ..... 148(5)
के कर्तव्य और शक्तियां 149
का भावी नियुक्ति के लिए पात्र न होना ..... 148(4)
द्वारा पद की शपथ ..... 148(2)
की लेखाओं को रखे जाने की रीति संबंधी निदेश की शक्ति 150
को पद से हटाया जाना ..... 148(1)
का वेतन, आदि ..... 148(3), दूसरी, ङ
की संक्रमणकालीन अवधि के विषय में विशेष उपबंध 377
नियोजन और बेकारी. ..... सातवीं, 3, 23
निर्वचन—
भाग 5, अध्याय 4 और भाग 6, अध्याय 5 के लिए संविधान का 147
सामान्यतः संविधान का 367
भाग 6, अध्याय 6 के लिए ''जिला न्यायाधीश'' का ..... 236(क)
भाग 12 के लिए ''वित्त आयोग'' का 264
भाग 6, अध्याय 6 के लिए न्यायिक सेवा का ..... 236(ख)
भाग 6 के लिए ''राज्य'' का 152
भाग 14 के लिए ''राज्य'' का 308
पांचवीं अनुसूची के लिए ''राज्य'' का ..... पांचवीं, क,1
निर्बंधन—
युक्तियुक्त निर्बंधन का अधिरोपण 19
निरर्हता—
सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय ..... 103 और 192
निरसन. 395
निर्वाचन आयोग. ..... 324, सातवीं, 1, 72
आयुक्त—
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति ..... 324(2) और (3)
आयुक्तों की सेवा, आदि की शर्तें ..... 324(5)
प्रादेशिक आयुक्त ..... 324(4)
आयुक्तों का पद से हटाया जाना ..... 324(5), परंतुक
राज्य विधान-मंडल के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित प्रश्नों पर राज्यपाल का निर्वाचन आयोग से राय लेना ..... 192(2)
संसद् के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित प्रश्नों पर राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग से राय लेना ..... 103(2)
निर्वाचन आयोग के कर्मचारिवृंद ..... 324(6)
निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना ..... 324(1)
संसद् और राज्य विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति ..... 327, सातवीं, 1, 72

राज्य विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में विधि बनाने की राज्य विधान-मंडल की शक्ति ..... 328, सातवीं, 2, 37
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक 329
एक साधारण निर्वाचक नामावली का होना 325
प्रत्येक जनगणना के पश्चात् प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों का पुनः समायोजन 82
मताधिकार, वयस्क 326

निवारक निरोध—
सलाहकार बोर्ड—
का गठन और उसकी रिपोर्ट ..... 22(4)(क)
द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ..... 22(7)(ग)
किसी राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध ..... सातवीं, 3, 3
भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध ..... सातवीं, 1, 9

निरोध अवधि—
का तीन मास से अधिक न होना ..... 22(4)
का कुछ दशाओं में तीन मास से अधिक होना ..... 22(4)(क) और (ख)
निरोध की अधिकतम अवधि का संसद् द्वारा विहित किया जाना ..... 22(7)(क) और (ख)
निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को संसूचित न किया जाना जो लोकहित के विरुद्ध हैं ..... 22(6)
निरोध के आधारों की संसूचना ..... 22(5)

निष्क्रांत संपत्ति—
अभिरक्षा, प्रबंध और व्ययन ..... सातवीं, 3, 41

निःशुल्क विधिक सहायता—
राज्य द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था 39क

न्याय—
प्रशासन ..... सातवीं, 3, 11क
समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39क
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त करना ..... उद्देशिका, 38
सातवीं, 3, 11क

न्याय प्रशासन—
जिला न्यायाधीश—
की नियुक्ति ..... 233(1)
की परिभाषा ..... 236(ख)
के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्रता ..... 233(2)
जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनकी जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्रता ..... 233(2)
कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि का विधिमान्यकरण ..... 233(क)
उच्च न्यायालय—देखिए **उच्च न्यायालय।**
उच्चतम न्यायालय—देखिए **उच्चतम न्यायालय।**

न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता ..... सातवीं, 3, 12

न्यायिक सेवा—
किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति 234
परिभाषा ..... 236(ख)
न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण—देखिए **निदेशक तत्व।**

न्यायालय—
अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना 247
न्यायालयों का कृत्य करते रहना 375
न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां अनुसूची 1 में दिए गए विषयों के बारे में ..... सातवीं, 1, 95
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालयों का गठन और संगठन .... सातवीं, 2, 3
उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां—
समवर्ती सूची में दिए गए विषयों के बारे में ..... सातवीं, 3, 46
राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में ..... सातवीं, 2, 65
न्यायालय का अवमान—
उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों का अवमान ..... सातवीं, 3, 14
न्यास और न्यासी—. ..... सातवीं, 3, 10
शासकीय न्यासी ..... सातवीं, 3, 11
पंचायतें—
संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना 243ठ
पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा 243ञ
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन 243ण
पंचायतों की संरचना 243ग
पंचायतों का गठन 243ख
वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन ..... 243झ और 280(3)(खख)
विद्यमान विधियों का बना रहना 243ढ
पंचायतों की परिभाषाएं 243
सदस्यता के लिए निरर्हताएं 243च
पंचायतों की अवधि 243ङ
पंचायतों के लिए निर्वाचन 243ट
ग्राम सभा 243क
लेखाओं का रखा जाना और उनकी संपरीक्षा करना 243ञ
भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना 243ड
शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 243छ
पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां 243ज
स्थानों का आरक्षण 243घ
पंजाब—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
राज्य ..... पहली
पत्तन—
ऐसे पत्तन, जिन्हें संसद् द्वारा महापत्तन घोषित किया गया है ..... सातवीं, 1, 27
अन्य पत्तन ..... सातवीं, 3, 31
पथकर. ..... सातवीं, 2, 59
परमाणु ऊर्जा. ..... सातवीं, 1, 6
परमादेश रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति. ..... 266(1)

परिभाषा—
कुछ पदों की 366
भारत की संचित निधि की ..... 266(1)
राज्य की संचित निधि की ..... 266(1)
''भारत की आकस्मिकता निधि'' की ..... 267(1)
''राज्य की आकस्मिकता निधि'' की ..... 267(2)
''देशी राज्य'' की ..... 363(2)(क)
''धन विधेयक'' की–
राज्य विधान-मंडल में 199
संसद् में 110
''शुद्ध आगम'' की ..... 279(1)
''शासक'' की ..... 363(2)(ख)
''अनुसूचित क्षेत्र'' की ..... पांचवीं, ग, 6(1)
भाग 3 के प्रयोजनों के लिए ''राज्य'' की 12
भाग 4 के प्रयोजन के लिए ''राज्य'' की 36
परिवार नियोजन—
जनसंख्या नियंत्रण और ..... सातवीं, 3, 20क
परिसीमा ..... सातवीं, 3, 13
पश्चिमी बंगाल—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
राज्य ..... पहली
पशु—
पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण ..... सातवीं, 3, 17
वन्य जीवजंतुओं और पक्षियों का संरक्षण ..... सातवीं, 3, 17ख
पशु चिकित्सा, प्रशिक्षण और व्यवसाय, पशुधन का परिरक्षण आदि ..... सातवीं 2, 15
पांथशालाएं और पांथशालापाल ..... सातवीं, 2, 31
पागलपन और मानसिक हीनता—
पागल और मानसिक रूप से हीन व्यक्ति ..... सातवीं, 3, 16
पासपोर्ट ..... सातवीं, 1, 19
पिछड़े वर्ग—
की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग 340
की उन्नति के लिए विशेष उपबंध ..... 15(4)
की नियुक्ति, आदि में आरक्षण ..... 16(4)
पुडुचेरी—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
के लिए स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रिपरिषद् का या दोनों का सृजन 239क
राज्यक्षेत्र ..... पहली
पुरातत्वीय स्थल और अवशेष—
राष्ट्रीय महत्व के ..... सातवीं, 3, 40
पुल और फेरी ..... सातवीं, 2, 13
पुलिस ..... सातवीं, 2, 2

पुलिस बल—
की शक्तियों और अधिकारिता का राज्य से बाहर क्षेत्रों और रेल क्षेत्रों पर विस्तारण ..... सातवीं, 1, 80
पुस्तकालय—
राज्यों द्वारा नियंत्रित ..... सातवीं, 2, 12
संस्थाएं भी देखिए।
पुस्तकें. ..... सातवीं, 3, 39
पूर्त कार्य. ..... सातवीं, 3, 28
पेंशन—
परिभाषा ..... 366(17)
राज्यों द्वारा संदेय ..... सातवीं, 2, 42
संघ द्वारा संदेय ..... सातवीं, 1, 71
पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन. ..... सातवीं, 1, 49
पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद. ..... सातवीं, 1, 53
पोतपरिवहन और नौपरिवहन—
समुद्रीय ..... सातवीं, 1, 25
अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ..... सातवीं, 3, 32
राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा ..... सातवीं, 1, 24
प्रकाश स्तंभ. ..... सातवीं, 1, 26
प्रतिनिधित्व—देखिए **आनुपातिक प्रतिनिधित्व।**
प्रतिभूति, परिभाषा. ..... 366(26)
प्रतिषेध—
मादक पेयों और औषधियों का राज्य द्वारा प्रवर्तन—देखिए **निदेशक तत्व।**
प्रतिषेध रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति. 226
प्रतिपाल्य-अधिकरण—
शासकों की संपदा के लिए ..... सातवीं, 1, 34
अन्य संपदाओं के लिए ..... सातवीं, 2, 65
प्रतिलिप्यधिकार. ..... सातवीं, 1, 49
प्रत्यर्पण. ..... सातवीं, 1, 18
प्रत्याभूति, परिभाषा. ..... 366(13)
प्रधान मंत्री—
की नियुक्ति ..... 75(1)
राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य 78
का मंत्रिपरिषद् का प्रधान होना ..... 74(1)
का वेतन और भत्ते ..... 75(6), सातवीं, 1, 75
प्रवासी—
पाकिस्तान को और उससे—देखिए **नागरिकता।**
प्रशासक—
संघ राज्यक्षेत्रों के लिए प्रशासक की नियुक्ति ..... 239(1)
संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति 239ख
प्रशासनिक संबंध—
संघ और राज्यों के बीच 256, 262

प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख. ..... सातवीं, 1, 67
प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा. 350क
प्रादेशिक परिषद्—
प्रादेशिक परिषदों का गठन ..... छठी, 2
प्रादेशिक परिषदों का विघटन ..... छठी, 16
प्रादेशिक जिला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध ..... छठी, 7
प्रादेशिक परिषदों की शक्ति—
ग्राम परिषद् या न्यायालय गठित करना ..... छठी, 4
कर अधिरोपित करना और राजस्व का संग्रहण करना ..... छठी, 8
विधियां बनाना ..... छठी, 3
प्रादेशिक परिषदों को सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन शक्ति प्रदत्त किया जाना ..... छठी, 5
प्रादेशिक परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों, आदि का प्रकाशन ..... छठी, 11
संक्रमणकालीन उपबंध ..... छठी, 19
प्रसारण. ..... सातवीं, 1, 31
फीस—
न्यायालय में ली जाने वाली फीसों को छोड़कर, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों के बारे में फीस ..... सातवीं, 3, 47
न्यायालय में ली जाने वाली फीसों को छोड़कर, राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में फीस 1,66
न्यायालय में ली जाने वाली फीसों को छोड़कर, संघ सूची में दिए गए विषयों के बारे में फीस ..... सातवीं, 1, 96
उच्चतम न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों में ली जाने वाली फीस ..... सातवीं, 2, 3
उच्चतम न्यायालय में ली जाने वाली फीस ..... सातवीं, 1, 77
फेडरल न्यायालय—
परिभाषा ..... 366(11)
के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध ..... 374(1)
फेडरल न्यायालयों के समक्ष लंबित वादों, आदि के बारे में उपबंध ..... 374(2)
बंदियों—
का निवारक निरोध के अधीन एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना ..... सातवीं, 3, 4
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति. 226
बंधुता बढ़ाना. ..... उद्देशिका
बाजार और मेले. ..... सातवीं, 2, 28
बाट और माप—
के मानक नियत करना ..... सातवीं, 1, 50
बाध्यताएं—
संघ और राज्यों की बाध्यताएं, संविधान के अधीन उनके संबंध में उपबंध 294, 295
बायलर. ..... सातवीं, 3, 37
बालक—
बालकों का नियोजन–देखिए **मूल अधिकार।**
बालकों के लिए राज्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 45
बिहार—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
के लिए विधान परिषद् 168
राज्य ..... पहली

बीकन. ..... सातवीं, 1, 26
बीमा. ..... सातवीं, 1, 47
बीमा निगम—**निगम** के अधीन देखिए।
बेकारी की दशा में राज्य द्वारा सहायता 41
बेतार. ..... सातवीं, 1, 31
बैंककारी. ..... सातवीं, 1, 45
बैंककारी निगम. ..... सातवीं, 1, 43
बोर्स्टल संस्थाएं. ..... सातवीं, 2, 4
भाग, परिभाषा. ..... 366(16)
भारत—
में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवास और निष्कासन ..... सातवीं, 1, 19
राज्यों का संघ ..... 1(1)
में नए राज्यों का प्रवेश 2
का नाम, भारत, अर्थात् इंडिया ..... 1(1)
की भाषाएं ..... आठवीं
की सुरक्षा ..... सातवीं, 1, 9
का राज्यक्षेत्र ..... 1(3)
भारत—देखिए **इंडिया।**
भारत का राज्यक्षेत्र. ..... 1(3)
भारत के नागरिक—स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारत का नागरिक न होना 9
भारत का संविधान—
भारत के संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ 394क
भारत के संविधान का संशोधन, संशोधन करने की संसद् की शक्ति और उसकी प्रक्रिया 368
भारत के संविधान का प्रारंभ 394
भारत के संविधान के निर्वचन के लिए साधारण खंड अधिनियम के उपबंधों का लागू होना 367
संक्षिप्त नाम 393
भारत रक्षा—. ..... सातवीं, 1, 1
के प्रयोजन के लिए आवश्यक उद्योग ..... सातवीं, 1, 7
भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध ..... सातवीं, 1, 9
भारत के उपराष्ट्रपति. 63
के पद की शर्तें ..... 66(2) और (4)
का निर्वाचन ..... 66, सातवीं, 1, 72
का राज्य सभा का पदेन सभापति होना 64
के निर्वाचन से संबंधित विषय 71
द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 69
के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं ..... 66(3)
का पद से हटाया जाना ..... 67, परंतुक (ख)
द्वारा पद त्याग ..... 67, परंतुक (क)

के वेतन आदि ..... दूसरी, ग
की पदावधि 67
का राष्ट्रपति के पद में रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति के रूप में कार्य आदि करना 65
के पद में रिक्ति 68
भारत की भाषाएं. ..... आठवीं
भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का निरसन. 395
भारत शासन अधिनियम—
का निरसन 395
के उपबंधों के संक्रमण के संबंध में राष्ट्रपति की उपबंध करने की शक्ति 392
भारतीय रिजर्व बैंक. ..... सातवीं, 1, 38
भारतीय सर्वेक्षण. ..... सातवीं, 1, 68
भाषा—
से संबंधित विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष उपबंध 349
मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं 350क
हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ का कर्तव्य 351
भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी 350ख
विधेयकों आदि के प्राधिकृत पाठ की भाषा ..... 348(1)(ख) और 348(3)
हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ 394क
राजभाषा—
के संबंध में आयोग और संसद् की समिति 344
अंग्रेजी का राजभाषा के रूप में पंद्रह वर्ष तक जारी रहना ..... 343(2)
संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की राजभाषा 346
किसी राज्य की राजभाषा 345
संघ की राजभाषा हिन्दी होगी 343
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा 348
किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध 347
संसद् में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120
शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा 350
राज्य विधान-मंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा 210
भाषाई अल्पसंख्यक—
वर्गों के लिए विशेष अधिकारी 350ख
भूतलक्षी प्रभाव. ..... 20(1)
भूमि, भू-धृति आदि पर अधिकार. ..... सातवीं, 2, 18
भू-राजस्व, उसका निर्धारण और संग्रहण, भू-अभिलेख आदि रखना. ..... सातवीं, 2, 45
मंत्रि-परिषद्—
राज्यों के लिए—
के द्वारा राज्यपाल को सलाह। उसकी जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी ..... 163(3)

मुख्य मंत्री—देखिए **मुख्य मंत्री।**
का सामूहिक उत्तरदायित्व ..... 164(2)
के कृत्य ..... 163(1)
मंत्री की नियुक्ति ..... 164(1)
मंत्रियों द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ ..... 164(3)
दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने का मंत्रियों का अधिकार 177
मंत्रियों के वेतन, आदि ..... 164(5), सातवीं, 2, 40
संघ के लिए—
मंत्रि-परिषद् के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह—
उसकी जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी ..... 74(2)
मंत्रि-परिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व ..... 75(3)
मंत्रि-परिषद् के कृत्य 74
मंत्री की नियुक्ति ..... 75(1)
मंत्रियों द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ ..... 75(4)
पद के लिए अर्हताएं ..... 75(5)
दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने का मंत्रियों का अधिकार 88
मंत्रियों के वेतन, आदि ..... 75(6), सातवीं, 1, 75
प्रधान मंत्री—देखिए **प्रधान मंत्री।**
मछली पकड़ना और मीनक्षेत्र—
राज्यक्षेत्रीय सागरखंड से परे ..... सातवीं, 1, 57
मणिपुर—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371ग
राज्य ..... पहली
मत—
आनुपातिक प्रतिनिधित्व सहित एकल संक्रमणीय मत—देखिए **आनुपातिक प्रतिनिधित्व।**
मध्य प्रदेश—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
की विधान परिषद् 168
राज्य ..... पहली
मनोरंजन और आमोद ..... सातवीं, 2, 33
महाधिवक्ता—
की नियुक्ति ..... 165(1)
के कर्तव्य ..... 165(2)
की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ..... 165(1)
के पारिश्रमिक, आदि ..... 165(3)
का राज्य विधान-मंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार 177
की पदावधि ..... 165(3)
महापत्तन— ..... सातवीं, 1, 27
परिभाषा ..... 364(2)(क)
को विधि लागू करने के बारे में विशेष उपबंध ..... 364(1)

महाप्रशासक. ..... सातवीं, 3, 11
महाभियोग, राष्ट्रपति के विरुद्ध–देखिए **राष्ट्रपति।**
महान्यायवादी—
की नियुक्ति ..... 76(1)
के कर्तव्य ..... 76(2)
का सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार ..... 76(3)
का संसद् की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार 83
का वेतन और भत्ते, आदि ..... 76(4)
महाराष्ट्र—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
की विधान परिषद् 168
विकास बोर्डों की स्थापना के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व ..... 371(2)
राज्य ..... पहली
महालेखापरीक्षक—देखिए **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक।**
महाद्वीपीय मग्नतट—
राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित चीजों का संघ में निहित होना 297
मादक द्रव्य. ..... सातवीं, 3, 19
मादक पेय, आदि—देखिए **मद्यनिषेध।**
माध्यस्थम्. ..... सातवीं, 3, 13
मान्यता—लोक कार्यों, अभिलेखों की और न्यायिक कार्यवाहियां ..... सातवीं, 3, 12
माल—
का वहन—
वायुमार्ग, रेल या समुद्र द्वारा और राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा ..... सातवीं, 1, 30
अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा ..... सातवीं, 3, 12
माल के वहन पर कर–**वित्त** के अधीन देखिए।
माल की परिभाषा ..... 366(12)
माल का उत्पादन, प्रदाय और वितरण ..... सातवीं, 2, 27
भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले या अंतरराज्यीय परिवहन किए जाने वाले माल की क्वालिटी के मानक ..... सातवीं, 1, 51
माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर—**वित्त** के अधीन देखिए।
मिजोरम—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371छ
राज्यक्षेत्र ..... पहली
में जनजाति क्षेत्र ..... छठी
मीन क्षेत्र. ..... सातवीं, 2, 21
मुख्य मंत्री—
की नियुक्ति 164
मंत्रि-परिषद् का प्रधान होना 163
का राज्यपाल को जानकारी देने आदि का कर्तव्य 167

मुद्रणालय. ..... सातवीं, 3, 39
मूल अधिकार. ..... भाग 3
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार—
अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण 29
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार 30
सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना 25
मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का राज्य द्वारा नहीं बनाया जाना ..... 13(2)
शून्य होना ..... 13(1)
मूल अधिकारों का प्रभावी करने के लिए विधान 35
मूल अधिकारों का सशस्त्र बलों को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद् की शक्ति 33
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण 22
निम्नलिखित के संबंध में संरक्षण—
(1) अपराधों के लिए दोषसिद्धि;
(2) एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक विचारण; और
(3) स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी के रूप में उपसंजात होना 20
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 21
सेना विधि प्रवृत्त होने के दौरान मूल अधिकारों पर निर्बंधन 34
शोषण के विरुद्ध अधिकार—
सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की राज्य की शक्ति ..... 23(2)
कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 24
मानव के दुर्व्यापार और जबरदस्ती लिया जाने वाला श्रम का प्रतिषेध ..... 23(1)
नागरिकों का अधिकार—
शांतिपूर्वक सम्मेलन का ..... 19(1)(ख) और (3)
संगम बनाने का ..... 19(1)(ग) और (4)
वाक्-स्वातंत्र्य का ..... 19(1)(क) और (2)
भारत में सर्वत्र संचरण का ..... 19(1)(ध) और (5)
कोई वृत्ति करने का ..... 19(1)(घ) और (5)
भारत में कहीं भी निवास करने और बस जाने का ..... 19(1)(ङ) और (5)
सांविधानिक उपचारों का अधिकार 32, 35
अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में 32
आपात के दौरान अधिकारों का निलंबन 359
आपात के अधीन भी देखिए।
समता का अधिकार—
उपाधियों का अंत 18
उपाधियों के अधीन भी देखिए।
अस्पृश्यता का अन्त 17
विधि के समक्ष समता 14

लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता 16
पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने की राज्य की शक्ति ..... 15(4)
स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने की राज्य की शक्ति ..... 15(3)
धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने का प्रतिषेध ..... 15(1)
सार्वजनिक स्थल तक पहुंचने और उसे उपयोग करने का नागरिक का अधिकार .... 15(2)
धर्म-स्वातंत्र्य का अधिकार—
कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता 28
किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता 27
अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता 25
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26
भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य की परिभाषा 12
मूल कर्तव्य. ..... भाग 4क
मेघालय–
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
राज्य ..... पहली
में जनजाति क्षेत्र ..... छठी
मेला देखिए **बाजार और मेले।**
मौसम विज्ञान संगठन. ..... सातवीं, 1, 68
यान, यंत्र नोदित ..... सातवीं, 3, 35
यात्रियों और माल का वहन—
वायुमार्ग, रेल या समुद्र द्वारा ..... सातवीं, 1, 30
अंतरदेशीय जलमार्गों द्वारा ..... सातवीं, 3, 32
युद्ध और शांति. ..... सातवीं, 1, 1, 7 और 15
योजना, आर्थिक और सामाजिक ..... सातवीं, 3, 20
रजिस्ट्रीकरण, विलेखों और दस्तावेजों का ..... सातवीं, 3, 6
राजगामित्व संपत्ति होने से प्रोद्भूत होना 296
राजनयिक प्रतिनिधित्व. ..... सातवीं, 1, 2
राजप्रमुख. 361
राजभाषा. 343
के संबंध में आयोग और संसद् की समिति 344
दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग ..... 315(2)
राज्य लोक सेवा आयोग ..... 315(1), सातवीं, 2, 41
लोक सेवा आयोगों की संक्रमणकालीन अवधि के बारे में उपबंध 378
संघ ..... 315(1), सातवीं, 1, 70
राजमार्ग, जिन्हें संसद् द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है ..... सातवीं, 1, 23
राजस्थान—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
राज्य ..... पहली

राजस्व, संघ संपत्ति से ..... सातवीं, 1, 32
राज्य के कृत्यों का सौंपना—
संघ को 258
राज्य की नीति के निदेशक तत्व. ..... भाग 4
कृषि और पशुपालन, राज्य द्वारा संगठित किया जाना 48
राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का लागू होना 37
बेकारी, बुढ़ापा आदि की दशा में सहायता का उपबंध राज्य द्वारा किया जाना 41
सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता राज्य द्वारा सुनिश्चित किया जाना 44
कुटीर उद्योग, राज्य द्वारा बढ़ाना 43
गो-वध, आदि, राज्य द्वारा प्रतिषेध किया जाना 48
बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध राज्य द्वारा किया जाना 45
समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता 39क
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आदि की अभिवृद्धि राज्य द्वारा किया जाना 51
न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाया जाना 50
काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं राज्य द्वारा सुनिश्चित किया जाना 42
पोषाकार स्तर और जीवन स्तर ऊंचा करना, राज्य द्वारा अपना प्राथमिक कर्तव्य मानना 47
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, आदि, राज्य द्वारा सुनिश्चित किया जाना 43
प्रसूति सहायता, सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा उपबंध किया जाना 42
संस्मारक, आदि, का संरक्षण राज्य द्वारा किया जाना 49
उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना 43क
राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति तत्व 39
मादक पेयों और औषधियों का प्रतिषेध, राज्य द्वारा किया जाना 47
बेकारी, आदि की दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, राज्य द्वारा सुनिश्चित किया जाना 41
कुछ तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति 31ग
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदि राज्य द्वारा सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण प्रदान किया जाना 46
भाग 4 के प्रयोजनों के लिए राज्य की परिभाषा 36
ग्राम पंचायत, राज्य द्वारा संगठित किया जाना 40
राज्यक्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित चीजों का संघ में निहित होना. 297
राज्य सभा—
में स्थानों का आबंटन ..... 80(2), चौथी
के सभापति—
का पीठासीन न होना जब उसे हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो 92
के वेतन, आदि ..... 97, दूसरी, ग, सातवीं, 1, 73
भारत के उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति होना ..... 64, 89(1)
राज्य सभा की संरचना 80
राज्य सभा का विनिश्चय बहुमत द्वारा ..... 100(1)

राज्य सभा के उप सभापति—
का सभापति के रूप में कार्य करना 91
का चुनाव ..... 89(2)
का पीठासीन न होना जब उसे हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो 92
का पद से हटाया जाना ..... 90(ग)
द्वारा पद त्याग ..... 90(ख)
के वेतन, आदि ..... 97, दूसरी, ग, सातवीं, 1, 73
द्वारा पद रिक्त किया जाना ..... 90(क)
मत, मतदान 100
राज्य सभा—
की अवधि ..... 83(1)
की किसी बैठक में गणपूर्ति ..... 100(3) और (4)
प्रक्रिया के नियम 118
का सचिवीय कर्मचारिवृंद ..... 98(1)
संसद् भी देखिए।
राज्यपाल—
राज्यपालों द्वारा अभिभाषण 175–176
राज्यपालों के लिए भत्ते, आदि 158
राज्यपालों द्वारा विधान-मंडल के समस्त वार्षिक वित्तीय विवरण का रखवाया जाना ..... 202(1)
राज्यपालों की नियुक्ति 155
संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासकों के रूप में राज्यपालों की नियुक्ति ..... 239(2)
विधेयक—
विधेयकों पर अनुमति 200
राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों का आरक्षण 200
दो या अधिक राज्यों के लिए सामान्य राज्यपाल 153
राज्यपालों के पद के लिए शर्तें 158
सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद् 163
विधान-मंडल के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर राज्यपालों का विनिश्चय ..... 192(1)
कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपालों के कृत्यों का निर्वहन 160
राज्यपालों की विवेकानुसार शक्ति ..... 163(1) और (2), छठी, 9 और 18
राज्यपालों की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार और अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार ..... 158(3), दूसरी, क, सातवीं, 1, 75
किसी राज्य सरकार की कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी ..... 166(1)
राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपालों में निहित होना 154
राज्यपालों की विधायी शक्तियां 213
अध्यादेश के अधीन भी देखिए।
राज्यपालों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 159
राज्यपालों की शक्ति—
मजिस्ट्रेटों पर भाग 6, अध्याय 6 लागू करने की राज्यपालों की शक्ति 237

निम्नलिखित को नियुक्त करने की शक्ति—
(i) महाधिवक्ता को—**महाधिवक्ता** देखिए।
(ii) अध्यक्ष के पद पर अस्थायी रिक्तियां भरने के लिए राज्य विधान सभा के सदस्य को ..... 180(1)
(iii) सभापति के पद के लिए रिक्तियां भरने के लिए राज्य विधान परिषद् के सदस्य को ..... 184(1)
(iv) लोक सेवा आयोग के सदस्यों को—देखिए **लोक सेवा आयोग।**
(iv) मंत्रियों को–देखिए **मंत्रिपरिषद्।**
विधान-मंडल के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित मामलों में निर्वाचन आयोग की राय लेने की शक्ति ..... 192(2)
संघ को राज्य के कृत्य सौंपने की शक्ति 258क
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों, आदि के बारे में विनियम बनाने की शक्ति 318
निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने की शक्ति—
आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन ..... 166(2)
सरकार का कार्य सुविधापूर्वक किया जाना ..... 166(3)
राज्य विधान-मंडल के सदनों के बीच संचार से संबंधित प्रक्रिया ..... 208(3)
किसी उच्च न्यायालय के लिए अधिकारियों की भर्ती आदि ..... 229(1), परंतुक
विधान-मंडल के सदस्यों के सचिवीय कर्मचारिवृंद की भर्ती ..... 187(3)
क्षमा आदि करने और दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति 161
विधान सभा में आंग्ल-भारतीयों को नामनिर्देशित करने की शक्ति 333
विधान परिषद् में सदस्यों को नामनिर्देशित करने की शक्ति ..... 171(3)(ख) और 171(5)
राज्यपालों का विधिक कार्यवाहियों से संरक्षण 361
राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं 157
राज्यपाल की सिफारिश पर किसी अनुदान की मांग किया जाना ..... 203(3)
धन विधेयक पुरःस्थापित किए जाने के लिए आवश्यक 207
अपेक्षाओं को प्रक्रिया के विषय के रूप में मानना 255
राज्यपाल द्वारा पद त्याग करना ..... 156(2)
राज्यपाल का विधान-मंडल में अभिभाषण करने और उनको संदेश भेजने का अधिकार 175
राज्यपाल का विधान-मंडल को आहूत करने, सत्रावसान करने और विघटन करने का अधिकार 174
राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण 176
राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व ..... 371(2)
अनुपूरक अनुदान, राज्यपाल विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा ..... 205(1)
राज्यपाल की पदावधि 156
राज्य विधान-मंडल
के अधिनियमों का सिफारिशों और पूर्व मंजूरी संबंधी अपेक्षाओं के अभाव में अविधिमान्य न होना 255
विनियोग विधेयक 204

विधेयकों की अनुमति–देखिए **राज्यपाल** और **राष्ट्रपति।**
की समितियों, की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, उनके समक्ष व्यक्तियों को हाजिर कराना और दस्तावेज पेश करना ..... सातवीं, 2, 39
में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विषय में चर्चा न किया जाना 211
का गठन 168
का विघटन ..... 174(2)(ख)
की अवधि 172
राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय का विधान-मंडल के मतदान के अधीन न होना ..... 203(1)
अन्य व्यय का विधान-मंडल के मतदान के अधीन होना ..... 203(2)
में भाषा–देखिए **भाषा।**
द्वारा बनाई गई विधियों से असंगत होने की दशा में अप्रवर्तनशील होना 251–254
की विधायी प्रक्रिया. 195–201
वित्तीय विषयों के संबंध में 202–206
धन विधेयकों के संबंध में 198
लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, आदि के संबंध में 206
के सदस्यों—
के लिए निरर्हताएं ..... 191, दसवीं
की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय 192
द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 188
के विशेषाधिकार, आदि ..... 198, सातवीं, 2, 38
के लिए अर्हताएं 173
द्वारा पद-त्याग ..... 190(3)(ख)
के वेतन और भत्ते ..... 195, सातवीं, 2, 39
द्वारा स्थानों, आदि का रिक्त किया जाना 190
द्वारा शपथ लिए बिना या प्रतिज्ञान, आदि किए बिना मत, आदि देना 193
रिक्तियों के होते हुए भी विधान-मंडल के कार्य करने की शक्ति और उसकी गणपूर्ति 189
राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति 321
निम्नलिखित के बारे में विधियां बनाने की शक्ति–
समवर्ती सूची ..... 246(2), सातवीं, 3
विधान-मंडल के निर्वाचन 328
आकस्मिकता निधि की स्थापना ..... 267(2)
वित्तीय विषयों में प्रक्रिया 209
राज्य सूची ..... 246(3), सातवीं, 2
विधान-मंडल—
के विशेषाधिकार, आदि ..... 194(3), सातवीं
की कार्यवाहियों की विधिमान्यता को—
न्यायालयों द्वारा प्रश्नगत न किया जाना 212
की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण 361क
का सत्रावसान ..... 174(2)(क)

में गणपूर्ति ..... 189(3)
में चर्चा पर निर्बंधन 211
प्रक्रिया के नियम 208
का सचिवालय 187
महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बारे में विशेष उपबंध ..... 371(2)
राज्य विधान-मंडल के अधिवेशन को-
आहूत करना 174
संघ का राज्यों के साथ-
प्रशासनिक संबंध 256-261
विधायी संबंध 245-255
विधान-मंडल के सदनों में मतदान 189
राज्य-सूची ..... सातवीं, 2
राज्य ..... अनुच्छेद 1, पहली
महाधिवक्ता-देखिए **महाधिवक्ता।**
क्षेत्रों का परिवर्तन, आदि 3
राज्यों के बीच समन्वय राष्ट्रपति की अंतरराज्य परिषद् नियुक्त करने की शक्ति 263
संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव 365
राज्यों की कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाना ..... 166(1)
की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162
की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना ..... 154(1)
राज्यों में सांविधानिक तंत्र का विफल हो जाना 356
नए राज्यों का निर्माण 3
राज्यपाल-देखिए **राज्यपाल।**
उच्च न्यायालय-देखिए **उच्च न्यायालय।**
विधान सभा—
की संरचना 170
का विघटन ..... 174(2)(ख)
की अवधि 172
में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 333
में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 332
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष—
का निर्णायक मत ..... 189(1), परंतुक
का सुना जाना 178
को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होने पर उनका पीठासीन न होना 181
की अनुपस्थिति, आदि के दौरान उनके कर्तव्यों का पालन 180
को पद से हटाया जाना ..... 179(ग)
द्वारा पद से त्याग ..... 178(ख)
के वेतन और भत्ते, आदि ..... 186, दूसरी, ग, 8 और सातवीं, 2, 38
के पद की रिक्ति ..... 179(क)

विधान परिषद्—
का उत्सादन या सृजन 169
के सभापति और उप-सभापति—
का निर्णायक मत ..... 189(1)
का चुना जाना 182
को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होने पर उनका पीठासीन न होना 185
की अनुपस्थिति, आदि के दौरान उनके कर्तव्यों का पालन 184
या पद से हटाया जाना ..... 183(ग)
द्वारा पद त्याग ..... 183(ख)
के वेतन और भत्ते, आदि ..... 186, दूसरी, ग और सातवीं, 2, 38
के पद की रिक्ति ..... 183(क)
की संरचना 171
की अवधि ..... 172(2)
एकाधिकार—देखिए **एकाधिकार।**
लोक कल्याण 38
राष्ट्रपति. 52
द्वारा अभिभाषण 86–87
वार्षिक वित्तीय विवरण संसद् के समक्ष रखवाएगा ..... 112(1)
निम्नलिखित की नियुक्ति—
महान्यायवादी–देखिए **महान्यायवादी।**
संघ और लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य–देखिए **लोक सेवा आयोग।**
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश–देखिए **उच्च न्यायालय।**
उच्चतम न्यायालय–देखिए **उच्चतम न्यायालय।**
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक–देखिए **नियंत्रक और महालेखापरीक्षक।**
राज्यों के राज्यपाल–देखिए **राज्यपाल।**
प्रधान मंत्री और अन्य मंत्री–देखिए **मंत्रिपरिषद्।**
भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी ..... 350(ख)
अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अधिकार–देखिए **अनुसूचित जाति।**
उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों के वेतन, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों से संबंधित नियमों के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन ..... 146(2), परन्तुक
राष्ट्रपति की अनुमति—
साधारण विधेयकों पर 111
संविधान का संशोधन करने वाले संसद् के विधेयकों पर 368
राज्य विधान-मंडल के विधेयकों पर 201
कुछ दशाओं में जल या विद्युत पर करों के—
अधिरोपण संबंधी विधेयकों पर ..... 288(2)
राष्ट्रपति लेखापरीक्षा रिपोर्ट संसद् के समक्ष रखवाएगा ..... 151(1)
राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें 59
राज्य के अधीन सेवा करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी राज्य से उपाधियां, भेंट आदि स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक ..... 18(3) और (4)

संघ की संविदाओं का राष्ट्रपति के नाम से निष्पादित किया जाना ..... 299(1)
सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद् ..... 74(1)
राष्ट्रपति द्वारा संसद् के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय ..... 103(1)
संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित होना ..... 53(2)
निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति, आदि–देखिए **निर्वाचन।**
राष्ट्रपति का निर्वाचन ..... 54, सातवीं, 1, 72
पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता 57
राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार, आदि ..... 59(3), दूसरी, क, सातवीं, 1, 75
भारत सरकार की कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी ..... 77(1)
राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन आदि–देखिए **वित्त।**
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 61
राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां ..... 123(1)
राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति 55
राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय 71
सदनों को राष्ट्रपति के संदेश आदि 86
राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान 60
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति–देखिए **अध्यादेश।**

राष्ट्रपति की शक्ति—
विधियों का अनुकूलन करने की ..... 372 और 372क
विमानक्षेत्रों और महापत्तनों को उपांतरणों सहित विधियां लागू करने की 364
राज्य सभा के कार्यकारी सभापति नियुक्त करने की ..... 91(1)
लोक सभा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की ..... 95(1)
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में रिपोर्ट देने के लिए आयोग नियुक्त करने की 339
पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग नियुक्त करने की 340
संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए 15 वर्ष की अवधि के दौरान अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का और देवनागरी अंकों का प्रयोग प्राधिकृत करने की ..... 343(2), परंतुक
संघ के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी प्रधान मंत्री से जानकारी मांगने की 78ख
राजभाषा के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए आयोग गठित करने की ..... 103(2)
सार्वजनिक महत्व के विधि या तथ्य के प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की 143
किसी राज्य की विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए विदेशी राज्य घोषित न करने की ..... 367(3), परंतुक
कुछ दशाओं में संघ के कृत्य राज्यों को सौंपने की ..... 258(1)
अंतरराज्य परिषद् की स्थापना करने की 263
क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की 72
विद्यमान विधियों के अनुकूलन के लिए आदेश जारी करने की ..... 372(2)
संक्रमणकालीन अवधि के दौरान कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश जारी करने की 392

कुछ राज्यों की संघ से अनुदानों के बारे में आदेश जारी करने की ..... 275(2)
आपात की उद्घोषणा जारी करने की–देखिए **आपात।**
अनपेक्षित व्यय पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम धन देने की ..... 267(1)
निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की 373
विद्यमान राज्य-विधि के अधीन नदी घाटी परियोजनाओं में जल या विद्युत के संबंध में कर जारी रखने के लिए आदेश द्वारा उपबंध करने की ..... 288(1)
आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध करने की 160
संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की 240
संघ, राज्य और संयुक्त लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तों आदि के संबंध में विनियम बनाने की 318
उच्चतम न्यायालय के पदधारियों की नियुक्ति के बारे में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके नियम बनाने की ..... 146(1), परंतुक
राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों, आदि के अधिप्रमाणन के बारे में नियम बनाने की ..... 77(2)
लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कार्मिकों की सेवा शर्तों के बारे में नियम बनाने की ..... 148(5)
संसद् और राज्य विधान-मंडल की दोहरी सदस्यता के बारे में नियम बनाने की ..... 101(2)
दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में प्रक्रिया संबंधी नियम बनाने की ..... 118(3)
लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय के कर्मचारिवृंद की भर्ती और सेवा-शर्तों के बारे में नियम बनाने की ..... 98(3)
सरकारी कार्य करने और उसे मंत्रियों के बीच आबंटित करने के बारे में नियम बनाने की ..... 77(3)
लोक सभा में आंग्ल-भारतीयों के नामनिर्देशन की 331
राज्य सभा में बारह सदस्यों के नामनिर्देशन की ..... 80(1)(क)
राज्यों के बीच आय पर करों का वितरण करने का प्रतिशत विहित करने की 270
उच्चतम न्यायालय के आदेशों के प्रवर्तन देने की रीति विहित करने की ..... 142(1)
संक्रमणकालीन अवधि के दौरान कठिनाइयों को दूर करने की ..... 392(1)
राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां विनिर्दिष्ट करने की 341, 342
संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की ..... 108(1)
संसद् सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और उसका विघटन करने की ..... 85(1) और (2)
की पूर्व मंजूरी–
राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने वाले किसी विधेयक को राज्य विधान-ल में पुर:स्थापित करने के लिए आवश्यक ..... 304(ख), परंतुक
को केवल प्रक्रिया का विषय मानना 255
राष्ट्रपति का विधिक कार्यवाहियों से संरक्षण 361
के पद के लिए अर्हताएं 58
किसी अनुदान की मांग किए जाने पर राष्ट्रपति की सिफारिश ..... 113(3)
निम्नलिखित विधेयक के पुर:स्थापन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की अपेक्षा का होना–
(i) ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले ..... 274(1)
(ii) वित्तीय विषयों के बारे में ..... 117(1)
(iii) नए राज्यों के निर्माण या राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन, आदि के बारे में ..... 3, परंतुक

राष्ट्रपति की सिफारिश को केवल प्रक्रिया का विषय मानना 255
राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना ..... 56(1) परंतुक (ख)
राष्ट्रपति द्वारा अनुपूरक अनुदानों को संसद् के समक्ष रखवाया जाना ..... 115(1)
राष्ट्रपति की पदावधि 56
राष्ट्रपति के पद की रिक्ति और उसे भरने की प्रक्रिया 62
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग— 124क
के कृत्य 124ख
रेल, परिभाषा ..... 366(20), सातवीं, 1, 22
रोग और नाशकजीव—
रोगों और नाशकजीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण ..... सातवीं, 3, 29
लक्षद्वीप राज्यक्षेत्र ..... पहली
लाटरियां सरकार द्वारा संचालित ..... सातवीं, 1, 40
लेखा—
संघ और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप 150
लेखापरीक्षा, संघ और राज्यों के लेखाओं की ..... सातवीं, 1, 76
लोक ऋण—
राज्यों के–देखिए **ऋण।**
संघ के–देखिए **ऋण।**
लोक सभा—
की संरचना 81
के विनिश्चय, बहुमत द्वारा ..... 100(1)
का उपाध्यक्ष–देखिए **अध्यक्ष।**
की अवधि 83
के सदस्य–देखिए **संसद् के सदस्य।**
की प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति ..... 118(1)
के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति ..... 100(3)
में आंग्ल-भारतीयों का प्रतिनिधित्व (नामनिर्देशन) 331
में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि का प्रतिनिधित्व 330
में संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व ..... 81(1)(ख)
के सचिवीय कर्मचारिवृंद की नियुक्ति आदि 98
के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष—
का निर्णायक मत ..... 100(1)
को चुनना 93
का पीठासीन न होना, जब उन्हें पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो 96
की अनुपस्थिति के दौरान उसके पद के कर्तव्यों का पालन 95
का पद से हटाया जाना ..... 94(ग) और 96
द्वारा पद त्याग ..... 94(ख), 97, सातवीं, 1, 73
के वेतन और भत्ते आदि ..... 97, सातवीं, 1, 73, दूसरी, ग, 7
द्वारा पद की रिक्ति ..... 94(क)
सदनों में मतदान 100
लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ..... सातवीं, 2, 6
लोक अधिसूचना, परिभाषा ..... 366(9)
लोक व्यवस्था ..... सातवीं, 2, 1

लोक सेवा आयोग—
की वार्षिक रिपोर्ट 323
के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति ..... 316(1) और 1(क)
सदस्यों की सेवा शर्तें 318
सदस्य न रहने पर पद धारण करने के लिए पात्रता ..... 319(ख), (ग) और (च)
पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता 319
पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र न होना ..... 316(3)
सदस्यों को पद से हटाया जाना ..... 316(2), परंतुक (ख)
सदस्यों को पद से हटाया जाना या निलंबित किया जाना 317
सदस्यों द्वारा पद त्याग ..... 316(2), परंतुक (क)
सदस्यों की पदावधि ..... 316(2)
लोक सेवा आयोगों के व्यय का संचित निधि पर भारित होना 322
कृत्य 320
लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति 321
वन. ..... 48क, सातवीं, 3, 17क
वन्य जीवजंतुओं और पक्षियों का संरक्षण ..... सातवीं, 3, 17ख
वन्य जीवों की रक्षा 48क
वयस्क मताधिकार—देखिए **निर्वाचन।**
वाद और कार्यवाहियां
संघ या राज्यों द्वारा या उनके विरुद्ध 300
वाणिज्य—देखिए **व्यापार, वाणिज्य, आदि।**
वाणिज्य एकाधिकार—
गुट और न्यास ..... सातवीं, 3, 21
वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण. ..... सातवीं, 2, 25
वार्षिक वित्तीय विवरण—
संसद् के समक्ष 112
राज्य विधान-मंडल के समक्ष 202
विकास बोर्ड. ..... 371(2)
महाराष्ट्र और गुजरात के भागों के लिए पृथक् विकास बोर्डों की स्थापना .....
वित्त—
वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध—
संसद् में 117
राज्य विधान-मंडल में 207
विधेयकों का पुर:स्थापन, पारित किया जाना और व्यपगत होना—
संयुक्त बैठक में ..... 100 और 108
संसद् में 107
राज्य विधान-मंडल में 196
संसद् में धन विधेयक—
परिभाषा 110
के संबंध में प्रक्रिया 109

राज्य विधान-मंडल में धन विधेयक–
परिभाषा 199
के संबंध में प्रक्रिया 198
राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए धन विधेयकों का आरक्षण 201

वित्त–
कुछ व्ययों और पेंशनों के विषय में संघ और राज्यों के बीच समायोजन 290
वार्षिक वित्तीय विवरण–
देखिए **वार्षिक वित्तीय विवरण।**
देवस्थम् निधियों को वार्षिक संदाय 290क
विधेयक, वित्त–
संसद् में 117
राज्य विधान-मंडल में 207
विधेयक, राज्यों को प्रभावित करने वाली कराधान के बारे में 274
विधेयक भी देखिए।
वित्त आयोग–
का गठन ..... 280(1)
का कर्तव्य ..... 280(3)
की शक्तियां, संसद् द्वारा अवधारित किया जाना ..... 280(4)
की सदस्यता के लिए अर्हताएं ..... 280(2)
की सिफारिशों का संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना 281
भारत की संचित निधि 266
की प्रतिभूति पर उधार लेना 292
की अभिरक्षा ..... 283(1)
परिभाषा ..... 266(1)
पर भारित व्यय ..... 112(3)
का संसद् में मतदान के लिए न रखा जाना ..... 113(1)
राज्यों की संचित निधि 266
की प्रतिभूति पर उधार लेना 293
की अभिरक्षा, आदि ..... 283(2)
परिभाषा ..... 266(1)
का विधान-मंडल में मतदान के लिए न रखा जाना ..... 203(1)
भारत की आकस्मिकता निधि ..... 267(1)
की अभिरक्षा, आदि ..... 283(1)
राज्य की आकस्मिकता निधि ..... 267(2)
की अभिरक्षा, आदि ..... 283(2)
शुल्क–
संघ द्वारा संगृहीत और संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले 272
संघ द्वारा संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले 269
कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में ..... सातवीं, 2, 47
कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति में उत्तराधिकार के संबंध में ..... सातवीं, 1, 88
संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले और राज्यों द्वारा संगृहीत तथा विनियोजित किए जाने वाले 268

सीमा-शुल्क जिसके अंतर्गत निर्यात शुल्क भी है ..... सातवीं, 1, 83
उत्पाद-शुल्क एल्कोहाली, लिकर, अफीम, इंडियन हेम्प, आदि पर ..... सातवीं, 2, 51
उत्पाद-शुल्क, तंबाकू आदि पर ..... सातवीं, 1, 84
स्टांप-शुल्क, न्यायिक स्टांपों के द्वारा संगृहीत शुल्कों या फीसों से भिन्न ..... सातवीं, 3, 44
स्टांप-शुल्क की दर विनिमयपत्रों, आदि के संबंध में ..... सातवीं, 1, 91
संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ शुल्कों पर अधिभार 271
संघ या राज्यों द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अनुदान 282
कुछ राज्यों को संघ द्वारा अनुदान 275
जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले में कुछ राज्यों को अनुदान 273
भाग 12 के प्रयोजनों के लिए ''वित्त आयोग'' का निर्वचन 264
''शुद्ध आगम'' आदि की गणना 279
भारत और राज्यों का लोक लेखा ..... 266(2)
संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि 283
लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वाद–
कर्ताओं की जमाराशि में और अन्य धनराशियों का, यथास्थिति, भारत के लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में संदत्त किया जाना 284
राजस्व का संघ और राज्यों के बीच वितरण–
शुल्क और कर, आदि, संघ द्वारा संगृहीत किए जाने वाले और राज्यों को सौंपे जाने वाले 269
संघ द्वारा उद्गृहीत और राज्यों के साथ बांटे जाने वाले ..... 270 और 272
संघ द्वारा उद्गृहीत किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित 268
जूट के निर्यात पर कुछ राज्यों को शुल्क के बदले में अनुदान 273
संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ शुल्कों और करों पर अधिकार, संसद् द्वारा अधिरोपित किया जाना 271
विक्रय कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन 286
राज्य द्वारा कराधान–
से छूट, जल या विद्युत के विषयक मामलों में 287, 288
से संघ की संपत्ति को छूट 285
अनुपूरक अनुदान–देखिए **अनुपूरक अनुदान।**
कर–
प्रति व्यक्ति ..... सातवीं, 2, 61
निगम ..... सातवीं, 1, 85
समाचारपत्रों में विज्ञापनों पर ..... सातवीं, 1, 92
अन्य विज्ञापनों पर ..... सातवीं, 2, 55
कृषि आय पर ..... सातवीं, 2, 46
जीवजंतुओं और नौकाओं पर ..... सातवीं, 2, 59
व्यष्टियों और कंपनियों की आस्तियों के, जिनके अंतर्गत कृषि भूमि नहीं है, पूंजी मूल्य पर और कंपनियों की पूंजी पर ..... सातवीं, 1, 86
माल के परेषण पर ..... सातवीं, 1, 92ख
विद्युत के उपयोग या विक्रय पर ..... सातवीं, 2, 53

स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर ..... सातवीं, 2, 52
सड़कों या अंतरदेशीय जलमार्गों द्वारा ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर ..... सातवीं, 2, 56
आय पर कर, परिभाषा ..... 366(29)
आय पर कर, कृषि आय से भिन्न ..... सातवीं, 1, 82
भूमि और भवनों पर कर ..... सातवीं, 2, 49
विलास वस्तुओं पर कर, जिनके अंतर्गत मनोरंजन, आमोद, दांव और द्यूत पर कर भी हैं ..... सातवीं, 2, 62
खनिज संबंधी अधिकारों पर कर ..... सातवीं, 2, 50
वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजन पर कर ..... 276, सातवीं, 2, 60
रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर ..... सातवीं, 1,89
माल के क्रय या विक्रय पर कर ..... सातवीं, 2, 54, 280, सातवीं, 1, 92क
समाचारपत्रों के क्रय या विक्रय पर कर ..... सातवीं, 1, 92
स्टांप शुल्क से भिन्न, स्टाक एक्सचेंजों और वायदा बाजारों के संव्यवहारों पर कर .... सातवीं, 1, 90
सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों जिनके अंतर्गत ट्रामकारें भी हैं, पर कर ..... सातवीं, 2, 57
किसी राज्य में, उस राज्य के बाहर उद्भूत दावों के लिए कर की वसूली ..... सातवीं, 3, 43
माल या यात्रियों पर सीमा कर ..... सातवीं, 1, 89
कराधान, परिभाषा ..... 366(28)
राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उद्गृहीत विद्यमान कर आदि का संघ सूची में वर्णित होने पर भी जारी रहना 277
विधि के प्राधिकार के बिना कर उद्गृहीत नहीं किए जाएंगे 265
राज्य की संपत्ति और उससे आय को संघ के कराधान से छूट 289

वित्त आयोग–देखिए **वित्त।**

वित्त निगम–देखिए **निगम।**

विदेश कार्य ..... सातवीं, 1, 10
विदेश कार्य संबंधी कारणों से निवारक निरोध ..... सातवीं, 1, 9
विदेशी ऋण ..... सातवीं, 1, 37
विद्युत पर कर–देखिए **वित्त** के अंतर्गत।

विद्यमान विधि परिभाषा ..... 366(10)
विदेशी मुद्रा ..... सातवीं, 1, 36
विदेशी राज्य, परिभाषा ..... 367(3)
वैदेशिक अधिकारिता ..... सातवीं, 1, 16

विवाह. ..... सातवीं, 3, 5

विष. ..... सातवीं, 3, 19

विधान परिषद्–देखिए **राज्य।**

विधान सभा–देखिए **राज्य।**

विधायी संबंध, संघ और राज्यों के बीच 245, 255

विधिक कार्यवाहियां–संघ और राज्यों द्वारा या उनके विरुद्ध 300

विधियां–

विद्यमान–

विधियों का बने रहना ..... 372(1)
विधियों की परिभाषा ..... 366(10)

भाग 3 के उपबंधों से असंगत होने पर विधियों का शून्य होना ..... 13(1)
विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति 305
वाक्-स्वातंत्र्य आदि के अधिकार पर निर्बंधन अधिरोपित करना ..... 19(2) से (6) तक

मूल अधिकार भी देखिए।

विधियों के विरुद्ध अपराध–
सूची 1 में के विषयों से संबंधित ..... सातवीं, 1, 93
सूची 2 में के विषयों से संबंधित ..... सातवीं, 2, 64
विधियों को मान्यता ..... सातवीं, 3, 12
विधिमान्यकरण, संपदाओं के अर्जन के बारे में कुछ अधिनियमों और विनियमों का ... 31ख और नौवीं

विधेयक–
राज्यों के हितों से संबद्ध कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश 274

विनियम–
कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण ..... 31ख और नौवीं
संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति 240
विन्यास, पूर्त और धार्मिक ..... सातवीं, 3, 28
विनिमय-पत्र, चैक, वचनपत्र आदि ..... सातवीं, 1, 46

विमान क्षेत्र. ..... सातवीं, 1, 29
परिभाषा ..... 364(2)
हवाई यातायात और विमान क्षेत्रों का विनियमन और संगठन ..... सातवीं, 1, 29
विमान क्षेत्रों में विधियों के विस्तारण संबंधी विशेष उपबंध ..... 364(1)
विल, निर्वसीयतता और उत्तराधिकार ..... सातवीं, 3, 5

विवाद–
औद्योगिक और श्रम ..... सातवीं, 3, 22

विवाह-विच्छेद. ..... सातवीं, 3, 5

विशेषाधिकार–
संसद् और उसके सदस्यों का 105

विश्वविद्यालय–
अलीगढ़ ..... सातवीं, 1, 63
बनारस ..... सातवीं, 1, 63
दिल्ली ..... सातवीं, 1, 63
आंध्र प्रदेश में ..... सातवीं, 1, 63
राष्ट्रीय महत्व के ..... सातवीं, 1, 63
अन्य ..... सातवीं, 1, 63

विस्फोटक. ..... सातवीं, 1, 5

विस्थापित व्यक्ति–
सहायता और पुनर्वास ..... सातवीं, 3, 27
वीजा ..... सातवीं, 1, 19

वृत्तियां–
विधि, चिकित्सा आदि ..... सातवीं, 3, 26

वैमानिक शिक्षा आदि. ..... सातवीं, 1, 29
व्यापार और वाणिज्य–
अंतरराज्यिक ..... सातवीं, 1, 42
संघ द्वारा नियंत्रित उद्योगों के उत्पादों से संबंधित ..... सातवीं, 3, 33
विधायी शक्तियों पर निर्बंधन 303
विदेशों के साथ ..... सातवीं, 1, 41
राज्य के भीतर ..... सातवीं, 2, 26
व्यापार, वाणिज्य और समागम–
की स्वतंत्रता 301, 303
आदि करने की शक्ति 298
पर निर्बंधन अधिरोपित करने की राज्य विधानमंडल की शक्ति 304
संसद् की शक्ति 302
व्यापार चिह्न और पण्य वस्तु चिह्न ..... सातवीं, 1, 49
व्यापार संघ. ..... सातवीं, 3, 22
व्यापारिक प्रतिनिधित्व. ..... सातवीं, 1, 11
व्यापारिक निगम–देखिए **निगम।**
शत्रु अन्यदेशीय–
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण नहीं 32
शपथ. ..... सातवीं, 3, 12
शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप ..... तीसरी
शव गाड़ना और कब्रिस्तान. ..... सातवीं, 2, 10
शासक–
परिभाषा ..... 366(22)
शासकों की निजी थैलियों, अधिकारों और विशेषाधिकारों का अंत 363क
शासकों की भारत सरकार के साथ हुई संधियों, आदि संबंधी विवादों की किसी न्यायालय द्वारा जांच न किया जाना 363
शासकीय न्यासी. ..... सातवीं, 3, 11
शिक्षा. ..... 21क, 45, सातवीं, 3, 25
बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य—देखिए **निदेशक तत्व।**
विश्वविद्यालय भी देखिए।
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में 350क
संस्थाएं—उच्चतर शिक्षा, समन्वयन और स्तरों के अवधारण के लिए ..... सातवीं, 1, 66
वृत्तिक, व्यावसायिक आदि प्रशिक्षण के लिए ..... सातवीं, 1, 65
वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के लिए ..... सातवीं, 1, 64
शुद्ध आगम की गणना—देखिए **वित्त।**
शोधन अक्षमता और दिवाला. ..... सातवीं, 3, 9
श्मशान और श्मशान भूमि. ..... सातवीं, 210
श्रम—
विवाद ..... सातवीं 3, 22
खानों और तेलक्षेत्रों में श्रम का विनियमन ..... सातवीं, 1, 55
श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ..... सातवीं, 3, 25
श्रमिकों का कल्याण ..... सातवीं, 3, 24

संकर्म, भूमि और भवन, राज्य के ..... सातवीं, 2, 35
संकर्म नौसेना, सेना और वायुसेना. ..... सातवीं, 1, 4
संगम—
साहित्यिक, वैज्ञानिक और धार्मिक ..... सातवीं, 2, 32
संग्रहालय—राज्यों द्वारा नियंत्रित ..... सातवीं, 2, 12
संस्थाएं भी देखिए।
संघ—
में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना 2
के सशस्त्र बल या अन्य बलों का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में अभिनियोजन ..... सातवीं, 1, 2क
द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव 365
का राज्यों की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से संरक्षा करने का कर्तव्य 355
की संपत्ति को राज्य के करों से छूट 285
की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 73
की कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना ..... 53(1)
की राजभाषा हिन्दी 343
की भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में अधिकारिता 260
का नाम और राज्यक्षेत्र—देखिए **भारत।**
की संपत्ति ..... सातवीं, 1, 32
और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध 256–261
समन्वय 263
सामूहिक उत्तरदायित्व ..... 75(3)
विधायी संबंध 245–255
संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर व्यापार और वाणिज्य के संबंध में निर्बंधन 303
संघ द्वारा उसके विरुद्ध वाद और कार्यवाहियां 300
संघ का कर्तव्य—
हिंदी भाषा की अभिवृद्धि करना 351
आक्रमण और अशांति से राज्यों की संरक्षा करना 355
संघ सूची. ..... सातवीं, 1
संघ राज्यक्षेत्र—
का प्रशासन 239
की परिभाषा ..... 366(30)
के लिए उच्च न्यायालय 241
के लिए अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति 239ख
के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति 240
संघ लोक सेवा आयोग. 315
संचार—
डाक-तार, आदि ..... सातवीं, 1, 31
सड़कें/नगरपालिका ट्राम आदि ..... सातवीं, 2, 13

संचित निधि—
भारत की देखिए **वित्त।**
राज्यों की देखिए **वित्त।**
संयुक्त बैठक—संसद् के सदनों की 100, 108
संयुक्त राष्ट्र संघ ..... सातवीं, 1, 12
संविदा—
संघ या राज्यों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम में की जाएगी 299
संसद्—
के अधिनियम सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं के अभाव में अविधिमान्य नहीं होंगे 255
संसद् की समितियों और संसद् द्वारा नियुक्त आयोगों के समक्ष व्यक्तियों को हाजिर कराना और दस्तावेज पेश करना ..... सातवीं, 1, 74
संरचना—
राज्य सभा की 80
लोक सभा की 81
संसद् का गठन—
राज्य सभा—देखिए **राज्य सभा।**
लोक सभा का विघटन ..... 85(2)(ख)
संसद् के सदनों की अवधि 83
भारत की संचित निधि पर भारित व्यय मतदान के लिए न रखा जाना ..... 113(1)
अन्य व्यय मतदान के लिए रखा जाना ..... 113(2)
लोक सभा—देखिए **लोक सभा।**
संसद् के सदनों का प्रत्येक वर्ष दो बार अधिवेशन होना ..... 85(1)
संयुक्त बैठक ..... 100 और 108
संसद् में प्रयोग की जाने वाली भाषा—**भाषा के अधीन** देखिए।
विधियों का विस्तार ..... 245(1)
कुछ मामलों में राज्य द्वारा बनाई गई विधियों पर अभिभावी होना ..... 251 और 254
विधायी प्रक्रिया—
वित्तीय विषयों के संबंध में ..... 112 और 117
धन विधेयकों के संबंध में 109
लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान के संबंध में 116
प्राक्कलनों के संबंध में 113
संसद् के सदस्य—
संसद्-सदस्यों के लिए निरर्हताएं ..... 102, दसवीं
संसद्-सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय 103
संसद्-सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 99
संसद्-सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि ..... 105, सातवीं, 1, 74
संसद्-सदस्यों के लिए अर्हताएं 84
संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते आदि ..... 106, सातवीं, 1, 73
संसद् द्वारा स्थान रिक्त करना 101
संसद् के सदनों में मतदान 100
शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने आदि से पहले मत देने के लिए शास्ति 104

संसद् के अधिकारी—देखिए **राज्य सभा** और **लोक सभा।**

संसद् की शक्ति—

राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन करने की 169
रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति 100
संघ में नए राज्यों को प्रवेश करने की 2
राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन करने की 3
कुछ मामलों में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन करने की 4
पांचवीं अनुसूची का संशोधन करने की ..... पांचवीं, 7
संविधान के उपबंधों का संशोधन करने की 368
अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 तक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त करने की 307
उच्चतम न्यायालय को आनुषंगिक शक्तियां प्रदान करने की 140
अधिकारिता प्रदान करने की 139
कुछ दशाओं में राज्यों को संघ की शक्तियां प्रदान करने की ..... 258(2)
संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय गठित करने की 241
कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन करने की 239क
मंत्रियों के वेतन और भत्ते अवधारित करने की ..... 75(6)
नए राज्य स्थापित करने की 2
लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की 321
आपात में अपनी अवधि बढ़ाने की ..... 83(2) परंतुक
संघ के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित करने की 302
संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ शुल्कों और करों पर अधिभार अधिरोपित करने की 271
समवर्ती सूची में के विषयों के संबंध में विधि बनाने की ..... 246(2)
राज्य सूची में के विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की ..... 249(1)
आपात के दौरान राज्य सूची में के विषयों के संबंध में विधि बनाने की 250
दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से राज्य में के विषयों के संबंध में विधि बनाने की 252
संघ सूची में के विषयों के संबंध में विधि बनाने की ..... 246(1)
उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का विस्तार या अपवर्जन करने के संबंध में विधि बनाने की 230
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेशों को संशोधित करने के लिए विधि बनाने की ..... 341(2) और 342(2)
अंतरराष्ट्रीय करारों के प्रभावी करने के लिए विधि बनाने की 253
मूल अधिकारों के संबंध में उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधि बनाने की 35
विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में विधि बनाने की 327
किसी राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य तथा प्रथम पांच वर्षों के दौरान कुछ वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के संबंध में विधि बनाने की 369
वित्त आयोग के सदस्यों के लिए अर्हताओं और उनकी शक्तियों के संबंध में उपबंध बनाने की ..... 280(2) और (4)
निवारक निरोध के संबंध में कुछ विषय विहित करने की ..... 22(7)
किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन के लिए निवास विषयक अपेक्षाएं विहित करने की ..... 16(3)

राज्य सभा के संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने की रीति विहित करने की .... 80(5)
अंतरराज्यिक नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए उपबंध करने की 262
अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध करने की 312
आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध करने की 70
संसद् द्वारा बनाई गई विधियों के अधिक अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की 247
दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए उपबंध करने की 315
उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों या आदेशों के प्रवर्तन की रीति का उपबंध करने की ..... 142(1)
15 वर्ष के पश्चात् अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग का उपबंध करने की ..... 343(3)
वित्तीय विषयों में अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने की 119
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषयों का विनियमन करने की ..... 71(3)
नागरिकता के अधिकार का विनियमन करने की 11
कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद् की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि ..... 312क, 105(3), सातवीं, 1, 74

संसद् की कार्यवाहियां—
संसद् की कार्यवाहियों की विधिमान्यता की न्यायालयों द्वारा जांच न किया जाना ..... 122(1)
संसद् की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण 261क
संसद् का सत्रावसान ..... 85(2)(क)
संसद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति ..... 100(3)
अवशिष्ट विधायी शक्तियों का संसद् में निहित होना ..... 248, सातवीं, 1, 97
संसद् में चर्चा पर निर्बंधन 121
प्रत्येक सदन की प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति 118
संसद् के सदनों का सचिवालय 98
संसद् को आहूत करना ..... 85(1)

संसद्-सदस्य—**संसद्** के अधीन देखिए।

संस्थाएं—
पूर्त और धार्मिक ..... सातवीं, 3, 28
इम्पीरियल युद्ध संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, भारतीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय पुस्तकालय, विक्टोरिया स्मारक ..... सातवीं, 1, 62
मातृभाषा में शिक्षा 350क

समता—
लोक नियोजन के विषय में अवसर की ..... 16(3)
विधि के समक्ष प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त करने के अधिकार की ..... उद्देशिका, 14
मूल अधिकार भी देखिए।

समन्वय—
राज्यों के बीच 263

समवर्ती सूची. ..... सातवीं, 3
सहकारी सोसाइटियां ..... सातवीं, 2, 32

संपत्ति—
का अर्जन और अधिग्रहण ..... सातवीं, 3, 42
किसी अल्पसंख्यक-वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षा संस्था की संपत्ति के अर्जन के लिए रकम ..... 30(1क)
किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से ही उसकी संपत्ति से वंचित किया जाना 300क
संपत्ति अंतरण, कृषि भूमि से भिन्न ..... सातवीं, 3, 6
संपत्ति आदि का उत्तराधिकार 294–295
कृषि भूमि का अंतरण ..... सातवीं, 2, 18
संपदा शुल्क—
परिभाषा ..... 366(9)
कृषि भूमि के संबंध में ..... सातवीं, 2, 48
अन्य संपत्ति के संबंध में ..... सातवीं, 1, 87
समाचारपत्र ..... सातवीं, 3, 39
सलाहकार बोर्ड—देखिए **निवारक निरोध।**
सशस्त्र बल—
सशस्त्र बलों से संबंधित विधि के अधीन गठित न्यायालय या अधिकरण। उच्च न्यायालय को अधीक्षण की शक्ति न होना ..... 227(4)
सशस्त्र बलों या सशस्त्र बलों के अन्य बलों का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में अभिनियोजन ..... सातवीं, 1, 2क
सशस्त्र बलों को लागू होने वाले मूल अधिकारों को संसद् द्वारा निर्बंधित या निराकृत किया जाना 33
सशस्त्र बलों से संबंधित विधि के अधीन गठित न्यायालय या अधिकरण के निर्णय, अवधारण, दंडादेश या आदेश उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करने की शक्ति न होना ..... 136(2)
सहायता, नि:शक्त और नियोजन के लिए अयोग्य व्यक्तियों की ..... सातवीं, 2, 29
सहकारी सोसाइटियां—
सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन 43ख
सहकारी सोसाइटियों का निगमन 243यझ
सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा 243यड
सागर-खंड—
राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्न तट भूमि और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी 297
साक्ष्य. ..... सातवीं, 3, 12
सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा. ..... सातवीं, 3, 23
सामूहिक उत्तरदायित्व. 75
सार्वजनिक कार्यों और अभिलेखों की मान्यता. ..... 261, सातवीं, 3, 12
साहूकारी और साहूकार. ..... सातवीं, 2, 30
एकाधिकार विद्यमान विधियों और राज्य के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति 305
सिंचाई, संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अधीन रहते हुए ..... सातवीं, 2, 17
सिक्किम—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
राज्य के बारे में विशेष उपबंध 371च
राज्य ..... पहली

सिनेमा. ..... सातवीं, 2, 33
सिविल प्रक्रिया. ..... सातवीं, 3, 13
सिविल संहिता सभी नागरिकों के लिए एक समान 44
सीमाशुल्क
शुल्क—देखिए **वित्त।**
सुधार न्यास. ..... सातवीं, 2, 5
सुधारालय. ..... सातवीं, 2, 4
सेना विधि के अधीन क्षेत्रों में किए गए कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति करने की संसद् की शक्ति 34
सेवाएं—
अखिल भारतीय ..... सातवीं, 1, 70
संघ या किसी राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तें 309
कृत्य करते रहना, न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का 375
संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित सेवाओं का सृजन 312
संक्रमणकालीन अवधि के दौरान विद्यमान विधियों का सेवाओं को लागू होता रहना ... 313
भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का संसद् द्वारा सृजित सेवाएं होना .... 312(2)
कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद् की शक्ति 312क
संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत किए जाने, आदि के विरुद्ध संरक्षण 311
लोक सेवाएं—
राज्य की ..... सातवीं, 2, 41
संघ की ..... सातवीं, 1, 70
संघ या किसी राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि 310
संक्रमणकालीन उपबंध 313
स्टाक एक्सचेंज और वायदा बाजार. ..... सातवीं, 1, 48
स्टांप-शुल्क—
वित्त के अधीन देखिए।
स्थानीय शासन. ..... सातवीं, 2, 5
स्मारक—
प्राचीन और ऐतिहासिक–
राष्ट्रीय महत्व के ..... सातवीं, 1, 67
अन्य ..... सातवीं, 2, 12
स्मारकों का संरक्षण आदि—देखिए **निदेशक तत्व।**
स्वतंत्रता प्राप्त करना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की ..... उद्देशिका
स्वामीविहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति संबंधी अधिकार 296
हिंदुओं की धार्मिक संस्था. ..... 25 (2) (ख)
हरियाणा—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
राज्य ..... पहली
हिमाचल प्रदेश—
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..... चौथी
राज्य ..... पहली